Yojna IAS
yojnaias.com
योजना है तो सफलता है

मासिक करेंट अफेयर्स

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय

सभी महत्वपूर्ण घटनाओं की पूर्ण कवरेज

अप्रैल-मई

2024

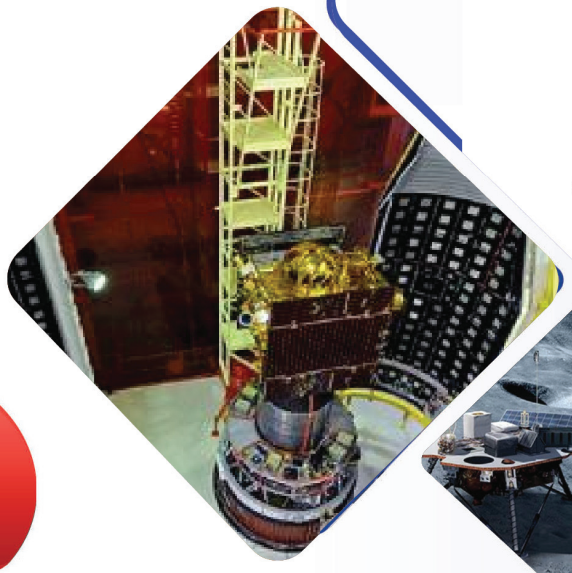

Prelims & Mains

मुख्य कार्यक्रम

— आर्टेमिस समझौता
— भारत में परमाणु घड़ियाँ
— मेक्सिको – इक्वाडोर संघर्ष
— इजराइल – फिलिस्तीन संघर्ष और अमेरिका की भूमिका
— भारत में चुनावी बॉण्ड योजना की वैधता बनाम मूल अधिकारों का उल्लंघन

Yojna IAS

योजना है तो सफलता है

yojnaias.com

अप्रैल-मई 2024

मासिक करेंट अफेयर्स

दिल्ली कार्यालय

706 ग्राउंड फ्लोर डॉ मुखर्जी नगर बत्रा सिनेमा के पास दिल्ली - 110009

नोएडा कार्यालय

बेसमेन्ट सी-32 नोएडा सैक्टर-2 उत्तर प्रदेश - 201301

मोबाइल नं. : +91 8595390705

वेबसाइट : www.yojnaias.com

Yojna IAS
yojnaias.com
योजना है तो सफलता है

मुख्य आकर्षण

- राष्ट्रीय मामले
- अंतरराष्ट्रीय मामले
- अर्थव्यवस्था और बैंकिंग
- राज्य मामले
- विज्ञान प्रौद्योगिकी
- रक्षा और सुरक्षा
- स्वास्थ्य और पोषण
- खेल चित्रमाला

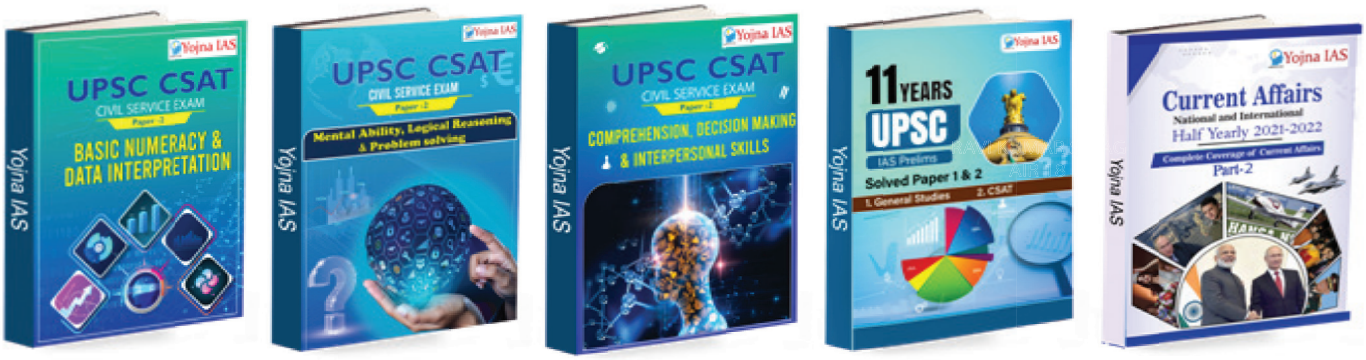

ALL STUDY MATERIAL AVAILABLE ON :

Onlinekhanmarket.com

www.examophobia.com
Examophobia.com

FREE INTERVIEW GUIDANCE PROGRAM

सत्यमेव जयते
UPSC

- DAF Analysis
- Mock Interview (UPSC Pattern)
- Detailed Feedback

स्रोत:

The Hindu | The Indian Express | The Economic Times | Press Information Bureau PIB News | PRS (Recent Bills and their analysis) | CPCB | NDMA|IDSA: Institute for Defense Studies and Analysis (For in-depth IR and Internal Security articles) unesco World Heritage Convention | BBC | NCERTs All standard reference books.

योजना आईएएस करंट अफेयर्स मासिक पत्रिका में ऐसे विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है जो कोर विषयों के साथ ओवरलैप करते हैं।

Follow us:

Head Office in Noida
Basement C-32 Noida Sector-2
Uttar Pradesh 201301

info@yojnaias.com

Contact No. : +91 8595390705

प्रस्तावना

प्रिय उम्मीदवारों,

यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा को पास करने के लिए हर साल लाखों उम्मीदवार विभिन्न कोचिंग कक्षाओं में शामिल होते हैं, लेकिन सभी सफल नहीं होते हैं। क्यों? इसका कारण उचित तैयारी की कमी नहीं बल्कि उचित ज्ञान की कमी, गलत दृष्टिकोण और बहुत सारी शंकाएं हैं।

उपरोक्त बातों का ध्यान में रखते हुए योजना आईएस की टीम ने आपके सभी संदेहों को दूर करने, प्रश्नों की भाषा को समझने एवं समसामयिकी में आपकी अभिरुची को बढ़ाने हेतु समसमायिक विषय पर इस व्यापक पुस्तक का निर्माण किया हैं ।

समसामयिकी का महत्व न कि सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा में है अपितु यह मुख्य लिखित परीक्षा में विभिन्न विषयों जैसे कि अर्थशास्त्र,राजनीति शास्त्र एवं अंतराष्ट्रीय संबधो, विज्ञान एवं प्रौधोगिकी, शासन व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा एवं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी जैसे विषयों में आपकी रुचि को बढ़ाने के साथ साथ उत्तर लेखन में भी उत्कृष्टता प्रदान करने में भी सहायक होगी ।

हमारे निरंतर, रचनात्मक, अभिनव और अथक प्रयासों के आधार पर मुझे इस पुस्तक को प्रतियोगी परीक्षाओं और भविष्य के प्रशासकों के लिए एक अभिनव भारत के अभियान को सफल बनाने के लिए प्रस्तुत करते हुए गर्व हो रहा है।

कृपया अपनी बहुमूल्य टिप्पणियां और सुझाव दें ताकि हम आपकी आवश्यकता के अनुसार पुस्तक में सुधार और अद्यतन कर आपको बेहतर पथ प्रदर्शिका के रूप में इस पुस्तक और अधिक बेहतर और उपयोगी बनाया जा सके ।

एक रोमांचक पढ़ने और आसान प्रतिधारण के लिए पुस्तक को एक गहन कालानुक्रमिक और कहानी की तरह व्यवस्थित किया गया है।

हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, अपने आप पर विश्वास करते रहें, और यदि आप अच्छी तरह से तैयार हैं, तो आप सफल होंगे।

टीम
योजना आईएएस

COPYRIGHT:-

© All Rights Reserved. No part of this Book will be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted by any means, Electronics, Mechanical, Photocopying, etc., or utilized in any form without written permission from Yojna IAS. Yojna IAS has taken due care in collecting the Data before publishing this Book. If any inaccuracy or printing Error occurs, Yojna IAS owns no Responsibility.
Your suggestions will be appreciated regarding such Errors.

मासिक करेंट अफेयर्स विषय-सूची

सामान्य अध्ययन -1

(भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व और समाज का इतिहास और भूगोल)

1. भारत मौसम विज्ञान विभाग : कार्य और जिम्मेदारियाँ 6 - 11
2. जैन धर्म की वर्तमान प्रासंगिकता 11 - 15

सामान्य अध्ययन -2

(शासन, संविधान, राजनीति, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध)

3. पीएम सोलर रूफटॉप योजना 17 - 20
4. भारत में राजकोषीय संघवाद बनाम केंद्र – राज्य संबंध 21 - 27
5. वीवीपीएटी बनाम मतों की पुनर्गणना एवं मत – सत्यापन 27 - 33
6. इजराइल – फिलिस्तीन संघर्ष और अमेरिका की भूमिका 33 - 27
7. नेपाल की संघीय संसद द्वारा बिम्सटेक चार्टर को अपनाना 37 - 45
8. भारत में चुनावी बॉण्ड योजना की वैधता बनाम मूल अधिकारों का उल्लंघन 45 - 52
9. भारत में 'विश्व हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 का महत्व 53 - 56
10. भारत में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपीए), 1951 और निजता का अधिकार 56 - 60
11. एशियाई विकास आउटलुक रिपोर्ट 2024 : भारत की जीडीपी में वृद्धि का पूर्वानुमान 60 - 65
12. मेक्सिको – इक्वाडोर संघर्ष 65 - 68
13. भारत में उच्चतम न्यायालय की विशेष शक्तियां और उपचारात्मक याचिका 69 - 73
14. जलवायु परिवर्तन का प्रतिकूल प्रभाव बनाम जीवन का अधिकार 73 - 78

15. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) 79 - 85

सामान्य अध्ययन -3

(प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, सुरक्षा और आपदा प्रबंधन)

16. जलवायु परिवर्तन और जल संरक्षण एवं संवर्धन की जरूरत 87 - 91
17. भारत में सकल वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह मार्च 2024 92 - 96
18. भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो दर संबंधी फैसला 97 - 103
19. नवीकरणीय ऊर्जा और लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) संरक्षण में संतुलन 103 - 106
20. भारत में परमाणु घड़ियाँ 107 - 109
21. खाद्य अपशिष्ट सूचकांक (FWI) रिपोर्ट 2024 110 - 114
22. भारत के बैंकों में डिपॉजिट क्रंच / जमा प्राप्ति में कमी 114 – 119
23. हरित ऋण कार्यक्रम 119 - 123
24. आर्टेमिस समझौता 123 - 126

सामान्य अध्ययन -1

(भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व और समाज का इतिहास और भूगोल)

भारत मौसम विज्ञान विभाग : कार्य और जिम्मेदारियाँ

(यह लेख 'इंडियन एक्सप्रेस', 'द हिन्दू' 'जनसत्ता' और 'पीआईबी' के सम्मिलित संपादकीय सारांश से संबंधित है। इसमें योजना IAS टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा परीक्षा के:सामान्य अध्ययन के अंतर्गत 'भारतीय भूगोल' खंड से संबंधित है। यह लेख 'दैनिक करंट अफेयर्स' के अंतर्गत 'भारत मौसम विज्ञान विभाग : कार्य और जिम्मेदारियाँ' से संबंधित है।)

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने भारत में ग्रीष्म ऋतु से संबंधित अप्रैल से जून) 2024 के लिए एक अद्यतन मौसमी दृष्टिकोण से संबंधित डाटा जारी किया है।
- भारत मौसम विज्ञान विभाग ने नई दिल्ली के मौसम से संबंधित वर्षा और तापमान के लिए अप्रैल 2024 का एक अद्यतन मौसमी दृष्टिकोण से संबंधित डाटा भी जारी किया गया है।
- भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) हमारे देश की वैज्ञानिक प्रगति के इतिहास में 150 वर्ष की सेवा पूरी कर रहा है। भारत में मौसम विज्ञान की शुरुआत प्राचीन काल से मानी जा सकती है।
- भारत में मौसम विज्ञान का इतिहास समृद्ध है और कई शताब्दियों तक फैला हुआ है। मौसम विज्ञान, पृथ्वी के वायुमंडल और इसकी घटनाओं का अध्ययन, ने मौसम के पैटर्न को समझने, प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी करने और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- सार्वजनिक मौसम सेवाएं प्रदान करने के अधिदेश के साथ भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) 15 जनवरी 2025 को अपनी स्थापना के 150 वर्ष पूरे कर लेगा।

भारत में मौसम विज्ञान सेवाओं का ऐतिहासिक विकास – क्रम :

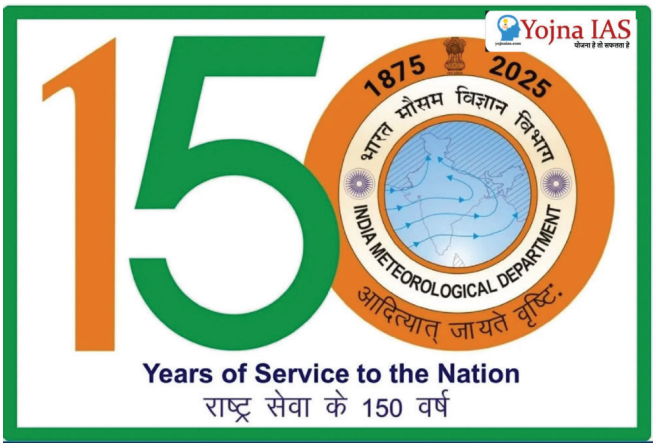

- भारत में 3000 ईसा पूर्व के प्रारंभिक दार्शनिक साहित्य और उपनिषदों में बादलों के निर्माण और बारिश की प्रक्रियाओं एवं सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति के कारण होने वाले मौसमी चक्रों के बारे में गंभीर चर्चाओं के साक्ष्य मिलते हैं हैं।
- वराहमिहिर की शास्त्रीय कृति, बृहत्संहिता, जो लगभग 500 ई.पू. में लिखी गई थी, इस बात का स्पष्ट प्रमाण देती है कि वायु-मंडलीय प्रक्रियाओं का गहरा ज्ञान उस समय भी मौजूद था।
- कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्षा के वैज्ञानिक माप और देश के राजस्व और राहत कार्यों में इसके अनुप्रयोग के रिकॉर्ड शामिल हैं।
- सातवीं शताब्दी के आसपास लिखे गए कालिदास के महाकाव्य 'मेघदूत' में मध्य भारत में मानसून की शुरुआत की तारीख का भी उल्लेख मिलता है और मानसून के बादलों के मार्ग का भी पता चलता है।
- ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान भारत के विभिन्न हिस्सों में वेधशालाएँ स्थापित कीं। ये वेधशा-लाएँ मौसम संबंधी घटनाओं सहित खगोलीय प्रेक्षणों पर केंद्रित थीं।
- ब्रिटिश प्रशासकों और वैज्ञानिकों ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मौसमी पैटर्न को समझने के लिए जलवायु संबंधी अध्ययन किए। 1826 में स्थापित बॉम्बे वेधशाला ने प्रारंभिक मौसम अनुसंधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- भारत में दुनिया की कुछ सबसे पुरानी मौसम विज्ञान वेधशालाएँ अभी भी मौजूद हैं।
- ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के मौसम और जलवायु का अध्ययन करने के लिए सन 1785 में कलकत्ता में और 1796 में मद्रास (अब चेन्नई) में कई स्टेशन स्थापित किए।
- एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में कलकत्ता में और 1804 में बॉम्बे (अब मुंबई) में हुई, जिसने भारत में मौसम विज्ञान में वैज्ञानिक अध्ययन को बढ़ावा दिया।
- कलकत्ता में कैप्टन हैरी पिडिंगटन ने 1835-1855 के दौरान एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल में उष्णकटिबंधीय तूफानों से संबंधित 40 पत्र प्रकाशित किए और "साइक्लोन" शब्द गढ़ा, जिसका अर्थ सांप की कुंडली है।
- 1842 में उन्होंने "लॉज़ ऑफ़ द स्टॉर्म्स" पर अपना स्मारकीय कार्य प्रकाशित किया।
- 19वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत में प्रांतीय सरकारों के अधीन कई वेधशालाएँ काम करने लगीं।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) :

- इसकी स्थापना सन 1875 में हुई थी। यह देश की राष्ट्रीय मौसम विज्ञान सेवा है और मौसम विज्ञान और उससे संबद्ध विषयों से संबंधित सभी मामलों के लिए एक प्रमुख सरकारी एजेंसी है।
- देश में सभी मौसम संबंधी कार्यों को एक केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा भारत मौसम विज्ञान विभाग के अधीन लाया गया।
- एचएफ ब्लैनफोर्ड को भारत सरकार का मौसम रिपोर्टर नियुक्त किया गया।
- भारत में भारत मौसम विज्ञान विभाग का पहला महानिदेशक सर जॉन एलियट थे जिन्हें मई 1889 में कलकत्ता मुख्यालय में नियुक्त किया गया था।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) का 150वां स्थापना दिवस

- **मनाया गया** — 15 जनवरी, 2024
- उल्लेखनीय है कि आईएमडी (IMD) की स्थापना वर्ष 1875 में हुई थी।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
- **अन्य प्रमुख तथ्य** —
  - आईएमडी (IMD) भारत का पहला संगठन बना, जिसने अपने वैश्विक डेटा विनिमय का समर्थन करने के लिए एक संदेश स्विचिंग कंप्यूटर का उपयोग किया।
  - निरंतर मौसम निगरानी और विशेष रूप से चक्रवात की चेतावनी के लिए भारत विश्व का पहला विकासशील देश था, जिसके पास अपना भूस्थैतिक उपग्रह इंसैट (INSAT) था।

Yojna IAS

- आईएमडी का मुख्यालय बाद में शिमला, फिर पूना (अब पुणे) और अंततः नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया।
- अतः वर्तमान समय में भारत मौसम विज्ञानं का मुख्यालय: नई दिल्ली में स्थित है।
- आईएमडी ने मौसम की स्थिति की निगरानी और रिकॉर्ड करने के लिए पूरे भारत में अनेक वेधशालाओं के माध्यम से अपने नेटवर्क का विस्तार किया है।
- भारत मौसम विज्ञानं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) के अधीन कार्य करती है ।
- मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक इस संगठन के प्रमुख होते हैं।
- भारत में वर्तमान समय में 6 क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र हैं,।
- प्रत्येक क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का मुख्यालय एक उप महानिदेशक के अधीन होता है, जिनका मुख्यालय मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली, कलकत्ता, नागपुर और गुवाहाटी में है।
- भारत मौसम विज्ञान विभाग ने भारत में कृषि, शिपिंग और अन्य क्षेत्रों को समर्थन देने के लिए मौसम पूर्वानुमान और चेतावनियाँ प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया।
- इसके द्वारा बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के अध्ययन को समझने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किया गया है।
- आईएमडी ने भारत में चक्रवात ट्रैकिंग और मौसम से संबंधित भविष्यवाणी के लिए अपनी क्षमताओं को विकसित किया है , जिससे अब भारत में आपदा – प्रबंधन से संबंधित तैयारियों में सुधार हुआ है।
- भारत को स्वतंत्रता के बाद, आईएमडी ने अपने आधुनिकीकरण के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों, मौसम रडार, उपग्रह इमेजरी और कंप्यूटर मॉडल को मौसम संबंधी प्रथाओं में शामिल कर अपना आधुनिकीकरण भी किया है ।
- आईएमडी ने भारत के विभिन्न राज्यों में मौसम की निगरानी और पूर्वानुमान सेवाओं के कवरेज को बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्रों की स्थापना की।
- आईएमडी ने विशिष्ट कृषि, विमानन और आपदा प्रबंधन पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए अपनी सेवाओं का विस्तार किया।
- भारत में अब आईएमडी की भूमिका मौसम की भविष्यवाणी से आगे बढ़कर जलवायु निगरानी और अनुसंधान करने तक हो गई है।
- भारत 1948 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) का सदस्य बन गया ,जिससे मौसम विज्ञान विभाग को अनुसंधान

और डेटा विनिमय में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की सुविधा भी मिलती है ।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के कार्य और जिम्मेदारियाँ :

- **मौसम पूर्वानुमान जारी करना :** आईएमडी भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अल्पकालिक और विस्तारित अवधि के लिए मौसम पूर्वानुमान जारी करने के लिए जिम्मेदार है। ये पूर्वानुमान कृषि, बाहरी घटनाओं और आपदा प्रतिक्रिया सहित विभिन्न गतिविधियों की योजना बनाने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- **कृषि मौसम विज्ञान के लिए विशेष सेवाएं प्रदान करना :** आईएमडी कृषि के लिए विशेष सेवाएं प्रदान करता है, जिसके तहत भारतीय किसानों को मौसम से संबंधित सलाह प्रदान करना शामिल है। ये सलाह भारत में फसल योजना, सिंचाई और कीट – प्रबंधन में सहायता करती हैं।
- **जलवायु की जानकारी प्रदान करना :** आईएमडी भारत में जलवायु और उससे संबंधित तापमान पैटर्न और वर्षा से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। यह जलवायु परिवर्तन के प्रभाव सहित जलवायु अध्ययन और आकलन में योगदान देता है।
- **चक्रवात ट्रैकिंग और चेतावनी :** आईएमडी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की निगरानी और ट्रैकिंग करता है। यह चक्रवातों के प्रभाव को कम करने के लिए जनता, तटीय अधिकारियों और आपदा प्रबंधन एजेंसियों को चेतावनियाँ और सलाह जारी करता है।
- **विमानन सेवाओं से संबंधित जानकारी प्रदान करना :** आईएमडी देश भर के हवाई अड्डों के लिए मौसम पूर्वानुमान प्रदान करके विमानन संचालन का समर्थन करता है। यह प्रतिकूल मौसम की स्थिति के दौरान सुरक्षित टेक-ऑफ और लैंडिंग सुनिश्चित करता है।
- **मौसम संबंधी अनुसंधान और विकास गतिविधियों की जानकारी प्रदान करना :** आईएमडी मौसम संबंधी अनुसंधान और विकास गतिविधियों में संलग्न है। यह मौसम पूर्वानुमानों और जलवायु पूर्वानुमानों की सटीकता बढ़ाने के लिए अपनी प्रौद्योगिकियों और कार्यप्रणाली को लगातार अद्यतन करता रहता है।
- **भूकंप की निगरानी संबंधी जानकारी प्रदान करना :** आईएमडी भूकंपीय गतिविधियों पर नज़र रखता है और भूकंप से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। भूकंप से संबंधित निगरानी भारत में समग्र आपदा प्रबंधन प्रयासों का एक हिस्सा होता है।

भारत मौसम विज्ञान द्वारा संचालित किए जाने वाले प्रमुख पहल :

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) मौसम संबंधी डेटा एकत्र करने के लिए वेधशालाओं का एक नेटवर्क संचालित करता है, जिसमें सतही मौसम केंद्र, ऊपरी हवा वेधशालाएं और तटीय वेधशालाएं शामिल हैं। **अतः भारत में मौसम विज्ञानं विभाग द्वारा संचालित किए जाने वाला प्रमुख पहल निम्नलिखित है –**

1. **राष्ट्रीय मानसून मिशन (एनएमएम)**
2. **मौसम ऐप**
3. **डॉपलर मौसम रडार**
4. **मेघदूत एग्रो**
5. **दामिनी बिजली**
6. **उमंग**

- भारत ने अपनी रिमोट सेंसिंग क्षमताओं को विकसित किया और मौसम की निगरानी के लिए उपग्रह लॉन्च किए, जिनमें भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली (INSAT) और भारतीय मौसम विज्ञान उपग्रह कार्यक्रम (कल्पना, INSAT-3DR, आदि) शामिल हैं।
- भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अपनी 150वीं वर्षगांठ पर जलवायु सेवाओं के लिए राष्ट्रीय ढांचा (NFCS) को लॉन्च किया है। **जो निम्नलिखित है –**
- **एनएफसीएस का लक्ष्य विज्ञान-आधारित जलवायु निगरानी और भविष्यवाणी सेवाओं के उत्पादन, उपलब्धता, वितरण और अनुप्रयोग को मजबूत करना है।**
- **एनएफसीएस विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) द्वारा शुरू किए गए ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज (जीएफसीएस) पर आधारित है।**
    1. **एनएफसीएस प्रमुख क्षेत्रों, अर्थात् आपदा जोखिम में कमी, कृषि और खाद्य सुरक्षा, जल संसाधन, सार्वजनिक स्वास्थ्य और ऊर्जा के लिए जलवायु जोखिमों को कम करेगा।**

निष्कर्ष / आगे की राह :

- भारत में मौसम विज्ञान विभाग का इतिहास प्रारंभिक अवलोकनों और ब्रिटिश काल की वेधशालाओं से लेकर आधुनिक और तकनीकी रूप से उन्नत भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना तक की क्रमिक विकास प्रक्रिया को दर्शाता है।
- वर्तमान समय में भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) मौसम पूर्वानुमान प्रदान करने, जलवायु रुझानों की निगरानी करने और मौसम संबंधी अनुसंधान में अंतरराष्ट्रीय प्रयासों में योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

Yojna IAS
योजना है तो सफलता है
yojnaias.com

- भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा भारत में मौसम पूर्वानुमान, जलवायु निगरानी और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में निरंतर प्रयास लोगों की सुरक्षा और कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान देता है।
- इसमें ऐसी कोई आवश्यकता नहीं बतायी गयी है कि मतदान केंद्र अधिकारियों के बैठने की जगह के परे भी शीतलन को प्राथमिकता दें।
- भारत में कई प्रमुख राजनेताओं द्वारा यह सुझाव दिया जाता रहा है कि भारत में होने वाले आम चुनाव को फरवरी-मार्च या अक्टूबर-नवंबर के सुहाने मौसम में कराया जाए, लेकिन मतदान खत्म होते ही यह चर्चा ठंडी पड़ जाती है। जिस पर अमल करने की अब सख्त जरूरत है।
- भारत के आकार और आयोजन संबंधी चुनौतियों के कारण चुनाव प्रक्रिया में नवाचार देखने को मिला है और बहु-चरणीय मतदान प्रक्रिया और EVM जैसे उपाय भी अपनाये गये हैं। हर साल तापमान का रिकॉर्ड टूटने तथा लू, जलवायु एवं स्वास्थ्य के बीच संबंध और भी ज्यादा स्पष्ट होने के साथ, अब वक्त आ गया है कि चुनाव प्रक्रिया इस संकट से निपटने के लिए रचनात्मक तरीकों पर विचार करे।

स्त्रोत – द हिन्दू एवं पीआईबी।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत मौसम विज्ञान विभाग के बारे में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए।

1. कालिदास ने 'मेघदूत' में मानसून की शुरुआत की तारीख का उल्लेख किया है।
2. जनवरी, 2024 में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर लिए।
3. इसकी स्थापना 15 जनवरी, 1924 को हुई थी।
4. भारत सन 1948 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) का सदस्य बन गया था।

नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए।

A. केवल 1, 3 और 4
B. केवल 1 और 2
C. केवल 1, 2 और 3
D. केवल 1 और 4

उत्तर – D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. 1. मौसम विज्ञान विभाग' के प्रमुख कार्यों को स्पष्ट करते हुए यह चर्चा कीजिए कि मौसम और जलवायु पूर्वानुमान के लिए क्षेत्रीय और वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी भूमिका के माध्यम से वैश्विक सुरक्षा और आर्थिक विकास में भारत मौसम विज्ञान विभाग का क्या योगदान है ? (UPSC CSE – 2019) (शब्द सीमा – 250 शब्द)

जैन धर्म की वर्तमान प्रासंगिकता

(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 – ' प्राचीन भारतीय इतिहास, कला एवं संस्कृति और भारत में सामाजिक – सांस्कृतिक सुधार आंदोलन ' खंड से और प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ' भारत में सामाजिक – सांस्कृतिक सुधार आंदोलन और जैन धर्म ' खंड से संबंधित है। इसमें योजना आईएएस टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख ' दैनिक करेंट अफेयर्स ' के अंतर्गत ' जैन धर्म की वर्तमान प्रासंगिकता ' से संबंधित है।)

Yojna IAS
योजना है तो सफलता है

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में 21 अप्रैल 2024 को भारत के प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में महावीर जयंती के शुभ अवसर पर भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किया है।
- भारत के प्रधानमंत्री ने भगवान महावीर की मूर्ति पर चावल और फूलों की पंखुड़ियों से श्रद्धांजलि अर्पित की और स्कूली बच्चों द्वारा भगवान महावीर के जीवन पर आधारित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम "वर्तमान में वर्धमान" नामक नृत्य नाटिका की प्रस्तुति भी देखी।
- इस अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री ने एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया है।

महावीर जयंती का परिचय :

- महावीर जयंती, जैन समुदाय में सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है। यह पर्व प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को मनाया जाता है।
- यह दिन वर्धमान महावीर के जन्म का प्रतीक है, जो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे और जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के उत्तराधिकारी बने थे।
- भगवान महावीर ने अपने जीवन में अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, और अस्तेय जैसे पंचशील सिद्धांतों का उपदेश दिया। उन्होंने सभी जीवों के प्रति करुणा और प्रेम का संदेश दिया।
- महावीर जयंती अहिंसा के इस महान संदेश को याद दिलाती है और लोगों को सभी प्राणियों के प्रति दयालु होने के लिए प्रेरित करती है।
- वस्तुतः महावीर जयंती पूरे विश्व के विभिन्न समुदायों को सामाजिक न्याय और समानता के लिए प्रेरित करती है।
- इस दिन को शांति और अहिंसा के संदेश को बढ़ावा देने के लिए भी मनाया जाता है।
- इस दिन जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा भगवान महावीर की मूर्ति के साथ एक जुलूस निकाला जाता है जिसे **रथ यात्रा** कहा जाता है।
- इस अवसर पर स्तवन अथवा जैन प्रार्थनाओं का पाठ करते हुए भगवान की मूर्तियों का औपचारिक स्नान कराया जाता है जिसे **अभिषेक** कहा जाता है।

भगवान महावीर का परिचय :

- जैन ग्रंथों और धार्मिक साहित्यों के अनुसार, भगवान महावीर का जन्म चैत्र माह (हिंदू कैलेंडर अनुसार) के शुक्ल पक्ष के 13वें

दिन वर्तमान बिहार के पटना से कुछ किलोमीटर दूर बिहार के कुंडलग्राम (अब कुंडलपुर) में हुआ था। जबकि ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार, महावीर जयंती आमतौर पर मार्च या अप्रैल महीने में मनाई जाती है।

- उस समय कुंडलग्राम वैशाली राज्य की राजधानी मानी जाती थी।
- महावीर जयंती जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर, भगवान महावीर के जन्म का उत्सव है। भगवान महावीर का जन्म ईसा पूर्व 599 में हुआ था।
- हालाँकि, महावीर के जन्म का वर्ष विवादित है। श्वेतांबर जैनियों के अनुसार, महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था जबकि दिगंबर जैन 615 ईसा पूर्व को उनका जन्म वर्ष मानते हैं।
- उनके पिता कुंडलग्राम के राजा सिद्धार्थ और उनकी माता जो लिच्छवी राज्य की राजकुमारी थी, रानी त्रिशला ने अपने पुत्र का (उनका) नाम वर्धमान रखा था।
- **बचपन में भगवान महावीर का नाम वर्धमान था यानी – ' जो बढ़ता है '।**
- श्वेतांबर समुदाय की मान्यताओं के अनुसार, महावीर की मां ने 14 सपने देखे थे, जिनकी बाद में ज्योतिषियों ने व्याख्या की, जिनमें से सभी ने यह कहा कि महावीर या तो सम्राट बनेंगे या ऋषि (तीर्थंकर) बनेंगे।
- **जब महावीर 30 वर्ष के हुए, तो उन्होंने सत्य की खोज में अपना सिंहासन और परिवार दोनों का त्याग कर दिया और ज्ञान की खोज में एक तपस्वी के रूप में 12 वर्षों तक निर्वासित जीवन जीते रहे।**
- **12 वर्षों तक कठिन तपस्या करने के बाद उन्हें 42 वर्ष की आयु में " कैवल्य " अर्थात "सर्वज्ञता या ज्ञान" की प्राप्ति हुई थी।**
- इस दौरान उन्होंने अहिंसा का प्रचार करते हुए सभी प्राणियों के प्रति श्रद्धा और दयालुता का व्यवहार किया।
- **उन्हें "महावीर" अर्थात (महान नायक) भी कहा जाता है।**
- **अपने समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के कारण उन्हें ' जैन या जितेन्द्रिय ' भी कहा जाता है।**
- **उन्हें निर्ग्रन्थ भी कहा जाता है। जिसका अर्थ है – " जो सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त है।**
- **उन्होंने पावा या पावापुरी (वर्तमान पटना के पास) में अपना पहला उपदेश दिया था।**
- **यह माना जाता है कि जब वर्धमान महावीर 72 वर्ष के थे, तब उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई।**

जैन धर्म क्या है ?

- जैन धर्म, जिसका नाम **'जिन'** शब्द से आया है, जिसका अर्थ है- **'विजेता'**
- अतः यह एक प्राचीन भारतीय धर्म है जो आत्म-ज्ञान और आत्म-साक्षात्कार के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति की शिक्षा देता है।
- **तीर्थंकर,** जिन्हें **'नदी निर्माता'** कहा जाता है, वे आध्यात्मिक गुरु होते हैं जो जैन धर्म के अनुयायियों को इस सांसारिक जीवन के प्रवाह से पार ले जाते हैं।
- जैन धर्म में अहिंसा को सर्वोच्च महत्व दिया गया है।
- **जैन धर्म के पांच महाव्रत हैं – अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरी न करना), अपरिग्रह (गैर-आसक्ति), और ब्रह्मचर्य (शुद्धता)। इन व्रतों का पालन करके, जैन अनुयायी कर्मों के बंधन से मुक्त होने की दिशा में अग्रसर होते हैं।**
- **जैन धर्म के तीन मुख्य सिद्धांत हैं – सम्यक् दर्शन (सही विश्वास), सम्यक् ज्ञान (सही ज्ञान), और सम्यक् चरित्र (सही आचरण)। इन्हें 'त्रिरत्न' भी कहा जाता है, जो जैन धर्म का मूलाधार हैं।**

- समय के साथ, जैन धर्म दो प्रमुख संप्रदायों में विभाजित हो गया। **एक श्वेतांबर के रूप में, जो सफेद वस्त्र पहनते हैं, वहीं दूसरा दिगंबर के रूप में , जो नग्न रहते हैं, के रूप में विभक्त हो गया।**
- जैन धर्म के ही दोनों संप्रदाय जैन धर्म के मूल सिद्धांतों का पालन करते हैं, लेकिन उनके अनुष्ठान और प्रथाएँ भिन्न- भिन्न होती हैं।
- जैन दर्शन का एक महत्वपूर्ण विचार यह है कि सभी जीवित प्राणियों को चोट न पहुँचाना चाहिए, जिसमें मनुष्य, जानवर, पौधे, और कीड़े तक शामिल हैं।
- जैन धर्म की मान्यता है कि पूरी दुनिया सजीव है, यहाँ तक कि पत्थरों, चट्टानों और पानी में भी जीवन है।
- **संथारा** की प्रथा जो जैन धर्म का ही हिस्सा है और जिसे **श्वेतांबर संप्रदाय संथारा** और **दिगंबर संप्रदाय सल्लेखना** कहते हैं, एक आमरण अनशन की प्रथा है जो जैन धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।
- **इस प्रथा को भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध घोषित करने के राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय को निखिल सोनी बनाम भारत संघ मामले में चुनौती दी गई थी, और यह मामला अभी भी भारत के सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है।**

जैन धर्म की वर्तमान प्रासंगिकता और निष्कर्ष :

- जैन धर्म का उदय भारतीय उपमहाद्वीप में हुआ और इसकी शिक्षाएँ आज भी विश्व भर में प्रासंगिक हैं।
- जैन धर्म के अनुयायी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के पांच महाव्रतों का पालन करते हैं। ये व्रत न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि समाजिक जीवन में भी एक आदर्श जीवन शैली की नींव के रूप में महत्वपूर्ण हैं।
- जैन धर्म की शिक्षाएँ व्यक्ति को आत्म-साक्षात्कार की ओर ले जाती हैं और समाज में अहिंसा और शांति के महत्व को बढ़ावा देती हैं।
- **जैन धर्म का मूल सिद्धांत- 'जियो और जीने दो' है, जो सभी जीवों के प्रति सम्मान और करुणा की भावना को प्रोत्साहित करता है।**
- भगवान महावीर ने अपने अनुयायियों को असत्य और मैथुन त्यागने, लालच और सांसरिक वस्तुओं का मोह छोड़ने, हर प्रकार की हत्याएं और हिंसा बंद करने का संदेश दिया था।
- वर्त्तमान समय में भी उनके उपदेशों में विश्व की सभी समस्याओं का निराकरण करने की अनूठी क्षमता है।
- जैन धर्म के प्रसार में भगवान महावीर की शिक्षाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। उनके उपदेशों ने न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में लोगों को एक नैतिक और आध्यात्मिक जीवन जीने की प्रेरणा दी है। उनकी शिक्षाओं ने लोगों को आत्म-साक्षात्कार की ओर अग्रसर किया है और एक अधिक समझदार और संवेदनशील समाज की नींव रखी है।
- इस प्रकार, महावीर जयंती केवल एक धार्मिक उत्सव भर ही नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक भी है।
- जैन धर्म की शिक्षाएँ और भगवान महावीर का जीवन, उनकी शिक्षाएँ और उनके उपदेश आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं, जितनी कि उनके समय में थीं, भगवान महावीर का उपदेश आज भी संपूर्ण विश्व के लिए शांति और सद्भाव की दिशा में एक मार्गदर्शक प्रकाश पुंज की तरह हैं।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में "स्थानकवासी" संप्रदाय का संबंध किससे है? (UPSC – 2018)

A. बौद्ध मत / धर्म ।

B. जैन मत / धर्म ।

C. वैष्णव मत / धर्म ।

D. शैव मत/ धर्म।

उत्तर – B

Q.2. प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा/से बौद्ध धर्म या जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था/थे? (UPSC – 2012)

1. तप और भोग की अति का परिहार ।
2. वेद – प्रमाण्य के प्रति अनास्था ।
3. कर्मकांडों और बाह्य आडम्बरों का निषेध।

निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन करें :

A. केवल 1

B. केवल 2 और 3

C. केवल 1 और 3

D. 1, 2 और 3

उत्तर – B

Q.3. अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका मूल सिद्धांत और दर्शन है? (UPSC – 2009)

A. बौद्ध धर्म ।

B. जैन धर्म ।

C. सिख धर्म।

D. वैष्णव धर्म ।

उत्तर – B

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. चर्चा कीजिए कि प्राचीन भारत में कठोर कर्मकांड, बलि – प्रथा और बहुदेववाद के दर्शन की अवधारणा पर आधारित वैदिक धर्म के बावजूद भी, छठी शताब्दी में भारत में एक मध्यममार्गी और एकेश्वरवादी विश्वास और दर्शन के विकास का मुख्य कारण क्या था और वर्तमान समय में वैश्विक शांति और सद्भाव के संदर्भ में जैन धर्म की क्या प्रासंगिकता है? तर्कसंगत विचार प्रस्तुत कीजिए।

(शब्द सीमा – 250 अंक -15)

Yojna IAS
योजना है तो सफलता है
www.yojnaias.com

सामान्य अध्ययन -2

(शासन, संविधान, राजनीति, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध)

Yojna IAS
योजना है तो सफलता है
yojnaias.com

पीएम सोलर रूफटॉप योजना

स्त्रोत – द हिन्दू एवं पीआईबी।

सामान्य अध्ययन – सौर ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, सतत विकास।

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में भारत की वित्त मंत्री ने 1 फरवरी 2024 संसद में अंतरिम बजट को पेश करते हुए भारत में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पीएम सोलर रूफटॉप योजना की घोषणा की है।
- इस योजना के तहत भारत में एक करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाएगी।
- इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य ऊर्जा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना और भारत के गरीब और मध्यम वर्ग लोगों के लिए बिजली के बिल को कम करना है।
- सरकार का लक्ष्य नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना और पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता को कम करके घरेलू स्तर पर सौर ऊर्जा को व्यापक रूप से अपनाने को प्रोत्साहित करना है।

भारत में ऊर्जा के क्षेत्र में सौर ऊर्जा का महत्व :

- अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के अनुसार, भारत को अगले 30 वर्षों में वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी ऊर्जा मांग वृद्धि का अनुभव होने की उम्मीद है।
- भारत में ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए ऊर्जा का एक विश्वसनीय और टिकाऊ स्रोत महत्वपूर्ण है, जिसके तहत भारत को कोयले जैसे ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों पर निर्भरता को कम करना आवश्यक है।
- हाल के दिनों में सौर ऊर्जा में विशेष रूप से महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है, जो 2010 में 10 मेगावाट से बढ़कर 2023 में 70.10 गीगावॉट हो गई है।

भारत की वर्तमान सौर ऊर्जा क्षमता :

- वर्तमान में नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2023 तक, भारत की कुल सौर क्षमता लगभग 73.31 गीगावाट (जीडब्ल्यू) है, जिसमें छत पर सौर ऊर्जा का योगदान लगभग 11.08 गीगावॉट है। ,
- भारत में सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में राजस्थान कुल सौर ऊर्जा क्षमता (18.7 गीगावॉट) के कारण भारत के सभी राज्यों में में अग्रणी है जबकि गुजरात छत पर कुल सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में (2.8 गीगावॉट) के साथ भारत में शीर्ष स्थान पर है।

- भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सौर ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जो लगभग 180 गीगावॉट है।
- भारत ने वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसके तहत 2030 तक 500 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

क्या होता है रूफटॉप सोलर पैनल ?

- रूफटॉप सोलर पैनल घर की छत पर लगाए जाते हैं। इन पैनलों में सोलर प्लेट लगी होती है। यह ऐसी तकनीक है जो सूर्य की किरणों से ऊर्जा सोखकर बिजली उत्पादन करती है।
- इसके पैनल में फोटोवोल्टिक बैटरी लगी होती है जो सौर ऊर्जा को बिजली में बदल देती हैं।
- सौर ऊर्जा के तहत उत्पादित बिजली भी वही काम करती है जो पावर ग्रिड से आई बिजली करती है।

पीएम सोलर रूफटॉप योजना :

- पीएम सोलर रूफटॉप योजना को वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया था। यह योजना आवासीय क्षेत्र में रूफटॉप सोलर स्थापित करने के क्षमता का विस्तार करने पर केंद्रित है।
- यह योजना का मुख्य उद्देश्य सौर ऊर्जा वितरण कंपनियों (DISCOMs) को केंद्रीय स्तर पर वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करना है।
- इस कार्यक्रम के तहत मार्च 2026 तक 40 गीगावॉट रूफटॉप सौर स्थापित क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- पीएम सोलर रूफटॉप योजना में हल के दिनों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इसके योजना के तहत मार्च 2019 में 1.8 गीगावॉट से बढ़कर नवंबर 2023 में 10.4 गीगावॉट हो गई है।
- इस योजना के तहत भारत का कोई भी उपभोक्ता निविदा परियोजनाओं या राष्ट्रीय पोर्टल (www.solarrooftop.gov.in) के माध्यम से इस योजना का लाभ ले सकता है। यह योजना उपभोक्ताओं को उनकी प्राथमिकताओं के आधार पर विक्रेता और सौर उपकरण चुनने का अधिकार देती है।
- इस योजना के तहत सौर संयंत्रों की स्थापना और निरीक्षण के बाद, सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दी जाती है।
- उपभोक्ताओं के पास राज्य विद्युत नियामक आयोगों (एसईआरसी) या संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों (जेईआरसी) द्वारा निर्धारित प्रचलित नियमों के अनुसार मौद्रिक लाभ प्राप्त करते हुए, अधिशेष सौर ऊर्जा को ग्रिड में निर्यात करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

यह योजना क्यों महत्वपूर्ण है ?

- इस योजना के तहत भारत को 2030 तक अपनी कार्बन उत्सर्जन तीव्रता को 33-35% तक कम करने के लिए पेरिस समझौते के तहत की गई अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने में सहायता मिलेगी।
- इस योजना के तहत भारत को जीवाश्म ईंधन पर अपनी ऊर्जा निर्भरता को कम करने में तथा ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी।
- भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास को भी गति देने के उद्देश्य से इस योजना के तहत भारत में लाखों घरों को स्वच्छ और सस्ती बिजली प्रदान किया जा सकता है।
- इसके साथ – ही – साथ भारत के खासकर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में जहां बिजली ग्रिड की पहुंच सीमित है, वहां तक ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों के माध्यम से ऊर्जा की पहुँच को सुनिश्चित किया जा सकता है।

पीएम सोलर रूफटॉप योजना की महत्वपूर्ण विशेषताएँ :

- इस योजना का मुख्य लक्ष्य भारत के निम्न और मध्यम आय वाले परिवारों को लक्षित करना है जो कम बिजली बिल और अधिशेष बिजली उत्पादन से अतिरिक्त आय के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- इस योजना के तहत भारत के उन पात्र परिवारों को उनकी श्रेणी और स्थान के आधार पर सब्सिडी, ऋण या प्रोत्साहन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, जिसके घरों तक अभी भी बिजली या उर्जा के अन्य स्त्रोत नहीं पहुँच पाया है।
- इस योजना के तहत भारत में लोगों के घरों को छत पर सौर प्रणाली की स्थापना, संचालन और रखरखाव में सरकार द्वारा तकनीकी सहायता भी प्रदान किया जायेगा।
- भारत में इस योजना को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा राज्य सरकारों, वितरण कंपनियों, बैंकों और अन्य हितधारकों के सहयोग से कार्यान्वित की जाएगी।

सौर ऊर्जा के लिए अन्य सरकारी पहल :

1. **सोलर पार्क योजना**
2. **अटल ज्योति योजना (अजय)**
3. **राष्ट्रीय सौर मिशन**
4. **सृष्टि योजना**
5. **अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए)**

भारत में पीएम सोलर रूफटॉप योजना में विद्यमान चुनौतियाँ :

- भारत में आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी रूफटॉप सौर स्थापना के लाभों और प्रक्रियाओं के बारे में उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता और जानकारी का अभाव है ।
- इस योजना के तहत होने वाली उच्च अग्रिम लागत और उपभोक्ताओं के लिए छत पर सौर प्रणालियों में निवेश करने के लिए आसान वित्तपोषण विकल्पों की कमी है ।
- भारत में नेट मीटरिंग, ग्रिड कनेक्टिविटी, टैरिफ संरचना आदि के संबंध में अनेक प्रकार की विनियामक बाधाएं और नीतिगत अनिश्चितताएं मौजूद है जो भारत के हर राज्यों में और अलग – अलग क्षेत्रों में अलग – अलग प्रकार की है।
- भारत में सौर ऊर्जा से संबंधित उपकरणों की खराब गुणवत्ता, इसकी स्थापना में और इसके रखरखाव की सेवाओं में ग्रिड एकीकरण और प्रबंधन आदि जैसे तकनीकी मुद्दे छत पर सौर प्रणालियों के प्रदर्शन और इसकी विश्वसनीयता को प्रभावित करते हैं।

समाधान की राह :

- प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना भारत में रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने के लिए सरकार की एक स्वागत योग्य पहल और एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है।
- यह योजना भारत को अपने नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों और जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ-साथ अपनी ऊर्जा सुरक्षा और सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ाने में भी मदद कर सकती है।
- वर्तमान समय में इस योजना में कई चुनौतियाँ विद्यमान है। अतः इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए विभिन्न हितधारकों के बीच प्रभावी कार्यान्वयन और समन्वय के माध्यम से उन चुनौतियों का समाधान खोजने की आवश्यकता है।
- भारत में इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए बड़े पैमाने पर मीडिया अभियानों, कार्यशालाओं, प्रदर्शनियों आदि के माध्यम से उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता फैलाना और उन तक पहुंच बढ़ने की जरूरत है।
- रूफटॉप सोलर सिस्टम की अग्रिम लागत और पेबैक अवधि को कम करने के लिए उपभोक्ताओं को, विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले परिवारों को वित्तीय प्रोत्साहन और सब्सिडी प्रदान करना अत्यंत जरूरी है ।
- छत पर सौर स्थापना और संचालन के लिए एकरूपता, स्पष्टता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए भारत के विभिन्न राज्यों और अलग – अलग क्षेत्रों में नियामक और नीति ढांचे को सुव्यवस्थित और सुसंगत बनाने की जरूरत है।
- भारत में इस योजना के तहत छत पर सौर उपकरणों की स्थापना और रखरखाव से संबंधित सेवाओं, ग्रिड के एकीकरण और प्रबंधन आदिसे जुड़े तकनीकी मानकों और उसकी गुणवत्ता में सुधार करने की जरूरत है।
- भारत में पीएम सोलर रूफटॉप योजना के तहत छत पर सौर प्रणालियों की सुरक्षा, दक्षता और स्थायित्व सुनिश्चित करने की भी जरूरत है।
- भारत के घरेलू निर्माताओं को भी कड़ी गुणवत्ता जांच के अधीन लाना चाहिए और उन्हें महज राष्ट्रवादी या स्वदेशी होने के आधार पर ही इसमें लगाने वाली लागत और गुणवत्ता से समझौता करने की जरूरत नहीं है।
- भारतीय सौर उद्योग को भी जहाँ एक और उच्च गुणवत्ता वाले निर्यातक बनना चाहिए, वहीं उसे यह भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत में यह योजना एक ऐसी सड़क की तरह है जिसमें कोई आसान मंजिल नहीं है और उन्हें एक लम्बी सफ़र को तय करना है, ताकि भारत में इस योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा सके और भारत के हर घर को अँधियारा से मुक्ति मिल सके।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. पीएम सोलर रूफटॉप योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. इस योजना में भारत में एक करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक फ्री बिजली प्रदान करने का प्रावधान है।
2. इससे भारत को जीवाश्म ईंधन पर अपनी ऊर्जा निर्भरता को कम करके ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी।
3. भारत ने वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
4. भारत में इस योजना को नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है।

उपरोक्त कथन/कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1, 2 और 3

B. केवल 2, 3 और 4

C. इनमें से कोई नहीं।

D. उपरोक्त सभी ।

उतर – D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में नवीकरणीय ऊर्जा का भविष्य क्या हैं ? भारत में पीएम सोलर रूफटॉप योजना के सफल क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौतियों एवं उसके समाधानों पर विस्तारपूर्वक चर्चा कीजिए।

भारत में राजकोषीय संघवाद बनाम केंद्र – राज्य संबंध

स्त्रोत – द हिन्दू एवं पीआईबी।

सामान्य अध्ययन – पेपर -2

खबरों में क्यों?

- हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केरल राज्य सरकार द्वारा दायर एक मुकदमे को संविधान पीठ के पास भेजने का आदेश दिया है, जिसमें भारत में केंद्र सरकार द्वारा के केरल राज्य को दिए जाने वाले उधारी में कटौती के फैसले को चुनौती दी गई थी।
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार द्वारा उधार सीमा लागू करने से पहले की स्थिति को बहाल करने वाले अंतरिम आदेश पर कोई भी आदेश देने से इनकार कर दिया है लेकिन उसे एक बड़ी पीठ को इसलिए सौप दिया है जो यह जांचने का अवसर देगा कि केंद्र सरकार किस हद तक राज्य की उधारी को विनियमित कर सकती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस मामले में उठाया गया यह कदम एक स्वागत योग्य घटनाक्रम है।
- केरल सरकार ने इस मामले में यह दावा किया है कि केंद्र सरकार की उधार सीमा प्रतिबंध भारत के राजकोषीय संघवाद के प्मूल स्वरुप और उसके प्रावधानों का उल्लंघन करता है।

भारत में राजकोषीय संघवाद बनाम केरल राज्य के बीच विवाद का मूल कारण :

1. केरल द्वारा भारत के उच्चतम न्यायालय में दायर यह मुद्दा केंद्र द्वारा केरल पर नेट उधार सीमा (एनबीसी) पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित है, जिससे भारत में किसी भी राज्य की उधार लेने की क्षमता सीमित हो जाती है।
2. केरल ने एनबीसी की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए यह तर्क दिया कि यह आवश्यक सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं को वित्तपोषित करने की राज्य की क्षमता को बाधित करता है।

भारत में राजकोषीय संघवाद का अर्थ :

- राजकोषीय शब्द की उत्पत्ति **'फिस्क'** शब्द से हुई है जिसका अर्थ है सार्वजनिक खजाना या सरकारी धन।
- अतः राजकोषीय नीति सरकार की राजस्व और व्यय नीति से संबंधित होती है।
- भारत में राजकोषीय संघवाद का तात्पर्य केंद्र और राज्यों के बीच संसाधन के वितरण को संदर्भित करना है।
- भारतीय संविधान की **7 वीं अनुसूची** में केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है।

- भारत के संविधान में ऐसी 3 सूचियाँ हैं जहाँ केंद्र और राज्य के बीच करों का वितरण किया जाता है।

वे निम्नलिखित है –

- संघ सूची
- राज्य सूची
- समवर्ती सूची

भारत में राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य :

भारत में राजकोषीय नीति के निम्नलिखित उद्देश्य हैं-

1. उच्च आर्थिक विकास
2. मूल्य स्थिरता
3. असमानता में कमी

उपरोक्त उद्देश्यों को निम्नलिखित तरीकों से पूरा किया जाता है –

1. उपभोग नियंत्रण – इस तरह, बचत और आय का अनुपात बढ़ाया जाता है।
2. निवेश की दर बढ़ाना.
3. कराधान, बुनियादी ढांचे का विकास।
4. प्रगतिशील करों का अधिरोपण.
5. कमजोर वर्गों को करों से छूट प्रदान की गई।
6. विलासिता की वस्तुओं पर भारी कर लगाना।
7. अनर्जित आय को हतोत्साहित करना.

भारत में राजकोषीय नीति के मुख्य घटक :

भारत की राजकोषीय नीति के मुख्य रूप से तीन घटक होते हैं। जो निम्नलिखित है –

1. सरकारी रसीदें
2. सरकारी खर्च
3. सार्वजनिक ऋण

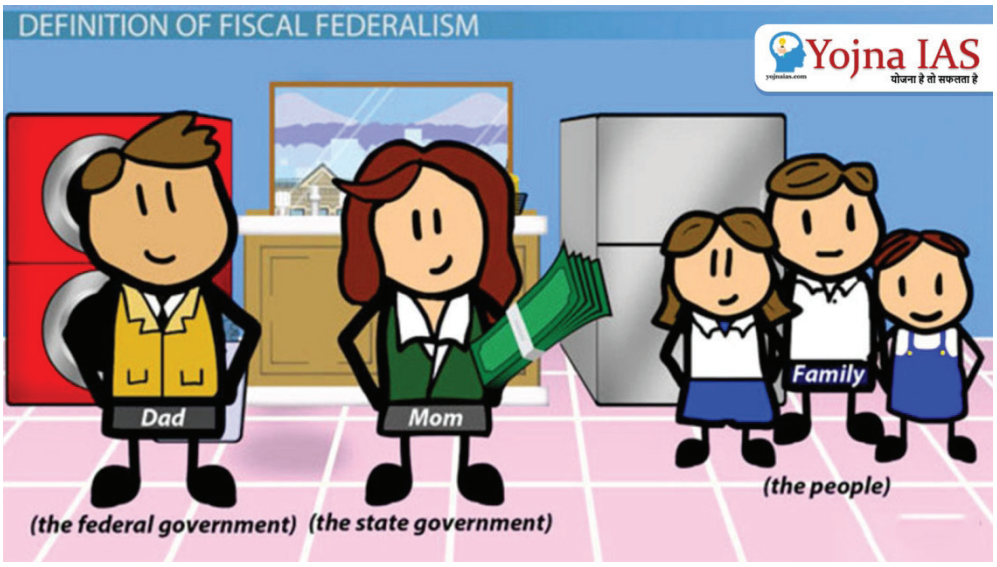

भारत में सरकार की सभी प्राप्तियाँ और सभी प्रकार के होने वाले व्यय निम्नलिखित निधियों में से जमा और निर्गत अथवा व्यय किया जाता है।

1. भारत की संचित निधि
2. भारत की आकस्मिकता निधि
3. भारत का सार्वजनिक खाता

शुद्ध/ नेट उधार सीमा (एनबीसी) :

- नेट उधार सीमा (एनबीसी) भारत में राज्यों की उधार क्षमता पर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला प्रतिबंध होता है। जिसमें यह उस धन की मात्रा को सीमित करता है जिसके तहत भारत में कोई भी राज्य खुले बाजार से या विभिन्न स्रोतों से कोई भी उधार ले सकता है।
- दिसंबर 2023 तक, भारत में राज्यों के लिए सामान्य शुद्ध उधार सीमा ₹8,59,988 करोड़ या राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3% है।
- हालाँकि, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में भाग लेने के लिए भारत के 22 राज्योंको ₹60,880 करोड़ की अतिरिक्त उधार सीमा को मंजूरी दे दी है।
- एनबीसी का मुख्य उद्देश्य राज्य के वित्त को विनियमित करना, अत्यधिक उधार लेने से रोकना तथा भारत में राजकोषीय अनुशासन को सुनिश्चित करना है।

एनबीसी के अंतर्गत शामिल अतिरिक्त – बजटीय उधार :

- केंद्र ने राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों द्वारा लिए गए कर्ज को एनबीसी में शामिल किया है। जैसे, कई राज्यों के वैधानिक निकाय (जैसे कि केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड) एनबीसी की 3% सीमा से अधिक अतिरिक्त ऋण नहीं जुटा सकते हैं। इस कदम ने राज्य के वित्त को विनियमित करने के केंद्र सरकार के अधिकार के संबंध में संवैधानिक चिंताओं को बढ़ा दिया है ।

एनबीसी के मामले में केरल का तर्क :

- **राज्यों की राजकोषीय स्वायत्तता :** केंद्र के द्वारा एफआरबीएम अधिनियम, 2003 में किया गया संशोधन राज्य की राजकोषीय स्वायत्तता का उल्लंघन करता है ।
- **उधार सीमा :** केंद्र के संशोधनों ने केरल की उधार सीमा को काफी कम कर दिया है, जिससे राज्य के वित्तीय संकट प्रबंधन पर असर पड़ा है ।

- **संवैधानिक उल्लंघन :** केरल का तर्क है कि केंद्र की कार्रवाई राज्य के विधायी क्षेत्र का अतिक्रमण है, जो संविधान की 7 वीं अनुसूची के प्रावधानों का उल्लंघन है।
- **वित्तीय संकट :** राज्य को डर है कि हस्तक्षेप के बिना, लगाए गए वित्तीय अवरोधों का दीर्घकालिक हानिकारक प्रभाव हो सकता है।
- **एकमुश्त पैकेज :** सुप्रीम कोर्ट द्वारा केरल को अगले वित्तीय वर्ष के लिए कड़ी शर्तें लगाते हुए धन की कमी से निपटने में मदद करने का सुझाव दिया गया था। राज्य ने 5000 करोड़ रुपये का ऋण अस्वीकार कर दिया क्योंकि उसे ऋण के रूप में लगभग 10,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।

केंद्र सरकार का तर्क :

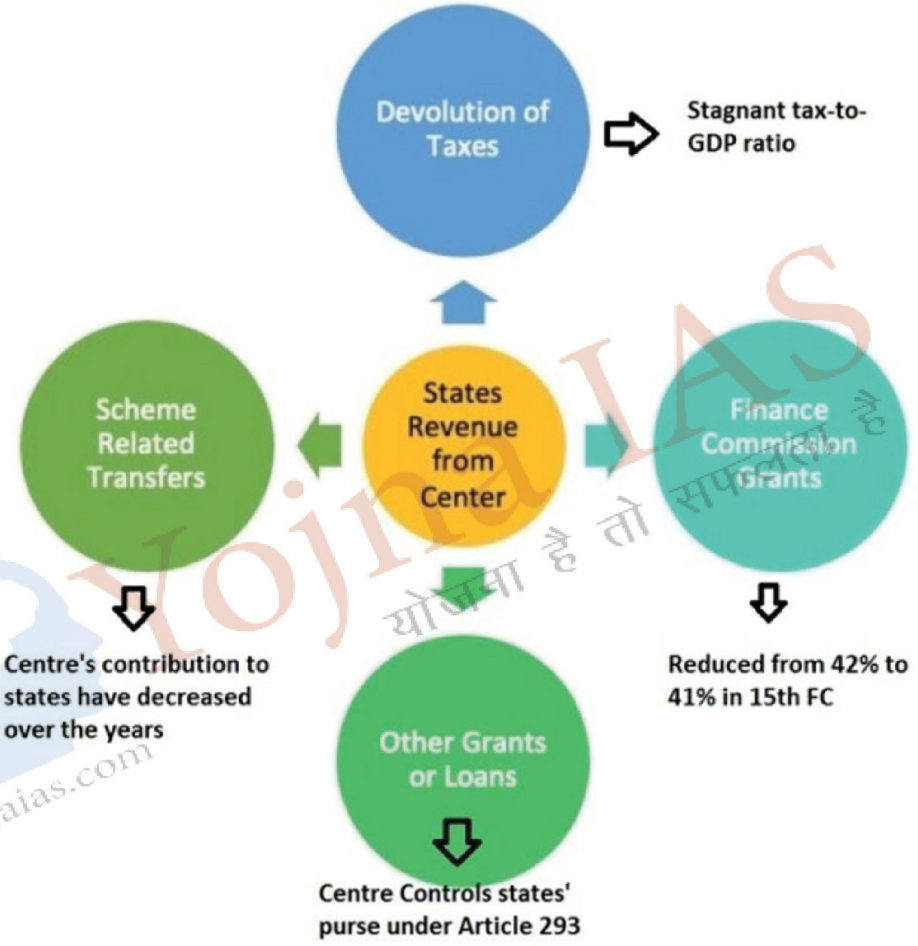

- **राज्य का वित्तीय संकट :** इस मामले में केंद्र का तर्क है कि केरल की वित्तीय संकट राज्य के कुप्रबंधन और अपव्यय के कारण है, न कि उधार लेने की सीमा के कारण है।
- **एफआरबीएम अधिनियम 2003 :** केंद्र और राज्यों के बीच राजकोषीय लेनदेन एफआरबीएम अधिनियम, 2003 द्वारा शासित होते हैं, जिसमें उधार लेने की सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 3% के आधार पर निर्धारित की जाती है।
- **15वां वित्त आयोग की सिफारिशें :** केंद्र ने 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों का हवाला देते हुए उधार सीमा में ढील देने से इनकार कर दिया है। इसने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पार करने और वेतन पर उच्च व्यय के कारण केरल को **"अत्यधिक ऋणग्रस्त राज्य "** के रूप में दिखया है। केंद्र ने कहा कि उसका एकमुश्त पैकेज प्रस्ताव (5000 करोड़ रुपये) सख्त शर्तों के साथ आता है ताकि अन्य राज्यों को समान पैकेज के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाने से रोका जा सके।

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम (एफआरबीएमए), 2003 :

- भारत में FRBM अधिनियम का मुख्य उद्देश्य सरकार पर राजकोषीय अनुशासन लागू करना है। अतः इस अधिनियम के तहत सरकार को अपने राजकोषीय नीति को अनुशासित तरीके से या जिम्मेदार तरीके से संचालित किया जाना चाहिए यानी सरकारी घाटे या उधार को उचित सीमा के भीतर रखा जाना चाहिए और सरकार को अपने राजस्व के अनुसार अपने व्यय की योजना बनानी चाहिए ताकि उधार सीमा के भीतर रहे।

भारत में राज्य की उधारी को कैसे विनियमित किया जाता है ?

- **अनुच्छेद 293 :** यह राज्यों को वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करता है, जिससे उन्हें राज्य के समेकित कोष से गारंटी पर केवल भारत के क्षेत्र के भीतर से उधार लेने की अनुमति मिलती है।
- **एफआरबीएम अधिनियम 2003 :** राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 को राजकोषीय प्रबंधन में अंतर-पीढ़ीगत इक्विटी सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। यह केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के लिए राजकोषीय घाटे और उधार की सीमा निर्धारित करता है।
- **वित्त आयोग :** भारत में वित्त आयोग समय-समय पर राजकोषीय मामलों के संबंध में सिफारिशें करता है, जिसमें राज्यों के लिए उधार सीमा भी शामिल है, यह आर्थिक स्थितियों, राजकोषीय स्वास्थ्य और विकासात्मक आवश्यकताओं जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए राज्यों के लिए उधार सीमा निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
- **राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम :** प्रत्येक राज्य का अपना राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम हो सकता है, जो राज्य के भीतर उधार लेने और राजकोषीय प्रबंधन के लिए सीमाओं और दिशानिर्देशों को परिभाषित करता है।
- **केंद्र की भूमिका :** यह वित्तीय मामलों की देखरेख में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें वित्त आयोग जैसे निकायों की सिफारिशों के आधार पर राज्यों के लिए उधार सीमा को मंजूरी देना भी शामिल है। यह विधायी परिवर्तनों, एफआरबीएम अधिनियम जैसे मौजूदा कानूनों में संशोधन, या अतिरिक्त धन देने में विवेक का प्रयोग करके या असाधारण परिस्थितियों में उधार लेने की बाधाओं में ढील देकर राज्य की उधार सीमा को प्रभावित कर सकता है।
- **ऋण चुकाना :** राज्य की उधारी का उपयोग लाभदायक निवेशों के बजाय चल रहे खर्चों के लिए किया जाता है, जिससे इसकी क्रेडिट रेटिंग प्रभावित होती है।
- **राजस्व सृजन :** राज्य का राजस्व सृजन उसकी व्यय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है, राज्य जीएसटी सहित करों से राजस्व पर बहुत अधिक निर्भर करता है लेकिन आर्थिक गतिविधि में उतार-चढ़ाव और बाहरी कारक कर संग्रह को प्रभावित करते हैं।
- **व्यय प्रणाली :** वेतन, पेंशन और सब्सिडी जैसी वस्तुओं पर उच्च स्तर का आवर्ती व्यय होता है जो राज्य में वित्तीय असंतुलन

पैदा करता है।

- **प्राकृतिक आपदाएँ :** केरल प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूस्खलन आदि से ग्रस्त है, जो बुनियादी ढांचे को व्यापक नुकसान पहुंचा सकता है और आर्थिक गतिविधियों को बाधित कर सकता है।

समाधान / आगे का रास्ता :

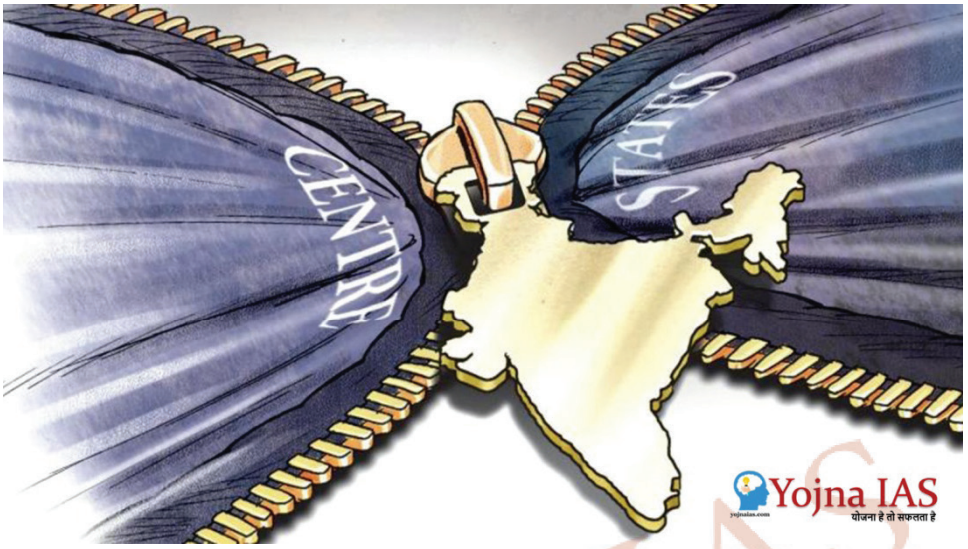

- केरल की चुनौती राजकोषीय संघवाद और वित्तीय प्रबंधन में राज्य की स्वायत्तता पर एक महत्वपूर्ण संवैधानिक विवाद को उजागर करती है। राज्य का तर्क है कि राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों के ऋण और सार्वजनिक खाते की शेष राशि सहित उधार लेने पर केंद्र के प्रतिबंध, उसके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। यह कानूनी लड़ाई केंद्रीय निरीक्षण और राज्य की वित्तीय स्वतंत्रता के बीच तनाव को रेखांकित करती है, जो संभावित रूप से भारत में संघीय-राज्य वित्तीय संबंधों की गतिशीलता को नया आकार दे रही है।
- **15वें वित्त आयोग की सिफारिशों की पुनः समीक्षा करना :** 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों से उत्पन्न होने वाले मुद्दों की फिर से जांच की जा सकती है। राज्य अपनी चिंताओं को वित्त आयोग या केंद्रीय वित्त मंत्रालय के साथ साझा सकते हैं, जिससे राज्यों को अपनी राजकोषीय स्थिरता को बनाए रखते हुए अपनी वित्तीय स्वायत्तता का उल्लंघन न करना पड़े ।
- **न्यायिक समीक्षा और न्यायिक स्पष्टीकरण की जरूरत :** एनबीसी के मामले में केरल ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शरण ली है। अतः इसका एक समाधान अनुच्छेद 293(3) और अनुच्छेद 266(2) के संबंध में एनबीसी की संवैधानिक वैधता की न्यायिक समीक्षा है। न्यायालय की व्याख्या राज्य के उधार पर केंद्र के अधिकार की संवैधानिक सीमाओं से संबंधित विवादों को हल कर सकती है।
- **सहकारी संघवाद को मजबूत करने की जरूरत :** जीएसटी परिषद या विशेष रूप से बुलाई गई राजकोषीय नीति परिषद जैसे मंचों के माध्यम से केंद्र और राज्यों के बीच नियमित उच्च-स्तरीय बैठकें बातचीत को सुविधाजनक बनाने में मदद कर सकती हैं। इन बैठकों का उद्देश्य उधार सीमा पर बातचीत करना और यह सुनिश्चित करना होगा कि राज्यों के पास अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त वित्तीय छूट हो।
- **विधायी कार्रवाई :** संसद राज्य के उधारों पर केंद्रीय निगरानी के दायरे को स्पष्ट करने के लिए कानून बनाने या मौजूदा कानूनों (संवैधानिक सीमाओं के अधीन) में संशोधन करने पर विचार कर सकती है। इसे राजकोषीय संघवाद के संतुलन का सम्मान करना चाहिए और राज्यों के साथ व्यापक परामर्श के बाद तैयार किया जाना चाहिए।
- **राज्य स्तर पर राजकोषीय उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना :** राज्य अपने राजकोषीय प्रबंधन को मजबूत करने के लिए सक्रिय कदम उठा सकते हैं , जैसा कि केरल ने केरल राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम के माध्यम से किया है। स्पष्ट घाटे के लक्ष्य और बजट प्रबंधन प्रथाओं को निर्धारित करके, राज्य राजकोषीय विवेक के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित कर सकते हैं, जिससे संभावित रूप से केंद्र के साथ उनकी बातचीत की शक्ति बढ़ सकती है।
- **सार्वजनिक खाता प्रबंधन पर आम सहमति बनाना :** एनबीसी के भीतर सार्वजनिक खाता निकासी को शामिल करने के मुद्दे को सभी राज्यों के बीच व्यापक सहमति बनाकर संबोधित किया जा सकता है, जिसे बाद में ऐसे लेनदेन को उधार सीमा से

बाहर करने के लिए संयुक्त मोर्चे पर केंद्र के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। .

- **आर्थिक सुधार और विकास संवर्धन को बढ़ावा देकर :** आर्थिक सुधारों के माध्यम से कर आधार का विस्तार करना , निवेश के माहौल को बढ़ावा देना और राज्य के स्वयं के स्रोत राजस्व में वृद्धि को बढ़ावा देना, उधार पर निर्भरता के बिना राज्य के खर्च के लिए पर्याप्त धन सुनिश्चित करने के स्थायी तरीके हो सकते हैं।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में राजकोषीय संघवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. संविधान की 7 वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण से संबंधित है।
2. भारत में राज्यों की उधार क्षमता पर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाले प्रतिबंध को शुद्ध उधार सीमा (एनबीसी) कहा जाता है।
3. राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों द्वारा लिए गए कर्ज को केंद्र द्वारा एनबीसी में शामिल किया जाता है।
4. केंद्र द्वारा राज्यों के लिए उधार सीमा प्रतिबंध निर्धारित करना भारत के राजकोषीय संघवाद के प्मूल स्वरुप और उसके प्रावधानों का उल्लंघन करता है।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1, 2 और 3

B. केवल 2, 3 और 4

C. केवल 1, 3 और 4

D. इनमें से सभी।

उत्तर – D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. हाल के वर्षों में सहकारी संघवाद की अवधारणा पर तेजी से जोर दिया गया है। सहकारी संघवाद के मौजूदा ढांचे में व्याप्त कमियों पर प्रकाश डालते हुए यह चर्चा कीजिए कि राजकोषीय संघवाद किस हद तक इन कमियों का समाधान करेगा ? (UPSC CSE 2015)

Q.2 आप कहां तक सोचते हैं कि सहयोग, प्रतिस्पर्धा और टकराव ने भारत में संघ की प्रकृति को आकार दिया है? अपने उत्तर की पुष्टि के लिए कुछ हालिया उदाहरण उद्धृत करें। (UPSC CSE – 2020)

Yojna IAS
योजना है तो सफलता है
yojnaias.com

वीवीपीएटी बनाम मतों की पुनर्गणना एवं मत – सत्यापन

(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के सामान्य अध्ययन पेपर 2 के भारतीय संविधान, शासन और राजव्यवस्था खंड के अंतर्गत 'भारत में पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया और चुनाव सुधार' से संबंधित है। इसमें योजना आईएएस टीम के इनपुट भी शामिल हैं।)

ख़बरों में क्यों ?

- हाल ही में भारत के चुनाव आयोग द्वारा भारत के लोकसभा चुनाव 2024 के विभिन्न चरणों और तारीखों की घोषणा की गई है।
- भारत में होनेवाले लोकसभा आम चुनाव 2024 के विभिन्न चरणों की घोषणा के साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा भारत के उच्चतम न्यायालय में VVPAT पर्चियों का EVM में पड़े वोटों से मिलान करने के संबंध में एक याचिका दायर हुई है।

- भारत के उच्चतम न्यायलय के न्यायमूर्ति जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने भारत में चुनाव सुधारों के संबंध में दायर हुई इस याचिका पर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
- कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भारत के उच्चतम न्यायलय के इस फैसले का समर्थन करते हुए कहा है कि – **“ईवीएम में जनता का विश्वास बढ़ाने और भारत में होने वाले आम चुनावों में चुनावी प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए 100 प्रतिशत वीवीपैट (VVPAT) का इस्तेमाल होना चाहिए।”**
- वर्तमान समय में भारत में होने वाले आम चुनावों में वोटों के गणना के सत्यापन के लिए 5 रैंडम मतदान केंद्रों की वीवीपैट पेपर पर्चियों का ईवीएम से मिलान किया जाता है।
- भारत में होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक चुनावी प्रक्रिया है, जिसमें करीब 900 मिलियन से अधिक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) का उपयोग करके भारत के मतदाता अपना मत डालेंगे और इस चुनावी प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे।

वीवीपीएटी (VVPAT) का परिचय :

Yojna IAS
yojnaias.com

- **वीवीपीएटी (VVPAT) का पूरा नाम** – वोटर वेरिफ़िएबल पेपर ऑडिट ट्रेल्स है, जो चुनाव प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से जुड़ी मशीन होती हैं। जब कोई मतदाता ईवीएम का उपयोग करके वोट डालता है, तो वीवीपैट मतदाता की पसंद को प्रदर्शित करने वाली एक पेपर स्लिप प्रिंट करता है। यह पर्ची कुछ सेकंड के लिए कांच के पीछे दिखाई देती है, जिससे मतदाता इसे बॉक्स में जमा करने से पहले अपनी पसंद को सत्यापित कर सकता है।
- वोटर वेरिफ़िएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) मतपत्र रहित मतदान प्रणाली का उपयोग करके मतदाताओं को फीडबैक प्रदान करने की एक विधि है।
- वीवीपीएटी का उद्देश्य वोटिंग मशीनों के लिए एक स्वतंत्र सत्यापन प्रणाली है, जिसे मतदाताओं को यह सत्यापित करने की अनुमति देने के लिए और संभावित चुनाव धोखाधड़ी या खराबी का पता लगाने के लिए, और संग्रहीत इलेक्ट्रॉनिक परिणामों का ऑडिट करने का साधन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि उनका वोट सही ढंग से डाला गया है।
- इसमें उम्मीदवार का नाम (जिसके लिए वोट डाला गया है) और पार्टी / व्यक्तिगत उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह शामिल होता है।

भारत के आम चुनावों में वीवीपीएटी के उपयोग करने की पृष्ठभूमि :

- भारत के आम चुनावों में वीवीपीएटी के उपयोग करने का विचार पहली बार 2010 में भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जब कई राजनीतिक दलों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) की विश्वसनीयता और सुरक्षा के बारे में चिंता जताई थी। ईसीआई ने विभिन्न राज्यों में वीवीपीएटी मशीनों के कई क्षेत्रीय परीक्षण और प्रदर्शन किए और विभिन्न हितधारकों से इस बारे में प्रतिक्रिया भी मांगी थी।
- वर्ष 2013 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ECI को चरणबद्ध तरीके से VVPAT लागू करने का निर्देश दिया था।
- भारत के उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2017 में ECI को भारत में आयोजित होने वाले भविष्य के सभी चुनावों में ईवीएम के साथ VVPAT का उपयोग करने का आदेश दिया था।

भारत के आम चुनावों में वीवीपीएटी का महत्व :

- यह मतदाताओं को यह सत्यापित करने की अनुमति देता है कि उनके वोट उनके पसंद के अनुसार ही डाले गए हैं।
- इससे ईवीएम द्वारा वोटों की रिकॉर्डिंग में किसी भी विसंगति या हेरफेर को रोका जाता है।

Yojna IAS
योजना है तो सफलता है

- यह संग्रहीत इलेक्ट्रॉनिक परिणामों का ऑडिट करने का साधन प्रदान करता है और किसी भी विवाद या संदेह के मामले में वोटों की क्रॉस-चेकिंग को सक्षम बनाता है।
- यह भ्रष्ट या ख़राब वोटिंग मशीनों या कर्मियों द्वारा वोटों को बदलने या नष्ट करने में एक अतिरिक्त बाधा के रूप में कार्य करता है।
- यह भारत में आयोजित होने वाली चुनावी प्रणाली में मतदाताओं के विश्वास को बढ़ाता है और ईवीएम के खिलाफ लगाए गए किसी भी तरह के आरोपों या शिकायतों की गुंजाइश को कम करता है।

वीवीपीएटी की विशेषताएँ :

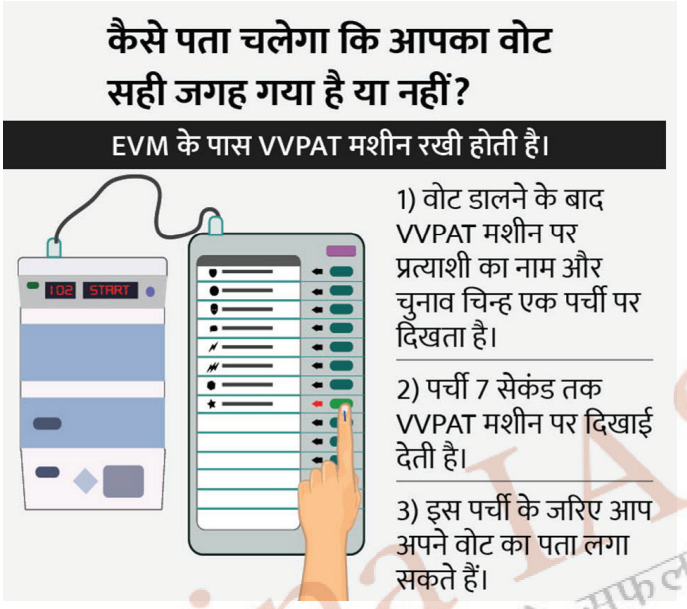

- वीवीपीएटी मशीन ईवीएम से जुड़ा एक प्रिंटर जैसा उपकरण है। जब कोई मतदाता चुने हुए उम्मीदवार के खिलाफ ईवीएम पर बटन दबाता है, तो वीवीपीएटी मशीन उम्मीदवार के क्रम संख्या, नाम और उसके चुनाव चिन्ह के साथ एक पेपर स्लिप प्रिंट करता है।
- वीवीपीएटी मशीन में एक पारदर्शी खिड़की के द्वारा मतदाता को पर्ची सात सेकंड के लिए दिखाई देती है, जिसके बाद यह स्वचालित रूप से कट जाती है और एक सीलबंद ड्रॉप बॉक्स में गिर जाती है।
- वीवीपीएटी को बैटरी की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि यह पावर पैक बैटरी पर चलता है।
- सामान्य तौर पर एक वीवीपीएटी के वोटों को गिनने में एक घंटे का समय लगता है।
- वीवीपीएटी को पहली बार सितंबर 2013 में नागालैंड के तुएनसांग जिले में नोकसेन विधानसभा सीट के उपचुनाव में किया गया था।
- वीवीपीएटी में एक प्रिंटर और एक वीवीपीएटी स्टेटस डिस्प्ले यूनिट (VSDU) लगा होता है।
- पुनर्गणना या ऑडिट के मामले में यह पर्ची केवल मतदान अधिकारियों द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वीवीपीएटी से संबंधित उठाए गए सुधारात्मक कदम :

- ईसीआई ने लगभग 3,000 करोड़ रुपये की लागत से दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल) से 16 लाख से अधिक वीवीपीएटी मशीनें खरीदी हैं।
- ईसीआई ने वीवीपीएटी मशीनों के उपयोग और संचालन पर मतदान अधिकारियों, सुरक्षा कर्मियों, राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और मतदाताओं के लिए व्यापक प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं।
- ईसीआई ने निष्पक्षता और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए ईवीएम और वीवीपीएटी के आवंटन और वितरण के लिए एक यादृच्छिककरण प्रक्रिया शुरू की है।

- ईसीआई ने आदेश दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक मतदान केंद्र को ईवीएम वोटों के साथ वीवीपैट पर्चियों की गिनती के लिए यादृच्छिक रूप से चुना जाएगा।
- ईसीआई ने ईवीएम और वीवीपीएटी परिणामों के बीच किसी भी बेमेल या विसंगति के मामले में वीवीपीएटी पर्चियों की गिनती के लिए एक तकनीकी प्रोटोकॉल भी विकसित किया है।

भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष वीवीपैट से संबंधित चुनौतियाँ :

- वीवीपीएटी में दोषपूर्ण हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर बग, बिजली में उतार-चढ़ाव, पर्यावरणीय स्थिति, मानवीय त्रुटियों या तोड़फोड़ जैसे विभिन्न कारकों के कारण वीवीपीएटी मशीनों में तकनीकी खराबी, खराबी, जाम होने या प्रिंटिंग त्रुटियों का खतरा होता है।
- अकेले ईवीएम की तुलना में वीवीपीएटी मशीनों को अधिक रखरखाव, भंडारण स्थान, सुरक्षा व्यवस्था और परिवहन लागत की आवश्यकता होती है।
- वीवीपीएटी मशीनें मतदान प्रक्रिया के समय और जटिलता को बढ़ाती हैं, क्योंकि मतदाताओं को मतदान केंद्र छोड़ने से पहले पेपर स्लिप के सामने आने और उसे सत्यापित करने का इंतजार करना पड़ता है।
- मतदाता सत्यापन सुनिश्चित करने में वीवीपीएटी मशीनें पूरी तरह से प्रभावी नहीं हो सकती हैं , क्योंकि कुछ मतदाता पेपर स्लिप को ठीक से जांच या समझ नहीं पाते हैं, या मतदान अधिकारियों को किसी विसंगति या शिकायत की रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं।
- वीवीपीएटी मशीनें चुनाव परिणामों के बारे में सभी विवादों या संदेहों को हल करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती हैं, क्योंकि पेपर पर्चियों की गिनती कुछ मतदान केंद्रों तक ही सीमित है और मानवीय त्रुटियों या हेरफेर के अधीन है।

समाधान / आगे बढ़ने का रास्ता :

- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम की अखंडता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए वीवीपीएटी को व्यापक रूप से सर्वोत्तम अभ्यास माना जाता है। हालाँकि, यह कुछ तकनीकी और परिचालन संबंधी चुनौतियाँ भी प्रस्तुत करता है जिन्हें सावधानीपूर्वक समाधान करने की आवश्यकता है। भारत में चुनावों में लागू करने से पहले बड़े पैमाने पर वीवीपीएटी प्रणालियों का गहन परीक्षण और मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है।
- भारत में आम चुनावों में इसके उपयोग और सत्यापन के लिए पर्याप्त कानूनी और नियामक ढांचे को सुनिश्चित करना भी अत्यंत आवश्यक है।
- भारत में निर्वाचन आयोग को प्रत्येक राज्य/केंद्र-शासित प्रदेश के कुछ विधानसभाओं को चुनकर इसे सांख्यिकीय रूप से और ज्यादा महत्वपूर्ण बनाने के लिए पुनर्गणना के नमूने में बढ़ोतरी या फिर सिर्फ उन सीटों पर जहां जीत का अंतर बहुत ही कम (मसलन, कुल वोटों का एक फीसदी से भी कम) है, पुनर्गणना के नमूने को बढ़ाकर इस समस्या का समाधान किया सकता है। लेकिन पूर्ण पुनर्मतगणना पर जोर देना अतिशयोक्ति और ईवीएम में भरोसे की स्पष्ट कमी को दर्शाता है।
- भारत में होने वाले चुनावों में सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण वीवीपीएटी की पर्चियों के नमूने का सत्यापन ही पर्याप्त होना चाहिए।
- वीवीपीएटी प्रणाली भारत की चुनावी प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह मतदान प्रक्रिया की निष्पक्षता , सटीकता, पारदर्शिता और जन विश्वास को बढाता है।
- भारत की चुनावी प्रक्रिया में इसकी चुनौतियों और सीमाओं का समाधान करने के लिए इसमें निरंतर सुधार और नवाचार की भी

आवश्यकता है।

- ईसीआई को प्रत्येक चुनाव से पहले और बाद में वीवीपीएटी मशीनों का पर्याप्त परीक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण, अंशांकन और प्रमाणन सुनिश्चित करना चाहिए और किसी भी दोषपूर्ण या दोषपूर्ण मशीनों को तुरंत बदलना या मरम्मत करना चाहिए।
- ईसीआई को वीवीपैट मशीनों के उपयोग और संचालन पर मतदान अधिकारियों, सुरक्षा कर्मियों, राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और मतदाताओं के लिए नियमित प्रशिक्षण और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित करना चाहिए और किसी भी प्रश्न या शिकायत का प्रभावी ढंग से समाधान करना चाहिए।
- ईसीआई को ईवीएम वोटों के साथ-साथ वीवीपैट पर्चियों की रैंडम सैंपलिंग और गिनती बढ़ानी चाहिए और इस उद्देश्य के लिए मतदान केंद्रों के चयन के लिए वैज्ञानिक और पारदर्शी तरीका अपनाना चाहिए।

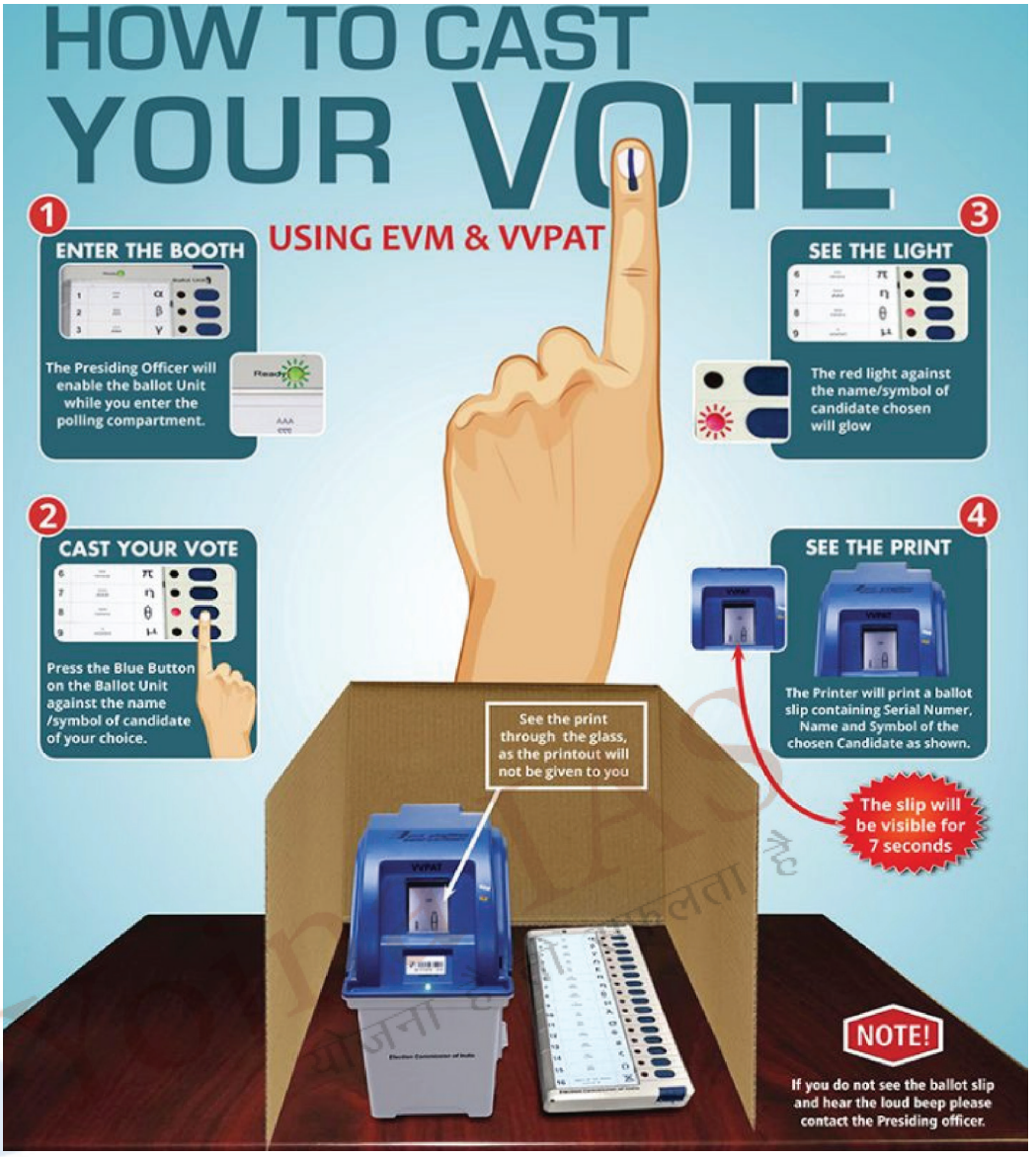

- ईसीआई को ईवीएम और वीवीपीएटी परिणामों के बीच किसी भी बेमेल या विसंगति के मामले में वीवीपैट पर्चियों की गिनती के लिए एक मजबूत और सुरक्षित प्रोटोकॉल विकसित करना चाहिए और प्रक्रिया का उचित दस्तावेजीकरण और सत्यापन सुनिश्चित करना चाहिए।
- भारत में निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए ईसीआई को अन्य तकनीकी समाधान या एंड-टू-एंड सत्यापन योग्य वोटिंग सिस्टम, ब्लॉकचेन-आधारित वोटिंग सिस्टम या ऑप्टिकल स्कैनर के साथ पेपर – आधारित वोटिंग जैसे विकल्प भी तलाशने चाहिए जो भारत में होने वाले आम चुनावों में वीवीपीएटी प्रणाली को प्रतिस्थापित कर सकें।

स्त्रोत – द हिंदू एवं पीआईबी।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में चुनाव सुधार की दिशा में वीवीपीएटी पर्चियों के पुनर्गणना से मत – सत्यापन की मांग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. भारत के आम चुनावों में वीवीपीएटी के उपयोग को भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा पहली बार 2010 में प्रस्तावित किया गया था।

2. यह चुनाव में होने वाले किसी भी प्रकार के कदाचार को रोकता है।
3. भारत में वीवीपीएटी मशीन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसी-आईएल) द्वारा बनाया गया है ।
4. इससे चुनाव में मतों से संबंधित किसी भी विवाद या संदेह के मामले में वोटों की क्रॉस-चेकिंग की जा सकती है।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 2, 3 और 4

B. केवल 1, 2 और 3

C. केवल 1, 3 और 4

D. इनमें से सभी।

उत्तर – D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने की मुख्य चुनौतियाँ को रेखांकित करते हुए यह चर्चा कीजिए कि वीवीपीएटी पर्चियों के पुनर्गणना से मत – सत्यापन की मांग भारत में चुनावी पारदर्शिता, निष्पक्षता और सार्वजनिक विश्वास को बढ़ाने में किस तरह सहायक है ?

इजराइल – फिलिस्तीन संघर्ष और अमेरिका की भूमिका

(यह लेख 'इंडियन एक्सप्रेस', 'द हिन्दू' 'जनसत्ता' और 'पीआईबी' के सम्मिलित संपादकीय के संक्षिप्त सारांश से संबंधित है। इसमें योजना IAS टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के विशेषकर 'अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड से संबंधित है। यह लेख 'दैनिक करंट अफेयर्स' के अंतर्गत 'इजराइल – फिलिस्तीन संघर्ष और अमेरिका की भूमिका' से संबंधित है।)

ख़बरों में क्यों ?

- हाल ही में 1 अप्रैल 2024 को दमिश्क में ईरानी दूतावास के एक उपभवन पर हमला हुआ है।
- यह हमला उस बहुआयामी संघर्ष, जो 7 अक्टूबर, 2023 से पूरे पश्चिम एशिया में फैल रहा है, का एक अग्रगामी कदम है।
- ईरान ने इस हमले के लिए इजराइल को दोषी बताया है।

- इस हमले में कुद्स फोर्स के सीरिया अभियान के प्रभारी शीर्ष कमांडर मोहम्मद रजा जाहेदी सहित 13 ईरानी मारे गए हैं।
- इजराइल ने न तो इन दावों की पुष्टि की है और न ही इस बात से इनकार किया है कि ऐसे हमलों के पीछे उसका हाथ था। लेकिन यह एक खुला रहस्य है कि वह इस पूरे इलाके में ईरानी सेना और परमाणु प्रतिष्ठानों को निशाना बनाकर कार्रवाई कर रहा है।
- 25 दिसंबर 2023 को सीरिया में एक संदिग्ध इजरायली हमले में ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) के वरिष्ठ सलाहकार रजी मौसवी की मौत हो गई थी।
- 1 अप्रैल 2024 का हमला इजरायल के पिछले हमलों से अलग इसलिए है क्योंकि इस हमले में एक दूतावास परिसर को निशाना बनाया गया है ।
- अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत किसी भी दूतावास और अन्य राजनयिक परिसरों को संरक्षित दर्जा प्राप्त होता है, जिसपर किसी भी परिस्थिति में हमला नहीं किया जा सकता है ।
- दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी, राजनयिक परिसरों पर शत्रु शक्तियों द्वारा हमला नहीं किया गया था।
- मई 1999 में बेलग्रेड में स्थित चीनी दूतावास पर जब अमेरिका द्वारा बमबारी की गई थी, तो तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने इसे एक दुर्घटना बताते हुए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी थी।
- दमिश्क में, हुए हमले का मकसद आईआरजीसी के एक समूह को मारना था। ईरान में कई लोग इसे युद्ध की कार्रवाई के रूप में देखते हैं।

इजराइल- फिलिस्तीन संघर्ष का मुख्य कारण :

- इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष का मुख्य कारण येरुशलमनामक शहर है ।
- येरुशलम एक ऐसा शहर है जो इज़राइल और वेस्ट बैंक के बीच की सीमा पर फैला हुआ है।
- यह यहूदी धर्म और इस्लाम दोनों के सबसे पवित्र स्थलों में से एक महत्वपूर्ण स्थल है।
- अतः इज़राइल और फिलिस्तीन दोनों ही इस येरुशलम शहर पर अपना कब्जा करना चाहता है।
- इस येरुशलम शहर को ही इज़राइल – फिलिस्तीन संघर्ष का मुख्य कारण माना जाता है।
- इसलिए इज़राइल-फिलिस्तीन संघर्ष का समाधान भी वह दोनों देश ही इसे ही बनाना चाहते हैं।

फ़िलिस्तीन क्या चाहता है ?

- फ़िलिस्तीन चाहता है कि इजरायल सन 1967 से पहले येरुशलम शहर की सीमाओं से हट जाए और वेस्ट बैंक और गाजा में एक स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य की स्थापना किया जाए।
- इजराइल- फिलिस्तीन संघर्ष में शांति वार्ता में आने से पहले इजराइल को येरुशलम शहर की बस्तियों में होने वाले सभी मानवीय विस्तार को रोक देना चाहिए और फिर इजराइल- फिलिस्तीन संघर्ष से संबंधित शांति वार्ता में शामिल होना चाहिए।
- फ़िलिस्तीन यह भी चाहता है कि सन 1948 में अपने घर खो चुके फ़िलिस्तीनी शरणार्थी को वापस अपने घर फ़िलिस्तीन आने की स्वतंत्रता मिल सके।
- फ़िलिस्तीन पूर्वी येरुशलम को स्वतंत्र फ़िलिस्तीन राज्य की राजधानी बनाना चाहता है।

इजराइल क्या चाहता है ?

- इजराइल येरुशलम पर संप्रभुता चाहता है।
- इजराइल को यहूदी राज्य के रूप में वैश्विक स्तर मान्यता चाहता है ।
- इजराइल दुनिया का एकमात्र देश है जो धार्मिक समुदाय के लिए बनाया गया है।
- फ़िलिस्तीनी शरणार्थियों की वापसी का अधिकार केवल फ़िलिस्तीन को है, इसराइल को नहीं है।

इजराइल – फिलिस्तीन संघर्ष में अमेरिका को आने का मुख्य कारण :

- संयुक्त राज्य अमेरिका में इज़राइल से अधिक यहूदी हैं। यहूदियों का अमेरिकी मीडिया और अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण नियंत्रण है।
- इज़राइल को हर साल लगभग 3 अरब डॉलर की प्रत्यक्ष विदेशी सहायता मिलती है, जो वर्तमान समय में अमेरिका के पूरे विदेशी सहायता बजट का लगभग पांचवां हिस्सा होता है।
- इजराइल – फिलिस्तीन संघर्ष के संबंध में अमेरिका मध्यस्थ के तौर पर अहम भूमिका निभा रहा है, लेकिन मध्यस्थ के रूप में इसकी विश्वसनीयता पर फ़िलिस्तीनियों द्वारा लंबे समय से सवाल उठाया ज रहा है ।

- इज़राइल की आलोचना करने वाले अधिकांश सुरक्षा परिषद निर्णयों को वीटो करने के लिए ओआईसी (इस्लामिक सहयोग संगठन) और अन्य अरब संगठनों द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की आलोचना भी की गई है ।
- संयुक्त राज्य अमेरिका फ़िलिस्तीन को राज्य का दर्जा प्राप्त होने के लिए किसी भी फ़िलिस्तीनी प्रयास को वीटो करने के अपने इरादे के बारे में मुखर रहा है। जिसके कारण फिलिस्तीन को वर्तमान समय में भी संयुक्त राष्ट्र में **'गैर – सदस्य पर्यवेक्षक'** का दर्जा' से ही संतुष्ट होना पड़ा है।
- ओबामा प्रशासन के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका-इज़राइल संबंधों में गिरावट देखी गई थी ।
- वर्ष 2015 के ईरान परमाणु समझौते से इज़राइल चिढ़ गया था और उसने इस समझौते के लिए अमेरिका की आलोचना भी की थी ।
- ओबामा प्रशासन ने संयुक्त राष्ट्र को एक प्रस्ताव पारित करने की अनुमति दी जिसने कब्जे वाले क्षेत्रों में इजरायल की बढ़ती

बस्तियों को अवैध घोषित कर दिया।

- उस मतदान तक, ओबामा प्रशासन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपनी वीटो शक्ति का उपयोग करके इज़राइल की आलोचना करने वाले प्रस्तावों को अवरुद्ध कर दिया था।
- ट्रम्प के नेतृत्व में राष्ट्रपति शासन के साथ, जो इज़राइल के प्रति अधिक झुकाव रखते थे, वेस्ट बैंक और गाजा में इज़राइल द्वारा अवैध बस्तियों में वृद्धि देखी गई थी।

इजराइल – फिलिस्तीन संघर्ष का निष्कर्ष या समाधान की राह :

- वर्तमान समय में जारी इजराइल – फिलिस्तीन संघर्ष का सबसे सटीक समाधान **" दो – राज्य समाधान "** है जो गाजा और पश्चिमी तट के अधिकांश हिस्से में फ़िलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करेगा, और बाकी ज़मीन इसराइल के लिए छोड़ देगा।
- इजराइल – फिलिस्तीन संघर्ष में दो-राज्य योजना सैद्धांतिक रूप से तो स्पष्ट है, लेकिन इसे व्यवहार में कैसे लाया जाए, इस पर अभी भी दोनों पक्षों में सहमती नहीं बन पाई हैं।
- एक राज्य समाधान (केवल फ़िलिस्तीन या केवल इज़राइल) एक व्यवहार्य विकल्प नहीं हो सकता है।
- शांति के लिए रोड मैप: यूरोपीय संघ, संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और रूस ने 2003 में एक रोड मैप जारी किया था, जिसमें फिलिस्तीनी राज्य के लिए एक स्पष्ट समय सारिणी की रूपरेखा दी गई थी।
- फ़िलिस्तीनी समाज का लोकतंत्रीकरण आवश्यक है जिसके माध्यम से नया विश्वसनीय नेतृत्व उभर सके।
- अब समय आ गया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जल्द ही दुनिया के सबसे कठिन संघर्ष का उचित और स्थायी शांतिपूर्ण समाधान ढूंढे।
- 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हमास के हमले से पहले भी पश्चिम एशिया में इजराइल और ईरान के बीच छाया युद्ध चल रहा था। लेकिन 7 अक्टूबर 2023 के बाद, इजराइल ने दोतरफा हमला शुरू कर दिया है।
- वह एक तरफ जहाँ 2.3 मिलियन लोगों वाले छोटे से फिलिस्तीनी इलाके गाजा पर पूर्ण आक्रमण कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ ईरान व उसके मिलिशिया नेटवर्क के खिलाफ सीरिया एवं लेबनान में दर्जनों हवाई हमले किया है।
- इजराइल ईरान को इस इलाके के सभी गैर-राजकीय मिलिशिया, चाहे वह हमास हो, हिजबुल्लाह, हौथिस या फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद हो, की धुरी के रूप में देखता है और वह अपने निकट पड़ोस में उनके प्रभाव को मिटाने के लिए दृढ़ संकल्पित है।
- गाजा में इजरायल का युद्ध योजना के मुताबिक नहीं चल रहा है।
- पिछले छह महीने से जारी इस इजराइल – फिलिस्तीन संघर्ष में गाजा को एक खुले कब्रिस्तान में बदल दिया है, जिसमें 33,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इन मारे गए लोगों में से अधिकांश महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं।
- इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू,के निर्देश पर 7 अक्टूबर 2023 को जो हमला हुआ था, अब इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर ही संघर्ष विराम करने तथा अपना इस्तीफा देने के लिए उनके ही देश के भीतर और विदेश में दबाव बढ़ रहा है।

- इजराइल और ईरान के बीच एक खुला युद्ध, जो अमेरिका को भी इसमें घसीट सकता है, इस पूरे इलाके के लिए एक सुरक्षा संबंधी आपदा और व्यापक पैमाने पर दुनिया के लिए एक आर्थिक दुःस्वप्न साबित होगा।
- अतः ईरान को इजरायल द्वारा बिछाए गए जाल में नहीं फंसना चाहिए।
- उसे रणनीतिक तौर पर धैर्य एवं संयम दिखाना चाहिए और इजराइल के सबसे महत्वपूर्ण राजनयिक एवं सैन्य समर्थक अमेरिका को अपने निकटतम सहयोगी को फिर से दुष्टता भरे कार्य करने से रोकना चाहिए।
- वर्तमान समय में अमेरिका को इजराइल पर लगाम लगानी होगी और ईरान को भी इस युद्ध में संयम रखना होगा।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. 1. इजराइल – फिलिस्तीन संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष का मुख्य कारण येरुशलम नामक शहर है।
2. येरुशलम यहूदी धर्म और इस्लाम दोनों के सबसे पवित्र स्थलों में से एक महत्वपूर्ण स्थल है।
3. येरुशलम इज़राइल और वेस्ट बैंक के बीच की सीमा पर स्थित है।
4. इजराइल – फिलिस्तीन संघर्ष का समाधान दो – राज्य सिद्धांत हो सकता है।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1, 2 और 3

B. केवल 2, 3 और 4

C. केवल 1, 3 और 4

D. इनमें से सभी।

उत्तर – D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष के प्रमुख कारणों को रेखांकित करते हुए यह चर्चा कीजिए कि इस संघर्ष में अमेरिका की क्या भूमिका है तथा वर्तमान में जारी इस संघर्ष का स्थायी समाधान क्या हो सकता है ?

नेपाल की संघीय संसद द्वारा बिम्सटेक चार्टर को अपनाना

(यह लेख 'इंडियन एक्सप्रेस', 'द हिन्दू' और 'पीआईबी' के सम्मिलित संपादकीय के संक्षिप्त सारांश से संबंधित है। इसमें योजना IAS टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के विशेषकर 'अंतर्राष्ट्रीय संस्थान/ संगठन' खंड से संबंधित है। यह लेख 'दैनिक करंट अफेयर्स' के अंतर्गत 'नेपाल की संघीय संसद द्वारा बिम्सटेक चार्टर को अपनाना' से संबंधित है।)

ख़बरों में क्यों ?

- हाल ही में 2 अप्रैल 2024 को नेपाल की संघीय संसद के निचले सदन में उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ द्वारा बिम्सटेक चार्टर के समर्थन से संबंधित प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया। नेपाल के निचले सदन में बिम्सटेक चार्टर के समर्थन के प्रस्ताव को बहुमत के साथ समर्थन किया।
- नेपाल के संविधान के अनुसार बिम्सटेक चार्टर को संसद द्वारा समर्थन के बाद ही नेपाल में लागू किया जा सकता है।

- नेपाल के अलावा, बिम्सटेक के अन्य छह सदस्य देशों ने अपनी-अपनी संसदों से बिम्सटेक चार्टर का समर्थन प्राप्त कर लिया है।
- नेपाल के संविधान के अनुच्छेद 279 (1) में प्रावधान है कि जिस संधि और समझौते में नेपाल को एक पक्ष बनना है, उसका अनु-समर्थन संघीय कानून के अनुसार किया जाएगा।
- नेपाल संधि अधिनियम 2027 के खंड 4 में प्रावधान है कि सरकार और मंत्रिपरिषद को मंजूरी के लिए चार्टर को संघीय संसद में पेश करना होगा। प्रावधान के मुताबिक, सरकार ने बिम्सटेक चार्टर को मंजूरी के लिए संसद में पेश किया था और अंततः नेपाल के निचले सदन में बिम्सटेक चार्टर के समर्थन के प्रस्ताव को बहुमत के साथ समर्थन किया गया।
- बिम्सटेक का गठन सन 1997 में आर्थिक समृद्धि, सामाजिक प्रगति, वैज्ञानिक उपलब्धि, शांति, स्थिरता और कनेक्टिविटी जैसे मुद्दों पर क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए किया गया था।
- बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड बिम्सटेक के सदस्य देश हैं।
- नेपाल वर्ष 2004 में बिम्सटेक का सदस्य देश बना है।
- नेपाल की संघीय संसद में बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (BIMSTEC), चार्टर की स्वीकृति क्षेत्रीय सहयोग एवं आर्थिक समृद्धि की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

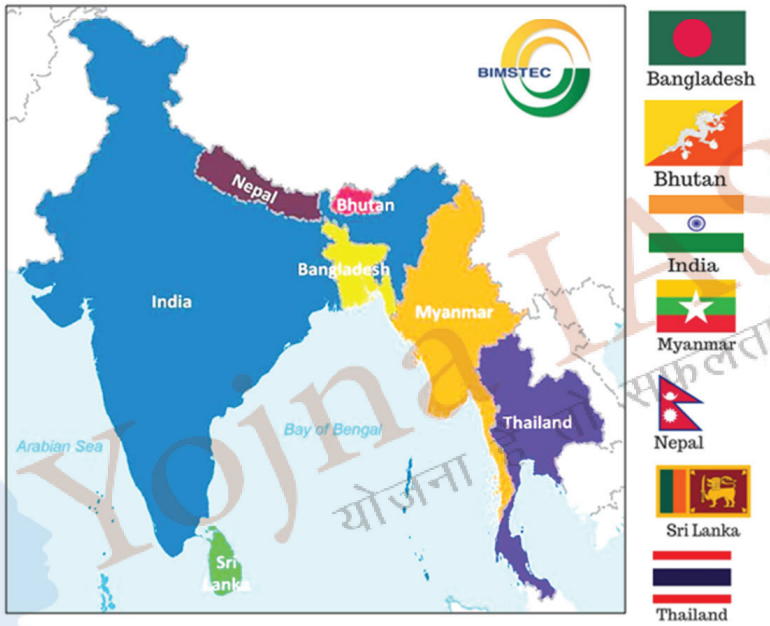

बिम्सटेक क्या है ?

- **बिम्सटेक (BIMSTEC)** का पूरा नाम – **बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी – सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक को**

– ऑपरेशन (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) है।

- यह बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित देशों का एक बहुपक्षीय क्षेत्रीय संगठन है जो दक्षिण एशिया और दक्षिण – पूर्व एशिया के क्षेत्रीय एकता का प्रतीक संगठन हैं।
- इसके 7 सदस्य देशों में से 5 दक्षिण एशिया से हैं, जिनमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका शामिल हैं तथा दो दक्षिण – पूर्व एशिया के देशों में से म्याँमार और थाईलैंड हैं।

बिम्सटेक (BIMSTEC) में शामिल दक्षिण एशिया के 5 प्रमुख सदस्य देश निम्नलिखित है –

1. **बांग्लादेश।**
2. **भूटान।**
3. **भारत।**
4. **नेपाल।**
5. **श्रीलंका।**

बिम्सटेक (BIMSTEC) में शामिल दक्षिण-पूर्व एशिया के दो देश निम्नलिखित है –

1. **म्याँमार**
2. **थाईलैंड शामिल हैं।**

- बिम्सटेक न सिर्फ दक्षिण और दक्षिण पूर्व-एशिया के बीच संपर्क बनाता है है बल्कि हिमालय तथा बंगाल की खाड़ी की पारिस्थितिकी को भी जोड़ता है।
- इस संगठन का मुख्य उद्देश्य दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में तीव्र आर्थिक विकास हेतु वातावरण तैयार करना, सामाजिक प्रगति में तेज़ी लाना और इस क्षेत्र में समान हितों के मामलों में सहयोग देना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।

बिम्सटेक का इतिहास :

- बिम्सटेक वर्ष 1997 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से एक उप – क्षेत्रीय संगठन के रूप में अस्तित्व में आया।

- प्रारंभ में इसका गठन चार सदस्य राष्ट्रों के साथ किया गया था जिनका संक्षिप्त नाम 'BIST-EC' (बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड आर्थिक सहयोग) था।
- वर्ष 1997 में म्याँमार के शामिल होने के बाद इसका नाम बदलकर 'BIMST-EC' कर दिया गया।
- वर्ष 2004 में नेपाल और भूटान के इसमें शामिल होने के बाद संगठन का नाम बदलकर **बिम्सटेक अर्थात – ' बे ऑफ़ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक को – ऑपरेशन '** कर दिया गया।

बिम्सटेक का मुख्य उद्देश्य :

1. **दक्षिण एशिया और दक्षिण – पूर्व एशिया के क्षेत्र में तीव्र आर्थिक विकास हेतु वातावरण तैयार करना।**
2. **आपसी सहयोग और एक दूसरे की समानता की भावना को विकसित करना।**
3. **सदस्य राष्ट्रों के साझा हितों के क्षेत्रों में सक्रिय सहयोग और पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना।**
4. **दक्षिण एशिया और दक्षिण – पूर्व एशिया में शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में एक – दूसरे का पूर्ण सहयोग करना।**

बिम्सटेक के प्रमुख सिद्धांत :

बिम्सटेक का प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित आधारों पर कार्य करता है –

1. **समान संप्रभुता को मान्यता प्रदान करना।**
2. **क्षेत्रीय अखंडता को आपस में सम्मान देना।**
3. **आपस में राजनीतिक स्वतंत्रता का सम्मान करना**
4. **सदस्य देशों के आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप न करना।**
5. **सदस्य देशों के बीच शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की भावना को विकसित करना ।**

6. **बिम्सटेक के सदस्य देशों के बीच आपस में पारस्परिक लाभ पहुँचाना।**
7. **सदस्य देशों के मध्य अन्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय सहयोग को प्रतिस्थापित करने के बजाय अन्य विकल्प प्रदान करना।**

बिम्सटेक की क्षमताएँ :

- यह संगठन दक्षिण एशिया एवं दक्षिण – पूर्व एशिया के मध्य एक सेतु की भाँति कार्य करता है तथा इन देशों के बीच एक सुदृढ़ आपसी संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है।
- बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में हिंद – प्रशांत में एक व्यापारिक केंद्र बनने की क्षमता है। अतः यह एक ऐसा स्थान है जहाँ पूर्व और दक्षिण एशिया की प्रमुख शक्तियों के रणनीतिक हित आपस में एक – दूसरे से टकराते भी हैं और एक – दूसरे को आपस में जोड़ते भी हैं।
- बिम्सटेक एक संगठन के रूप में सार्क और आसियान संगठनों के सदस्यों के बीच अंतर – क्षेत्रीय सहयोग हेतु एक साझा मंच भी प्रदान करता है।
- इस संगठन के सदस्य देशों की जनसंख्या लगभग 1.5 अरब है जो वैश्विक आबादी का लगभग 22% है और यह 3.8 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर का संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), के बराबर है। अतः बिम्सटेक दक्षिण एवं दक्षिण – पूर्व एशिया के मध्य आर्थिक विकास के एक प्रभावशाली आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है।
- दुनिया के कुल व्यापार का एक-चौथाई हिस्सा प्रतिवर्ष बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरता है। अतः बिम्सटेक दक्षिण एवं दक्षिण – पूर्व एशिया के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र भी है।

बिम्सटेक की महत्त्वपूर्ण संपर्क परियोजनाएँ :

बिम्सटेक की महत्त्वपूर्ण संपर्क परियोजनाएँ निम्नलिखित है –

1. **कलादान मल्टीमॉडल परियोजना :** यह परियोजना भारत और म्याँमार को जोड़ती है।
2. **एशियाई त्रिपक्षीय राजमार्ग: म्याँमार से होकर भारत और थाईलैंड को जोड़ता है।**
3. **बांग्लादेश – भूटान – भारत – नेपाल (BBIN) मोटर वाहन समझौता :** यह संपर्क समझौता यात्री और माल परिवहन के निर्बाध प्रवाह हेतु किया गया है।

बिम्सटेक भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है ?

बिम्सटेक भारत को तीन प्रमुख नीतियों के साथ दक्षिण एशिया एवं दक्षिण – पूर्व एशिया में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करता है –

1. **नेबरहुड फर्स्ट नीति :** भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत यह भारत के पड़ोस में होने वाले देशों की सीमा के नज़दीकी क्षेत्रों को प्रधानता देकर व्यापारिक, सामरिक और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाता है।

2. **एक्ट ईस्ट नीति :** भारत की एक्ट ईस्ट नीति का उद्देश्य आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना और द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय स्तरों पर निरंतर जुड़ाव के माध्यम से एशिया – प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ रणनीतिक संबंध विकसित करना है, जिससे उत्तर पूर्वी राज्यों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके।
3. **भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का आर्थिक विकास नीति :** यह भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेश और म्याँमार के माध्यम से बंगाल की खाड़ी क्षेत्र से जोड़ना और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का आर्थिक विकास नीति के तहत भारत के पड़ोस के अन्य देशों के साथ अरुणाचल प्रदेश सहित क्षेत्र को भारत को दक्षिण-पूर्व एशिया से जोड़ना है ।
4. बंगाल की खाड़ी के आसपास के देशों में चीन के बेल्ट एवं रोड इनिशिएटिव के विस्तारवादी प्रभावों से भारत को मुकाबला करने का अवसर प्रदान करता है।
5. भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेदों के कारण दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क-SAARC) महत्त्वहीन हो जाने के कारण भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ जुड़ने हेतु एक नया मंच प्रदान करता है।

बिम्सटेक के तहत सहयोग के क्षेत्र :

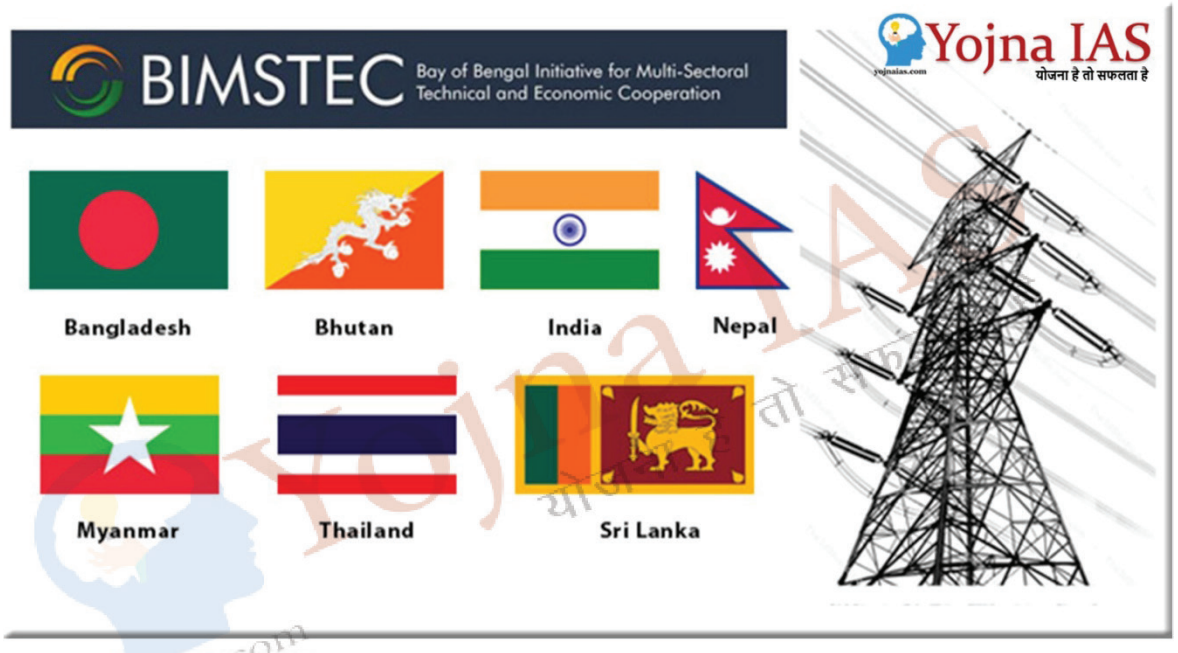

बिम्सटेक के तहत आपस में सहयोग के निम्नलिखित क्षेत्र शामिल है –

1. **आपसी व्यापार और निवेश के क्षेत्रों में आपस में सहयोग करना।**
2. **नवीन प्रौद्योगिकी को हस्तांक्षरित करने में आपस में सहयोग करना**
3. **ऊर्जा से संबंधित क्षेत्रों के विकास में आपस में सहयोग करना।**
4. **परिवहन और संचार**
5. **पर्यटन और पर्यटन के विकास से संबंधित क्षेत्रों में आपसी सहयोग प्रदान करना।**
6. **मत्स्य पालन से संबंधित क्षेत्रों में आपस में सहयोग करना।**
7. **कृषि से संबंधित नवीन प्रणालियों को अपनाने में आपस में सहयोग करना।**
8. **आपस में सांस्कृतिक सहयोग को विकसित करना**
9. **पर्यावरण और आपदा प्रबंधन में एक – दूसरे की मदद करना।**
10. **सार्वजनिक स्वास्थ्य में आपस में सहयोग करना।**
11. **लोगों के बीच आपसी संपर्क स्थापित करना।**

12. **गरीबी उन्मूलन में आपस में सहयोग करना।**
13. **आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटना।**
14. **जलवायु परिवर्तन से संबंधित क्षेत्रों में आपसी सहयोग करना।**

वर्तमान में बिम्सटेक के समक्ष विद्यमान चुनौतियाँ :

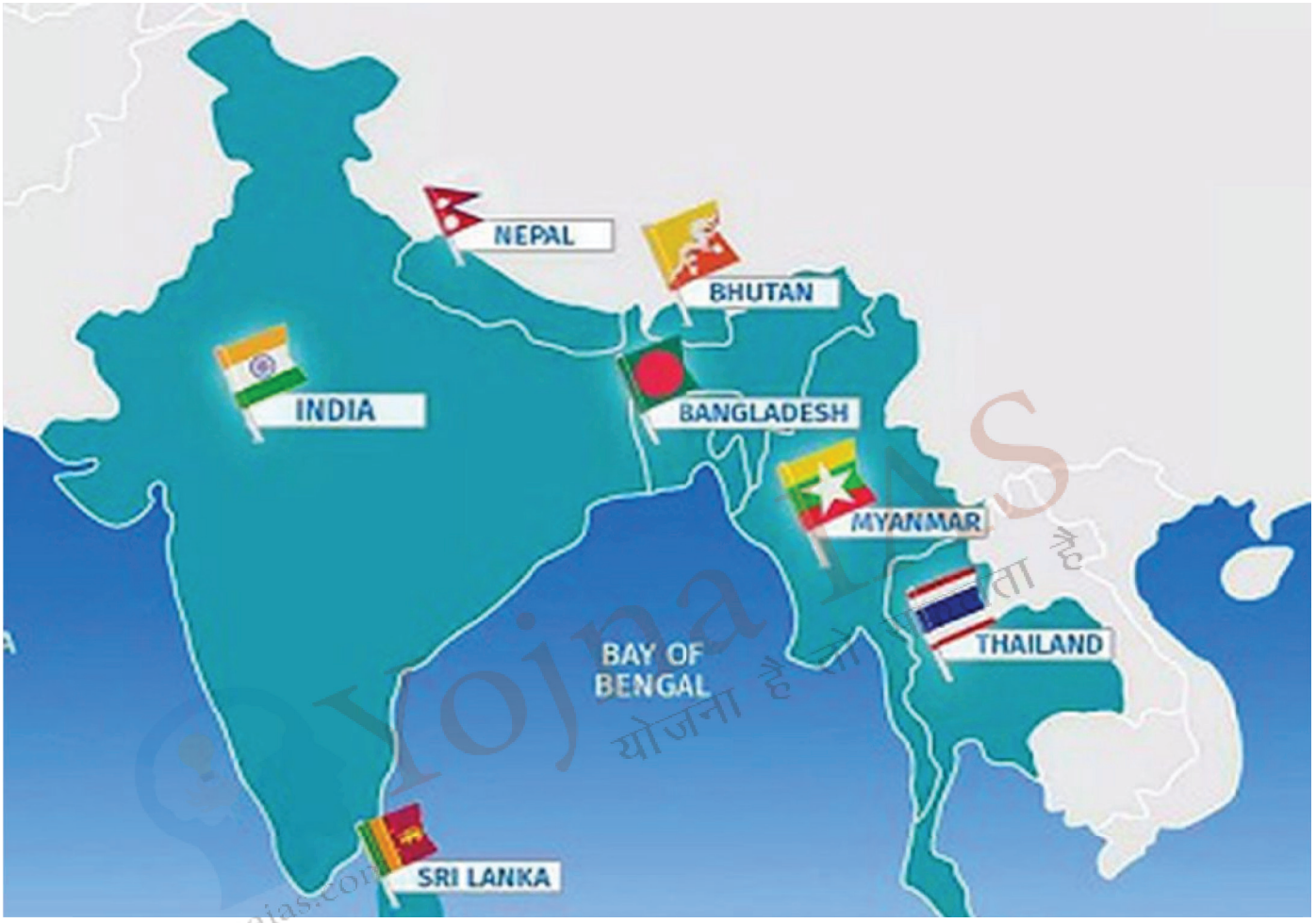

- बिम्सटेक ने दक्षिण एशिया एवं दक्षिण – पूर्व एशिया के मध्य द्विपक्षीय तनाव न होने के बावजूद भी ज्यादा प्रगति नहीं की है।
- ऐसा लगता है कि भारत ने बिम्सटेक का उपयोग तभी किया है जब वह क्षेत्रीय सेटिंग में सार्क के माध्यम से काम करने में विफल रहा है और थाईलैंड और म्यांमार जैसे अन्य प्रमुख सदस्य बिम्सटेक की तुलना में आसियान की ओर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।
- बिम्सटेक ने हर दो साल में शिखर सम्मेलन आयोजित करने की योजना बनाई, हर साल मंत्रिस्तरीय बैठकें आयोजित करने की योजना बनाई, लेकिन 2018 तक 20 वर्षों में केवल चार शिखर सम्मेलन हुए हैं।
- बिम्सटेक का फोकस बहुत व्यापक है, जिसमें कनेक्टिविटी, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि आदि जैसे सहयोग के 14 क्षेत्र शामिल हैं। यह सुझाव दिया गया है कि बिम्सटेक को छोटे फोकस क्षेत्रों के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए और उनमें कुशलता से सहयोग करना चाहिए।
- बिम्सटेक के सदस्य देशों के बीच एफटीए के संबंध में सन 2004 में ही बातचीत हुई थी। इस पर बातचीत अभी तक संपन्न नहीं हुई है।
- सदस्य राष्ट्रों के बीच द्विपक्षीय मुद्दे: बांग्लादेश म्यांमार के रोहिंग्याओं के सबसे खराब शरणार्थी संकट का सामना कर रहा है, जो म्यांमार के राखीन राज्य में अभियोजन से भाग रहे हैं। म्यांमार और थाईलैंड के बीच सीमा विवाद चल रहा है।

निष्कर्ष / आगे की राह :

- भारत BIMSTEC को अपनी 'एक्ट ईस्ट' नीति का अभिन्न अंग मानता है, जो हिंद महासागर में व्यापार और सुरक्षा हितों को आगे बढ़ाते हुए दक्षिण-पूर्व एशिया में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। यह क्वाड देशों के इंडो-पैसिफिक दृष्टिकोण के साथ भी संरेखित है।
- भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक है। क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखलाएं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र और कृषि क्षेत्र में मूल्य जोड़ सकती हैं।
- BIMSTEC के सदस्य देश भारत के साथ आपस में डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में अधिक सहयोग करें।
- नवीन प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, संयुक्त उद्यम और व्यावसायिक साझेदारी के माध्यम से लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर एक – दूसरे का सहयोग करे ।
- भारत के साथ आर्थिक संबंधों में तेजी से वृद्धि के लिए परिवहन, बैंकिंग, सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं और पर्यावरण सेवाओं जैसे क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।
- हवाई कनेक्टिविटी, भूमि कनेक्टिविटी और समुद्री सुरक्षा पर अधिक जोर दें क्योंकि विश्व के व्यापार का एक बड़ा हिस्सा इस क्षेत्र से होकर गुजरता है।
- सभ्यता के मोर्चे पर, लोगों के बीच नए संपर्क और कनेक्टिविटी बनाने के लिए बौद्ध और हिंदू संबंधों को बढ़ावा दिया जा सकता है।
- बिम्सटेक को भविष्य में नए क्षेत्रों जैसे कि **ब्लू इकॉनमी**, डिज़िटल अर्थव्यवस्था, स्टार्ट-अप और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (Micro, Small and Medium Enterprises- MSMEs) के बीच आदान-प्रदान एवं सहयोग को बढ़ावा देने पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
- दो संगठन-सार्क और बिम्सटेक-भौगोलिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हालाँकि, यह उन्हें समान विकल्प नहीं बनाता है। सार्क एक विशुद्ध क्षेत्रीय संगठन है, जबकि बिम्सटेक अंतर्क्षेत्रीय है और दक्षिण एशिया और आसियान दोनों को जोड़ता है।
- सार्क और बिम्सटेक कार्यों और लक्ष्यों के मामले में एक दूसरे के पूरक हैं। बिम्सटेक सार्क देशों को आसियान से जुड़ने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। चूंकि सार्क शिखर सम्मेलन केवल स्थगित किया गया है, रद्द नहीं किया गया है, इसलिए पुनरुद्धार की संभावना बनी हुई है। बिम्सटेक की सफलता सार्क को निरर्थक नहीं बनाती; यह दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग में एक नया अध्याय जोड़ता है।

स्त्रोत – द हिन्दू एवं इंडियन एक्सप्रेस।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. 1. बिम्सटेक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. इसकी स्थापना 6 जून 1997 को बैंकाक घोषणा के माध्यम से की गई थी और इसका मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में है।
2. इसके सदस्य देशों में भारत, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, म्यांमार और श्रीलंका शामिल हैं।

3. इसमें दक्षिण-पूर्व एशिया के 5 देश और दक्षिण – एशिया के 2 देश शामिल है।

4. कलादान मल्टीमॉडल परियोजना भारत और नेपाल को आपस में जोड़ती है।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन गलत है ?

A. केवल 1, 2 और 3

B. केवल 2, 3 और 4

C. इनमें से कोई नहीं

D. इनमें से सभी।

उत्तर – D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. बिम्सटेक के मुख्य उद्देश्य को रेखांकित करते हुए यह चर्चा कीजिए कि बिम्सटेक दक्षिण एशिया एवं दक्षिण – पूर्व एशिया के मध्य किस प्रकार व्यापारिक, सामरिक और रणनीतिक दृष्टि से आपस में क्षेत्रीय स्थिरता प्रदान करता है ?

भारत में चुनावी बॉण्ड योजना की वैधता बनाम मूल अधिकारों का उल्लंघन

(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 – ' भारतीय राजनीति और शासन व्यवस्था ' खंड से और प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ' चुनावी बॉण्ड योजना की वैधता और सूचना का अधिकार, मूल अधिकार ' खंड से संबंधित है। इसमें YOJNA IAS टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख 'दैनिक करंट अफेयर्स' के अंतर्गत ' भारत में चुनावी बॉण्ड योजना की वैधता बनाम मूल अधिकारों का उल्लंघन ' से संबंधित है।)

खबरों में क्यों ?

- 15 फरवरी 2024 को भारत के उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार द्वारा शरू की गई को चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द कर दिया है।
- उच्चतम न्यायालय के अनुसार यह संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है।
- उच्चतम न्यायालय ने इस मामले सुनवाई के दौरान कहा कि भारतीय नागरिकों को भारतीय संविधान द्वारा प्रदत सूचना का अधिकार है।
- उच्चतम न्यायालय ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को साल 2023 के अप्रैल महीने से लेकर अब तक की सारी जानकारियां चुनाव आयोग को देने के लिए कहा और भारत के चुनाव आयोग ये संपूर्ण जानकारी उच्चतम न्यायालय को देने के लिए भी कहा है।
- हाल ही में भारत के उच्चतम न्यायालय के सख्त निर्देश के बाद, भारतीय स्टेट बैंक ने 12 मार्च को भारतीय निर्वाचन आयोग के साथ चुनावी बांड का डेटा साझा किया था।
- भारत के उच्चतम न्यायालय ने चुनाव आयोग को अपनी वेबसाइट पर डेटा अपलोड करने के लिए 15 मार्च शाम 5 बजे तक का समय दिया था।
- चुनाव आयोग ने 'एसबीआई द्वारा प्रस्तुत चुनावी बांड के प्रकटीकरण' पर विवरण दो भागों में रखा है।

- पोल पैनल द्वारा अपलोड किए गए आंकड़ों के अनुसार, चुनावी बांड के खरीदारों में ग्रासिम इंडस्ट्रीज, मेघा इंजीनियरिंग, पीरामल एंटरप्राइजेज, टोरेंट पावर, भारती एयरटेल, डीएलएफ कमर्शियल डेवलपर्स, वेदांता लिमिटेड, अपोलो टायर्स, सुला वाइन, वेल-स्पन, और सन फार्मा, लक्ष्मी मित्तल, एडलवाइस, पीवीआर, केवेंटर शामिल हैं।
- आंकड़ों के मुताबिक चुनावी बांड भुनाने वाली पार्टियों में बीजेपी, कांग्रेस, एआईएडीएमके, बीआरएस, शिवसेना, टीडीपी, वाईए-सआर कांग्रेस, डीएमके, जेडीएस, एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस, जेडीयू, राजद, आप और समाजवादी पार्टी शामिल हैं।
- भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा 15 फरवरी को दिए गए एक ऐतिहासिक फैसले में, पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने केंद्र की चुनावी बांड योजना को रद्द कर दिया था, जिसने गुप्त राजनीतिक फंडिंग की अनुमति दी थी, इसे "असंवैधानिक" कहा था और चुनाव आयोग को दानदाताओं, उनके द्वारा दान की गई राशि और प्राप्तकर्ताओं का नाम सार्वजनिक करने का आदेश दिया था। .
- स्टेट बैंक द्वारा जारी चुनावी बांड के आंकड़ों के अनुसार, फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज पीआर, जिसके प्रबंध निदेशक जाने-माने लॉटरी मैग्नेट सैंटियागो मार्टिन हैं, 12 अप्रैल, 2019 और 24 जनवरी, 2024 के बीच राजनीतिक दलों के लिए सबसे बड़े दानकर्ता थे। भारत और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 14 मार्च को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित किया गया।
- इस अवधि के दौरान फर्म ने चुनावी बांड के माध्यम से ₹1,368 करोड़ की संचयी राशि दान की। संयोग से, प्रवर्तन निदेशालय ने मार्च 2022 में इस फर्म और अन्य कंपनियों के बैंक खातों में ₹411 करोड़ जब्त किए थे और बाद में 9 सितंबर 2023 को पीएमएलए कोर्ट, कोलकाता के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत इसके खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की थी।.
- भारतीय जनता पार्टी ने 12 अप्रैल, 2019 और 24 जनवरी, 2024 के बीच ₹6060.5 करोड़ के चुनावी बांड प्राप्त किया है, जो भारत की सभी राजनीतिक पार्टियों द्वारा प्राप्त चुनावी बांड के माध्यम से प्राप्त राशियों में सबसे अधिक है। इस अवधि में, भुनाए गए कुल बांड में भाजपा की हिस्सेदारी 47.5% से अधिक थी।
- भारतीय तृणमूल कांग्रेस को चुनावी बांड के माध्यम से ₹1,609.50 करोड़ (12.6%) की राशि प्राप्त हुई और इसके बाद कांग्रेस को ₹1,421.9 करोड़ (11.1%) प्राप्त हुआ था , जो इस अवधि में नकदीकरण के मामले में दूसरी और तीसरी सबसे बड़ी पार्टियां हैं।

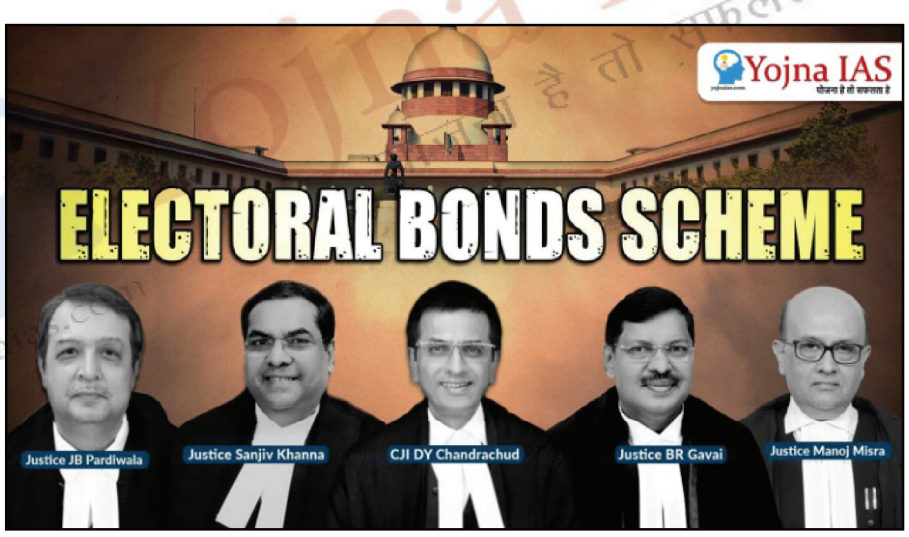

भारत में चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता से जुड़ा क्रमिक विकास :

भारत में चुनावी बॉन्ड योजना विभिन्न राजनीतिक दलों को फंडिंग का एक तरीका है। चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता से संबंधित मामले में उच्चतम न्यायालय की पांच – न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 15 फरवरी 2024 को इसे रद्द करते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है।

- भारत में वर्ष 2017 में वित्त विधेयक के माध्यम से संसद में चुनावी बॉन्ड योजना पेश की गई थी।
- 14 सितंबर, 2017 को 'एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स' (ADR) नामक एनजीओ ने मुख्य याचिकाकर्ता के रूप में इस योजना के विरूद्ध उच्चतम न्यायालय में चुनौती पेश किया।

- 03 अक्टूबर, 2017 को उच्चतम न्यायालय ने उस एनजीओ द्वारा दायर जनहित याचिका पर केंद्र सरकार और भारतीय चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया।
- 2 जनवरी, 2018 को केंद्र सरकार ने चुनावी बॉन्ड योजना को भारत में अधिसूचित किया।
- 7 नवंबर, 2022को चुनावी बॉन्ड योजना में एक वर्ष में बिक्री के दिनों को 70 से बढ़ाकर 85 करने के लिए संशोधन किया गया, जहां कोई भी विधानसभा चुनाव निर्धारित हो सकता है।
- 6 अक्टूबर, 2023 को भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय के बेंच ने इस योजना के खिलाफ याचिकाओं को पांच – न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेजा।
- 31 अक्टूबर, 2023 को भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने योजना के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की।
- 2 नवंबर, 2023 को उच्चतम न्यायालय ने इस योजना में अपना फैसला सुरक्षित रखा।
- 15 फरवरी, 2024 को भारत के उच्चतम न्यायालय ने चुनावी बॉण्ड योजना को रद्द करते हुए सर्वसम्मति से फैसला सुनाया और कहा कि – यह भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को प्रदत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार के साथ-साथ सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता है।

भारत के उच्चतम न्यायालय ने चुनावी बॉण्ड योजना से संबंधित सुनवाई के दौरान मुख्य रूप से दो महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए सहमत हुआ था। वे दो महत्वपूर्ण मुद्दा निम्नलिखित है –

1. राजनीतिक दलों को गुप्त दान की वैधानिकता और राजनीतिक दलों के वित्तपोषण के बारे में जानकारी के नागरिकों के अधिकार का उल्लंघन, संभावित रूप से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है।
2. ये मुद्दे संवैधानिक अनुच्छेद 19, 14 और 21 के उल्लंघन से संबंधित हैं।

चुनावी बॉण्ड योजना का परिचय एवं पृष्ठभूमि :

- भारत में चुनावी बॉण्ड प्रणाली को वर्ष 2017 में एक वित्त विधेयक के माध्यम से संसद में पेश किया गया था और इसे वर्ष 2018 में लागू भी कर दिया गया था।
- भारत में चुनावी बॉण्ड योजना के तहत राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले दानदाताओं की नाम को गुप्त रखते हुए या सार्वजनिक किए बिना पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के लिए व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए एक साधन के रूप में कार्य करते हैं।

चुनावी बॉण्ड योजना की विशेषताएँ :

- भारत में चुनावी बॉण्ड योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए के बॉण्ड जारी करता है।
- भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी किया गया यह बॉण्ड ब्याज मुक्त होता है और धारक द्वारा मांगे जाने पर देय होता है।
- इस बॉण्ड को कोई भी भारतीय नागरिक अथवा भारत में स्थापित कोई भी संस्थाएँ खरीद सकती हैं।
- भारत में चुनावी बॉण्ड को व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से भी खरीदा जा सकता है।
- भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी यह चुनावी बॉण्ड जारी होने की तिथि से मात्र 15 दिनों तक के लिए ही वैध होता है।

भारत में चुनावी बॉण्ड के लिए अधिकृत जारीकर्त्ता बैंक :

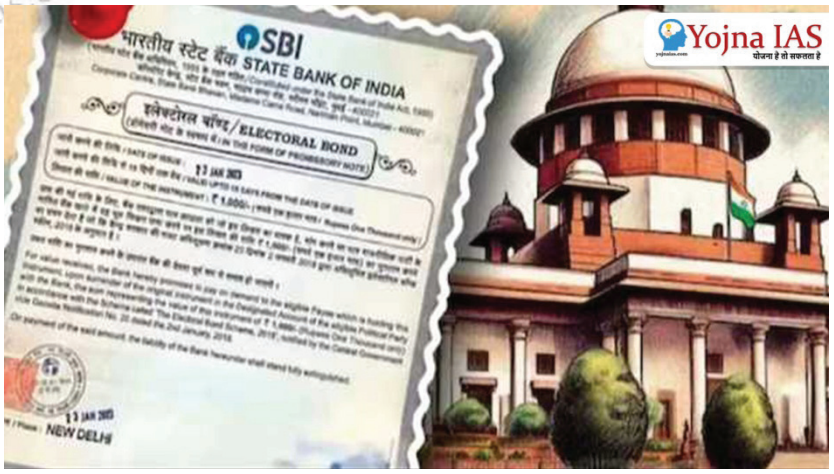

- भारत में चुनावी बॉण्ड के लिए अधिकृत जारीकर्त्ता बैंक भारतीय स्टेट बैंक है।
- भारत में चुनावी बॉण्ड नामित भारतीय स्टेट बैंक शाखाओं के माध्यम से ही जारी किए जाते हैं।

भारत में चुनावी बॉण्ड खरीदने के राजनीतिक दलों की पात्रता :

- **जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29A** के तहत भारत में केवल वही पंजीकृत राजनीतिक दल ही, जिन्होंने पिछले आम चुनाव में लोकसभा अथवा विधानसभा के लिए डाले गए वोटों में से कम – से – कम 1% वोट हासिल किया हो, वही इस चुनावी बॉण्ड को खरीदने के लिए पात्र होते हैं।
- भारत में चुनावी बॉण्ड डिजिटल माध्यम अथवा चेक के माध्यम से ही खरीदे जा सकते हैं।
- भारत में चुनावी बॉण्ड का नकदीकरण केवल राजनीतिक दल के अधिकृत बैंक खाते के माध्यम से ही किया जा सकता है।

चुनावी बॉण्ड के प्रति पारदर्शिता और जवाबदेही :

- भारत में राजनीतिक दलों को भारतीय निर्वाचन आयोग के सामने अपने बैंक खाते के विवरणों का खुलासा करना अनिवार्य होता है।
- चुनावी बॉण्ड में प्रति पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बैंकिंग चैनलों के माध्यम से दान दिया जाता है।
- भारत में विभिन्न राजनीतिक दलों को चुनावी बॉण्ड से प्राप्त धन के उपयोग का विवरण देना अनिवार्य होता है।

भारत में चुनावी बॉण्ड योजना का लाभ :

- भारत में चुनावी बॉण्ड योजना के तहत प्राप्त धन राशि से भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों की चुनावी फंडिंग में होने वाले खर्चों की पारदर्शिता में वृद्धि होती है ।
- चुनावी बॉण्ड योजना के तहत प्राप्त धन के रूप में या प्राप्त दान के रूप में प्राप्त धन के उपयोग का ब्रज्नीतिक दलों को खुलासा करने की जवाबदेही होती है ।
- चुनावी बॉण्ड योजना के तहत नकद रूप में या नकदी लेन-देन में कमी आती है ।
- दानकर्ताओं के नाम को गुप्त रखा जाता है या दानदाता की पहचान की गोपनीयता का संरक्षण किया जाता है।

भारत में चुनावी बॉण्ड योजना से संबंधित मुख्य चिंताएँ और चुनौतियाँ :

चुनावी बॉण्ड योजना का अपने मूल विचार के विपरीत होना :

- भारत में चुनावी बॉण्ड योजना की आलोचना का मुख्य कारण यह है कि यह अपने मूल विचार अथवा उद्देश्य, चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता लाने, के बिल्कुल विपरीत काम करती है।

- भारत में चुनावी बॉण्ड योजना से संबंधित आलोचकों के एक वर्ग का यह तर्क है कि चुनावी बॉण्ड की गोपनीयता केवल जनता और विपक्षी दलों के लिए ही होता है, यह दान प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों पर/ के लिए लागू नहीं होता है।

चुनावी बॉण्ड योजना के तहत ज़बरन वसूली की प्रबल संभावना :

- भारत में चुनावी बॉण्ड सरकारी स्वामित्व वाले बैंक (SBI) के माध्यम से बेचे जाते हैं, जिससे सत्तारूढ़ सरकार को यह पता चल जाता है कि उसके विरोधियों की पार्टियों को कौन – कौन फंडिंग कर रहा है।
- चुनावी बॉण्ड योजना के तहत सत्तारूढ़ पार्टी या वर्तमान सरकार को विशेष रूप से बड़ी कंपनियों से पैसे वसूलने के लिए यह सुविधा प्रदान करता है या कभी -कभी यह सत्ताधारी पार्टी को धन न देने के लिए उस व्यक्ति या उस कंपनी को सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा परेशान करने की प्रबल संभावना को भी दर्शाता है। यह किसी भी तरह से सत्ताधारी पार्टी को अनुचित लाभ प्रदान करता है।

सूचना के अधिकार से समझौता होने की प्रबल संभावना :

- भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने लंबे समय से माना है कि सूचना का अधिकार विशेष रूप से चुनावों के संदर्भ में, भारतीय संविधान के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार (अनुच्छेद 19) का एक अभिन्न अंग है।
- भारत में केंद्र सरकार ने चुनावी बॉण्ड योजना को दो वित्त अधिनियमों वित्त अधिनियम, 2017 और वित्त अधिनियम, 2016 के माध्यम से इसमें कई संशोधन किए थे, दोनों वित्त अधिनियमों को **'धन विधेयक'** के रूप में लोकसभा में पारित किया गया था ।
- भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाकर्त्ताओं ने इन संशोधनों को 'असंवैधानिक', 'शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांतों' और 'मौलिक अधिकारों' की एक श्रृंखला का उल्लंघन बताते हुए ही चुनावी बॉण्ड योजना चुनौती दी थी।
- चुनावी बॉण्ड सरकारी स्वामित्व वाले बैंक के माध्यम से बेचे जाते है, इसीलिए सत्ताधारी दल विपक्षी दलों को चंदा देने वाले व्यक्तियों की जानकारी हासिल कर सकता है, और उनके विरुद्ध शत्रुतापूर्ण कार्यवाही कर सकता है।
- राजनीतिक दलों को चुनावी बॉण्ड के ज़रिये प्राप्त राशि का खुलासा करने से छूट प्राप्त है, जिससे चुनावी फंडिंग में अपारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है।
- यह प्रावधान नागरिकों के सूचना के अधिकार का भी उल्लंघन करता है, जो कि अनुच्छेद 19 के तहत एक मूल अधिकार है।

निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव प्रक्रिया के विरुद्ध :

- भारत में चुनावी बॉण्ड भारतीय नागरिकों को प्राप्त किए गए धन के स्त्रोत का कोई विवरण प्रस्तुत नहीं करता है।
- चुनावी बॉण्ड के रूप में दिए गए दान दाताओं के नाम को गुप्त रखना या उसके नाम को सार्वजानिक नहीं करने से उक्त गुमनामी का असर तत्कालीन सत्तारूढ़ राजनीतिक दलों या सरकार पर लागू नहीं होती है, जो हमेशा भारतीय स्टेट बैंक (SBI) से डेटा की मांग करके दाता के विवरण तक पहुँच सकती है।
- यह है कि सत्ता में मौजूद सरकार इस जानकारी का लाभ उठा सकती है और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों को बाधित कर सकती है।

भारतीय लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के मूल अवधारण के विरुद्ध :

- भारत में केंद्र सरकार ने वित्त अधिनियम 2017 में संशोधन के माध्यम से राजनीतिक दलों को चुनावी बॉण्ड के माध्यम से प्राप्त दान के नाम को बताने में छूट प्रदान की है।
- भारत के किसी भी नागरिकों या मतदाताओं को यह कभी पता ही नहीं चलता है कि किस व्यक्ति ने, किस कंपनी ने या किस संगठन ने किस पार्टी को चुनावी बॉण्ड के माध्यम से कितनी मात्रा में फंड प्रदान किया है।
- किसी भी लोकतंत्रात्मक व्यवस्था वाले देश के एक प्रतिनिधि लोकतंत्र में नागरिक उन लोगों को अपना वोट देते हैं जो संसद

में उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः भारत के नागरिकों को चुनावी बॉण्ड के माध्यम से किसी राजनीतिक दल को कितना धन प्राप्त हुआ है , को जानने का अधिकार होना ही चाहिए।

बड़े कार्पोरेट घरानों और बड़े व्यावसायिक घरानों के लाभ पर केंद्रित होना :

- भारत में चुनावी बॉण्ड योजना ने भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को असीमित कॉर्पोरेट चंदा और भारतीय तथा विदेशी कंपनियों द्वारा गुप्त रूप से वित्तपोषण के द्वार खोल दिया हैं, जिसका भारतीय लोकतंत्र पर गंभीर असर हो सकता है।
- चुनावी बॉण्ड योजना के तहत भारत में कॉर्पोरेट और यहाँ तक कि विदेशी संस्थाओं द्वारा दिए गए दान पर कर में 100% छूट से बड़े व्यावसायिक घरानों को लाभ होता है।

घोर पूंजीवाद (क्रोनी कैपिटलिज़्म) को बढ़ावा देना :

- भारत में चुनावी बॉण्ड योजना राजनीतिक रूप से प्राप्त चंदे पर पूर्व में मौजूद सभी सीमाओं को हटा देती है और प्रभावी संसाधन वाले निगमों को चुनावों को वित्तपोषित करने की अनुमति देती है। परिणामस्वरूप क्रोनी कैपिटलिज़्म का मार्ग प्रशस्त होता है।
- घोर पूंजीवाद/ साठगांठ वाला पूंजीवाद / क्रोनी कैपिटलिज़्म में व्यापारियों और सरकारी अधिकारियों के बीच घनिष्ठ, पारस्परिक रूप से लाभप्रद और साठगांठ वाला पूंजीवादीआर्थिक प्रणाली है। जिससे भारत के लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है।

निष्कर्ष / समाधान की राह :

- भारत में चुनावी बॉण्ड योजना में पारदर्शिता बढ़ाने के उपाय को लागू करने करने की अत्यंत जरूरत है ।
- भारत में राजनीतिक दलों के लिए चंदा प्राप्त करने के संबंध में चुनाव आयोग के समक्ष स्पष्टीकरण संबंधी सख्त नियम लागू होना चाहिए और भारत निर्वाचन आयोग को किसी भी प्रकार के दान की जाँच करने तथा चुनावी बॉण्ड एवं चुनाव एवं चुनाव में व्यय होने वाले धन दोनों ही के संबंध में स्पष्टीकरण देने का सख्त प्रावधान होना चाहिए
- भारत में चुनावी बॉण्ड योजना से प्राप्त धन के संबंध में संभावित दुरुपयोग, दान सीमा के उल्लंघन और क्रोनी पूंजीवाद तथा काले धन के प्रवाह जैसे जोखिमों को रोकने के लिए चुनावी बॉण्ड में वर्तमान में मौजूद कमियों की पहचान करके उसका समाधान करने की अत्यंत जरूरत है।

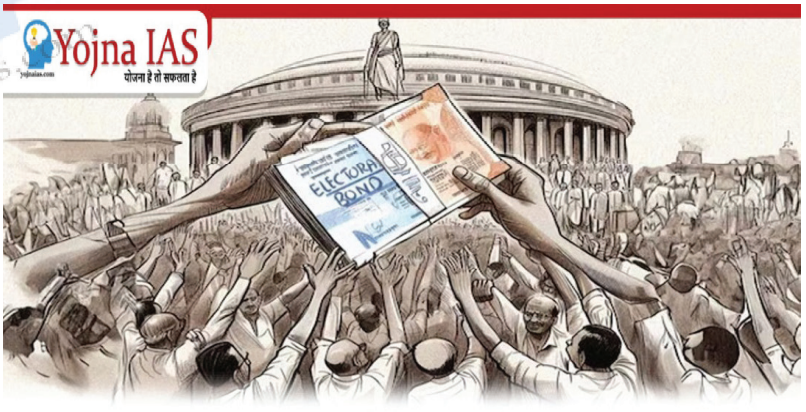

चुनावी बॉन्ड योजना असंवैधानिक है, इसलिए इस पर रोक लगाई जा रही है।

— सुप्रीम कोर्ट —

- वर्तमान भारत की लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में लोकतंत्र के प्रति उभरती चिंताओं को दूर करने, बदलते राजनीतिक परिदृश्यों के अनुकूल ढलने और लोकतंत्र में अधिक समावेशी निर्णय लेने की प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक जाँच, आवधिक समीक्षा तथा सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से चुनावी बॉण्ड योजना की समयबद्ध निगरानी करने को सुनिश्चित करने की अत्यंत जरूरत है।
- भारत के लोकतंत्र और नौकरशाही में व्याप्त भ्रष्टाचार के दुष्चक्र और लोकतांत्रिक राजनीति की गुणवत्ता में गिरावट को रोकने के लिए राजनीतिक स्तर पर साहसिक सुधारों के साथ-साथ राजनीतिक वित्तपोषण के प्रभावी विनियमन की अत्यंत आवश्यकता है।
- भारत के लोकतंत्र में संपूर्ण शासन तंत्र को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाने के लिए चुनावी बॉण्ड योजना में व्याप्त मौजूदा कानूनों की खामियों को दूर करना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
- भारतीय लोकतंत्र में मतदाता जागरूकता अभियानों की शुरुआत कर मौजूदा चुनावी बॉण्ड योजना में महत्त्वपूर्ण बदलाव लाया जा सकता हैं।
- भारतीय लोकतंत्र में यदि मतदाता लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों के प्रति जागरूक होकर उन उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को अस्वीकार कर देते हैं जो चुनावों में अधिक धन खर्च करते हैं या मतदाताओं को रिश्वत देते हैं, तो भारतीय लोकतंत्र अपने मूल उद्देश्य के प्रति एक कदम आगे बढ़ जाएगा। जो भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश के लोकतंत्र के प्रति उज्जवल भविष्य के संकेत है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में चुनावी बॉण्ड योजना की वैधता बनाम मूल अधिकारों का उल्लंघन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. चुनावी बॉण्ड योजना वित्त विधेयक के माध्यम से संसद में पेश की गई थी।
2. भारत में चुनावी बॉण्ड के लिए अधिकृत जारीकर्त्ता बैंक रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया है।
3. भारत में यह नागरिकों के सूचना के अधिकार का भी उल्लंघन करता है, जो कि अनुच्छेद 19 के तहत एक मूल अधिकार है।
4. चुनावी बॉण्ड ब्याज मुक्त होता है और धारक द्वारा मांगे जाने पर देय होता है।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1, 2 और 3

B. केवल 2, 3 और 4

C. केवल 2 और 4

D. केवल 1, 3 और 4

उत्तर – D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में चुनावी बॉण्ड योजना नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन कैसे करता है और यह किस प्रकार भारत में एक निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव प्रक्रिया वाले लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को प्रभावित करता है ? तर्कसंगत चर्चा कीजिए।

(शब्द सीमा – 250 अंक -15)

भारत में 'विश्व हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 का महत्व

(यह लेख 'दैनिक करंट अफेयर्स' और "विश्व हेपेटाइटिस रिपोर्ट" के विषय विवरण को शामिल करता है। यह विषय यूपीएससी सीएसई परीक्षा के "विज्ञान और प्रौद्योगिकी" अनुभाग में प्रासंगिक है।)

खबरों में क्यों ?

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने हाल ही में वर्ष 2024 के लिए वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत वायरल हेपेटाइटिस के सबसे भारी बोझों में से एक है, जिसके परिणामस्वरूप लीवर में सूजन हो सकती है और संभावित रूप से लीवर कैंसर हो सकता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के इस रिपोर्ट में निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है –

भारत में उच्च प्रसार :

1. अनुमान है कि 2022 में 29.8 मिलियन भारतीय हेपेटाइटिस बी से और 5.5 मिलियन हेपेटाइटिस सी से पीड़ित थे।
2. ये संख्याएँ वायरल हेपेटाइटिस के वैश्विक बोझ के एक बड़े हिस्से को दर्शाती हैं।

मृत्यु दर :

1. हेपेटाइटिस बी और सी दोनों क्रोनिक लीवर रोग, सिरोसिस और कैंसर का कारण बन सकते हैं, जो वैश्विक स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं।
2. पुरुष असमान रूप से प्रभावित होते हैं, और मामलों का एक बड़ा हिस्सा 30-54 आयु वर्ग के लोगों में होता है।

चुनौतियां और उपचार :

1. भारत में इस रोग के रोकथाम में प्रगति के बावजूद,इसके निदान और उपचार करना बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं।
2. इस रोग से संक्रमित कई व्यक्ति अपनी स्थिति से अनजान रहते हैं, जिससे इस रोग के कारण होने वाली मौतों की संख्या में वृद्धि होती है।

हेपेटाइटिस को खत्म करने के लिए वैश्विक स्तर पर किए जा रहे प्रयास :

1. विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) वायरल हेपेटाइटिस से निपटने के लिए ठोस वैश्विक प्रयास का आग्रह करता है।
2. परीक्षण और उपचार तक पहुंच का विस्तार करना, रोकथाम के उपायों को मजबूत करना, डेटा संग्रह में सुधार करना और समुदायों को शामिल करना महत्वपूर्ण है।

हेपेटाइटिस को 2030 तक खत्म करना :

1. WHO ने 2030 तक हेपेटाइटिस को खत्म करने के लक्ष्य के साथ एक सार्वजनिक स्वास्थ्य दृष्टिकोण की रूपरेखा तैयार की है।
2. इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य के लिए स्वास्थ्य देखभाल और वित्त पोषण तक पहुंच में असमानताओं को दूर करने के साथ-साथ सस्ती दवाएं और सेवाएं सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

हेपेटाइटिस के बारे में :

- हेपेटाइटिस की विशेषता यकृत की सूजन है, जो अक्सर वायरल संक्रमण से उत्पन्न होती है, हालांकि अन्य कारक भी इसे ट्रिगर कर सकते हैं। इनमें ऑटोइम्यून स्थितियां, दवा प्रतिक्रियाएं, विषाक्त पदार्थ और शराब का सेवन शामिल हो सकते हैं।
- ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस तब प्रकट होता है जब शरीर यकृत ऊतक को लक्षित करने वाले एंटीबॉडी का उत्पादन करता है। लीवर

पोषक तत्वों के प्रसंस्करण, रक्त को शुद्ध करने और संक्रमण से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- लीवर में सूजन या क्षति इसके कार्यों को ख़राब कर सकती है। वायरल हेपेटाइटिस को पांच मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है: हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई, प्रत्येक एक अलग वायरस के कारण होता है।

हेपेटाइटिस के प्रमुख प्रकार :

हेपेटाइटिस ए (एचएवी) :

- यह मुख्य रूप से दूषित भोजन या पानी खाने से फैलता है।
- इस रोग के लक्षणों में थकान, मतली, पेट की परेशानी, भूख न लगना और पीलिया शामिल हैं।
- इस रोग के अधिकांश मामले में यह बिना किसी चिकित्सा के अपने आप ठीक हो जाता है और टीकाकरण एक प्रभावी निवारक उपाय है।

हेपेटाइटिस बी (एचबीवी) :

- यह संक्रमित रक्त, शारीरिक तरल पदार्थ के संपर्क में आने से या बच्चे के जन्म के दौरान संक्रमित मां से उसके बच्चे में फैलता है।
- इस रोग के लक्षणों मेंलक्षणों में थकान, पेट दर्द, गहरे रंग का मूत्र, जोड़ों का दर्द और पीलिया शामिल हैं।
- इसमें क्रोनिक संक्रमण, लीवर सिरोसिस और लीवर कैंसर में प्रगति हो सकती है।
- इसके रोकथाम के लिए अत्यधिक प्रभावी टीकाकरण उपलब्ध है।

हेपेटाइटिस सी (एचसीवी) :

- यह रोग मख्य रूप से रक्त-से-रक्त संपर्क के माध्यम से फैलता है, जैसे सुई साझा करना, या प्रसव के दौरान संक्रमित मां से उसके बच्चे में।
- इस रोग के प्रारंभिक चरण में अक्सर लक्षणहीन होते हैं।
- यह क्रोनिक हेपेटाइटिस, लीवर सिरोसिस और लीवर कैंसर का कारण बनता है।
- इस रोग के उपचार के लिए एंटीवायरल दवाओं में प्रगति के कारण इलाज की दर ऊंची हो गई है।

हेपेटाइटिस डी (एचडीवी) :

- हेपेटाइटिस डी (एचडीवी केवल उन व्यक्तियों में होती है जो पहले से ही हेपेटाइटिस बी से संक्रमित हैं।
- संचरण मार्ग हेपेटाइटिस बी के समानांतर हैं।
- यह अकेले हेपेटाइटिस बी संक्रमण की तुलना में यह अधिक गंभीर यकृत रोग का कारण बनता है।

हेपेटाइटिस ई (एचईवी) :

- यह आमतौर पर दूषित पानी के सेवन से फैलता है।
- इसके लक्षण भी हेपेटाइटिस ए के समान होते हैं लेकिन गर्भवती महिलाओं में अधिक गंभीर हो सकते हैं।
- हेपेटाइटिस ई आमतौर पर स्व-सीमित होता है लेकिन कुछ मामलों में तीव्र यकृत विफलता का कारण बन सकता है।
- पूर्व और दक्षिण एशिया में प्रचलित, दूषित पानी के माध्यम से फैलता है। हालांकि चीन में एक टीका उपलब्ध है, लेकिन यह अभी तक व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं है।

हेपेटाइटिस रोग होने के प्रमुख कारण :

हेपेटाइटिस रोग होने के प्रमुख कारण निम्नलिखित है –

- **विषाणु संक्रमण :** हेपेटाइटिस कई प्रकार के वायरस के कारण हो सकता है, जिनमें हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई शामिल हैं।

प्रत्येक प्रकार एक अलग वायरस के कारण होता है और विभिन्न माध्यमों से फैलता है, जैसे दूषित भोजन या पानी (हेपेटाइटिस ए और ई)), रक्त-से-रक्त संपर्क (हेपेटाइटिस बी, सी, और डी), या एक संक्रमित मां से उसके बच्चे में प्रसव के दौरान (हेपेटाइटिस बी, सी, और ई)।

- **ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस :** ऐसा तब होता है जब शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से लीवर पर हमला कर देती है, जिससे सूजन हो जाती है और लीवर खराब हो जाता है। ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस का सटीक कारण पूरी तरह से समझा नहीं गया है, लेकिन आनुवांशिक और पर्यावरणीय कारक इसमें भूमिका निभा सकते हैं।
- **शराब और नशीली दवाएं :** लंबे समय तक अत्यधिक शराब का सेवन अल्कोहलिक हेपेटाइटिस का कारण बन सकता है, जो शराब के दुरुपयोग के कारण लीवर की सूजन है। कुछ दवाएं, दवाएं और विषाक्त पदार्थ भी हेपेटाइटिस का कारण बन सकते हैं जब उनका चयापचय यकृत द्वारा किया जाता है या जब शरीर उन पर प्रतिकूल प्रतिक्रिया करता है।
- **चयापचयी विकार :** कुछ चयापचय संबंधी विकार, जैसे कि विल्सन रोग और अल्फा-1 ऐन्टीट्रिप्सिन की कमी, लीवर में हानि-कारक पदार्थों के संचय का कारण बन सकते हैं, जिससे समय के साथ सूजन और क्षति हो सकती है।
- **अन्य कारण :** हेपेटाइटिस अन्य कारकों के कारण भी हो सकता है जैसे कि फैटी लीवर रोग (गैर-अल्कोहल स्टीटोहेपेटाइटिस), परजीवियों या बैक्टीरिया से संक्रमण, कुछ रसायनों या विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आना, और शायद ही कभी, लीवर के कार्य को प्रभावित करने वाले कुछ वंशानुगत विकारों के कारण।

हेपेटाइटिस से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई पहल :

- **राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीएचसीपी) :** 2018 में लॉन्च किए गए, एनवीएचसीपी का उद्देश्य मुफ्त परीक्षण और उपचार सेवाएं प्रदान करके वायरल हेपेटाइटिस, विशेष रूप से हेपेटाइटिस बी और सी से निपटना है। कार्यक्रम उच्च जोखिम वाली आबादी की जांच करने, जागरूकता बढ़ाने और किफायती निदान और उपचार तक पहुंच में सुधार करने पर केंद्रित है।
- **टीकाकरण कार्यक्रम :** सरकार ने प्रसव के दौरान मां से बच्चे में वायरस के संचरण को रोकने के लिए शिशुओं के लिए हेपेटाइटिस बी टीकाकरण को अपने नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में एकीकृत किया है। इसके अतिरिक्त, उच्च जोखिम वाले समूहों और स्वास्थ्य कर्मियों के बीच टीकाकरण कवरेज का विस्तार करने के प्रयास जारी हैं।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? (यूपीएससी-2019)

A. हेपेटाइटिस बी वायरस एचआईवी की तरह ही फैलता है।

B. हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी के विपरीत, कोई टीका नहीं है।

C. विश्व स्तर पर, हेपेटाइटिस बी और सी वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या एचआईवी से संक्रमित लोगों की तुलना में कई गुना अधिक है।

D. हेपेटाइटिस बी और सी वायरस से संक्रमित कुछ लोगों में कई वर्षों तक लक्षण दिखाई नहीं देते हैं।

उत्तर: B

Q2. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हेपेटाइटिस डी केवल उन व्यक्तियों में होता है जो पहले से ही हेपेटाइटिस बी से संक्रमित हैं।
2. टीके केवल हेपेटाइटिस बी के लिए उपलब्ध हैं।
3. हेपेटाइटिस ई की रोकथाम का प्राथमिक तरीका पीने से पहले पानी को उबालना या उपचारित करना है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

A. केवल एक

B. केवल दो

C. तीनों।

D. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: B

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. हेपेटाइटिस के संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर टीके लगाने के प्रति झिझक को बढ़ावा देने में गलत सूचना और दुष्प्रचार की भूमिका का विश्लेषण करें। दुष्प्रचार और गलत जानकारी से बचने और नागरिकों को टीके लगाने के प्रति विश्वास को बढ़ावा देने के लिए सरकार और सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारी क्या कदम उठा सकते हैं? तर्कसंगत व्याख्या कीजिए।

भारत में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपीए), 1951 और निजता का अधिकार

(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र – 2 – ' भारतीय राजनीति और शासन व्यवस्था ' खंड से और प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ' जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपीए), 1951 और' निजता का अधिकार' खंड से संबंधित है। इसमें योजना IAS टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख 'दैनिक करंट अफेयर्स' के अंतर्गत ' जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपीए), 1951 और' निजता का अधिकार ' से संबंधित है।

खबरों में क्यों ?

- हाल ही भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने एक फैसले में कहा है कि चुनाव में भाग लेने वाले व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत जीवन और अपनें कुछ पहलुओं के बारे में गोपनीयता का रखने अधिकार है।
- भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह भी माना है किभारत में **चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार** हर विवरण का खुलासा करने के लिए बाध्य नहीं हैं।
- भारत के उच्चतम न्यायालय यह फैसला एक विधायक से जुड़े एक विशिष्ट मामले के जवाब में दिया गया था। जिसका चुनाव संपत्ति के रूप में वाहनों का उपयोग करने के बारे में खुलासा करने में विफलता के कारण लड़ा गया था।
- उच्चतम न्यायालय ने विधायक का पक्ष लेते हुए कहा कि – **" वाहन, एक बार बेचे जाने के बाद, चुनावी प्रकटीकरण के उद्देश्य से संपत्ति के रूप में योग्य नहीं होते हैं।"**

वर्तमान मामले की पृष्ठभूमि :

- भारत के उच्चतम न्यायालय में एक मामला पेश किया गया था, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के एक विधायक ने 2023 के गुवाहाटी उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी।
- जिसमें चुनाव संचालन नियम, 1961 के अनुसार उनकी संपत्ति की घोषणा से तीन वाहनों को हटा दिए जाने के कारण उनके चुनाव को अमान्य कर दिया गया था।
- रुणाचल प्रदेश के उस विधायक पर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपीए), 1951 की धारा 123 का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था, जो इन वाहनों के स्वामित्व का खुलासा न करने के लिए **"भ्रष्ट आचरण"** को परिभाषित करता है।
- भारत के उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में फैसला सुनाया कि – **" किसी उम्मीदवार का अपनी उम्मीदवारी के लिए अप्रा-संगिक या मतदाताओं के लिए कोई चिंता का विषय नहीं होने वाले मामलों के बारे में गोपनीयता बनाए रखने का निर्णय आरपीए, 1951 की धारा 123 के तहत "भ्रष्ट आचरण" नहीं है। "**
- इस तरह का गैर – प्रकटीकरण आरपीए, 1951 की धारा 36(4) के तहत एक महत्वपूर्ण दोष नहीं है।
- भारत के उच्चतम न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि मतदाताओं को उस उम्मीदवार के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है जिसे वे समर्थन देना चाहते हैं।
- भारत के उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उम्मीदवार प्रत्येक चल संपत्ति का खुलासा करने के लिए बाध्य नहीं हैं। जब तक कि यह उनके समग्र संपत्ति मूल्य को प्रभावित नहीं करता है या उनके जीवन स्तर को प्रतिबिंबित नहीं करता है।

भारत में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपीए), 1951 क्या है ?

- जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपीए), 1951, भारत में एक महत्वपूर्ण कानून है जो संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनावों को नियंत्रित करता है। भारतीय संसद द्वारा अधिनियमित, आरपीए, 1951 देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए रूपरेखा तैयार करता है।
- यह चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए योग्यता और अयोग्यता, मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया, चुनाव का संचालन और चुनाव से उत्पन्न होने वाले विवादों के समाधान की रूपरेखा बताता है।

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपीए), 1951 के तहत कुछ महत्वपूर्ण प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित है –

उम्मीदवारों की योग्यताएँ और अयोग्यताएँ : जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपीए), 1951, की धारा 8 से 10, संसद और राज्य विधानमंडलों का चुनाव लड़ने के लिए व्यक्तियों के लिए आवश्यक योग्यताओं की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। यह अयोग्यता के लिए विभिन्न आधारों को भी निर्दिष्ट करता है, जैसे मानसिक रूप से अस्वस्थ होना, अनुन्मोचित दिवालिया होना, या सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करना।

चुनाव का संचालन : भारतीय संविधान की धारा 21 से 29 चुनाव के संचालन से संबंधित है, जिसमें मतदाता सूची तैयार करना, चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति, उम्मीदवारों के लिए नामांकन प्रक्रिया और मतदान की प्रक्रिया शामिल है।

चुनाव संबंधी विवाद : भारतीय संविधान की धारा 80 से 99 तक चुनाव से उत्पन्न होने वाले विवादों के समाधान का प्रावधान है। इसमें चुनाव याचिकाएं दाखिल करना, चुनाव न्यायाधिकरणों का क्षेत्राधिकार और वे आधार शामिल हैं जिन पर भारत में होने वाले चुनाव – संचालन की प्रक्रिया को चुनौती दी जा सकती है।

भारत में चुनाव में होने वाले खर्च : भारतीय संविधान की धारा 77 से 81F चुनाव के दौरान उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों द्वारा किए गए खर्च को नियंत्रित करती है। अधिनियम राजनीति में धन के प्रभाव को रोकने के लिए अभियान खर्च पर सीमा लगाता है और उम्मीदवारों को व्यय विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।

भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) : जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपीए), 1951 के तहत चुनाव के संचालन के लिए जिम्मेदार शीर्ष निकाय के रूप में भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) की स्थापना करता है। ईसीआई की शक्तियों और कार्यों को अधिनियम के विभिन्न वर्गों में चित्रित किया गया है, जो इसे चुनावों की निगरानी करने, चुनावी कानूनों को लागू करने और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सशक्त बनाता है।

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपीए), 1951 के तहत भ्रष्ट आचरण क्या होता है ?

- भारत के संविधान की धारा 123 के तहत चुनाव में भ्रष्ट आचरण का वर्णन किसी उम्मीदवार द्वारा चुनाव में सफलता की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के इरादे से किए गए कार्यों के रूप में करती है। इन कार्रवाइयों में विभिन्न प्रकार के कदाचार शामिल हैं, जिनमें रिश्वतखोरी, अनुचित प्रभाव का प्रयोग, गलत जानकारी का प्रसार और धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा जैसे कारकों के आधार पर शत्रुता भड़काना शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।
- धारा 123(4) चुनाव के नतीजे को प्रभावित करने के उद्देश्य से झूठे बयानों के जानबूझकर प्रसार को शामिल करने के लिए भ्रष्ट आचरण की परिभाषा का विस्तार करती है। यह प्रावधान मतदाताओं की राय में हेरफेर करने के लिए अपनाई गई भ्रामक रणनीति को शामिल करने के लिए निषिद्ध गतिविधियों के दायरे को बढ़ाता है।
- अधिनियम की धारा 123(2) अनुचित प्रभाव के मुद्दे को संबोधित करती है, जिसमें एक उम्मीदवार, उनके एजेंटों, या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप शामिल है जो चुनावी अधिकारों के स्वतंत्र अभ्यास में बाधा डालता है। इस तरह के हस्तक्षेप में धमकी, सामाजिक बहिष्कार, किसी सामाजिक समूह या समुदाय से निष्कासन, या आध्यात्मिक परिणामों के आधार पर जबरदस्ती रणनीतियां शामिल हो सकती हैं।

भारत में निजता का अधिकार क्या है ?

- भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, जिसकी व्याख्या निजता के अधिकार को शामिल करने के लिए की गई है। यह अधिकार किसी व्यक्ति की स्वायत्तता, गरिमा और व्यक्तिगत पसंद को राज्य या किसी अन्य इकाई के अनुचित हस्तक्षेप से बचाने तक फैला हुआ है।
- जस्टिस के.एस. के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ ने संविधान के तहत गारंटीकृत मौलिक स्वतंत्रता के आंतरिक भाग के रूप में निजता के अधिकार की पुष्टि की। न्यायालय ने माना कि गोपनीयता अन्य मौलिक अधिकारों के प्रयोग के लिए आवश्यक है और स्वतंत्रता और गरिमा की अवधारणा का अभिन्न अंग है।
- भारत में निजता का अधिकार पूर्ण और अविवेकी तथा प्रतिबंधित नहीं है क्योंकि यह कुछ परिस्थितियों में उचित प्रतिबंधों के अधीन हो सकता है। जैसे – राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, या अन्य मौलिक अधिकारों की सुरक्षा आदि के संदर्भ में यह प्रतिबंधित भी होता है। इसके अतिरिक्त, डेटा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों से निपटने और सुरक्षा की निगरानी के दृष्टिकोण से और अन्य गोपनीयता – संबंधित मामलों को नियंत्रित करने वाले कानून और नियम तकनीकी प्रगति और बदलते सामाजिक मानदंडों से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए विकसित होते रहते हैं।

निष्कर्ष / आगे की राह :

- भारत में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपीए) 1951 द्वारा संविधान की मान्यता और निर्वाचन प्रक्रिया की व्यवस्था की गई है।
- यह अधिनियम भारतीय नागरिकों को निर्वाचनी अधिकार देता है और लोकतंत्र को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- इस अधिनियम के तहत, निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है, जो निर्वाचन प्रक्रिया का प्रबंधन करता है और निर्वाचनों को सुनिश्चित करता है कि वे संविधान के तहत होते हैं।
- निजता का अधिकार भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण अधिकार है जो भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की श्रेणी में आता है और जो भारत में अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

- यह अधिकार नागरिकों को उनकी निजी जीवन और उनकी व्यक्तिगत जानकारी की रक्षा करता है। यह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी प्रक्रियाओं में नागरिकों की गोपनीयता की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
- निजता के अधिकार का पालन करना संविधान की मौलिक सिद्धांतों में से एक है, जो भारतीय समाज की न्यूनतम सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं को समर्थन करता है।
- यह अधिकार नागरिकों को आजादी और अधिकारों की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला प्रदान करता है जो उन्हें स्वतंत्रता और स्वाधीनता के अनुभव करने का अवसर देती है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. निजता का अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के आंतरिक भाग के रूप में संरक्षित है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त कथन को सही और उचित रूप से दर्शाता है?

A. भारतीय संविधान अनुच्छेद 14 और संविधान के 42वें संशोधन के तहत प्रावधान।

B. भारतीय संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 17 और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत।

C. संविधान के अनुच्छेद 21 और भाग III में गारंटीकृत स्वतंत्रता।

D. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 और संविधान के 44वें संशोधन के तहत प्रावधान।

उत्तर: C

Q2. भारत में लोकसभा चुनाव के लिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किया जा सकता है ?

A. भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति।

B. उस निर्वाचन क्षेत्र का निवासी जहां से चुनाव लड़ा जाना है।

C. भारत का कोई भी नागरिक जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है।

D. भारत का कोई भी नागरिक।

उत्तर: C

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. चुनावी खुलासों के संदर्भ में निजता के अधिकार की सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या और उम्मीदवारों और मतदाताओं पर इसके प्रभाव का विश्लेषण करें।

(शब्द सीमा – 250 अंक – 15) (UPSC CSE – 2019)

Q2. चुनावी अभियानों के दौरान आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के प्रावधानों का पालन करने या उल्लंघन करने वाले राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के नैतिक निहितार्थों पर विचार करें।

(शब्द सीमा – 250 अंक – 15) (UPSC CSE – 2013)

एशियाई विकास आउटलुक रिपोर्ट 2024 : भारत की जीडीपी में वृद्धि का पूर्वानुमान

(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र – 2 – ' महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, भारत की जीडीपी में वृद्धि का पूर्वानुमान ' खंड से और प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ' एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ' खंड से संबंधित है। इसमें योजना IAS टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख ' दैनिक करेंट अफेयर्स ' के अंतर्गत ' एशियाई विकास आउटलुक रिपोर्ट 2024 : भारत की जीडीपी में वृद्धि का पूर्वानुमान ' से संबंधित है।)

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में एशियाई विकास बैंक (एडीबी) द्वारा 11 अप्रैल 2024 को जारी एशियाई विकास आउटलुक रिपोर्ट अप्रैल 2024 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के विकास पूर्वानुमान वित्तीय वर्ष 2024-25 (एफ़वाई 25) के लिए जारी किए गए पहले के पूर्वानुमान 6.7 प्रतिशत को संशोधित कर 7 प्रतिशत कर दिया गया है।
- एशियाई विकास बैंक द्वारा जारी इस रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 – 24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.6% रही थी, जबकि वित्तीय वर्ष 2025 – 26 में इसकी विकास दर 7.2% रहने की उम्मीद जताई गई है।
- एशियाई विकास आउटलुक रिपोर्ट एशियाई विकास बैंक द्वारा जारी किया जाता है।
- हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी हालिया द्विमासिक मौद्रिक नीति में, वित्तीय वर्ष 25 (2024-25) में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 7% की विकास दर का अनुमान लगाया था।
- एडीबी के अनुसार, वैश्विक आर्थिक समस्याओं के बावजूद, भारत अपनी मजबूत घरेलू मांग और सहायक सरकारी नीतियों के कारण वित्त वर्ष 2025 में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था होने की उम्मीद है। एडीबी की रिपोर्ट में उम्मीद जताई गई है कि मजबूत निवेश, खपत में सुधार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सेवा निर्यात में बढ़त के कारण भारत एशिया में एक प्रमुख आर्थिक महाशक्ति और मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश बनेगा।

सकल घरेलू उत्पाद (GDP) :

- **जीडीपी** एक देश की समग्र **आर्थिक गतिविधि का एक व्यापक माप** है। यह देश में वस्तुओं और सेवाओं के **वार्षिक उत्पादन का कुल योग** होता है।
- **जीडीपी = निजी खपत + सकल निवेश + सरकारी निवेश + सरकारी खर्च + (निर्यात-आयात)**

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) क्या है ?

- एशियाई विकास बैंक (एडीबी) एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना वर्ष 1966 में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सामाजिक एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी।
- इसने 19 दिसंबर, 1966 को 31 सदस्य देशों के साथ काम करना शुरू किया था। वर्तमान में इसमें 68 सदस्य देश शामिल हैं, जिनमें से 49 सदस्य एशिया और प्रशांत क्षेत्र से हैं जबकि अन्य 19 सदस्य देश एशिया और प्रशांत क्षेत्र के बाहर से हैं।
- इसका स्वामित्व इसके कुल सदस्य देशों के 68 सदस्यों में से 49 सदस्य देशों के पास है।
- भारत ADB का संस्थापक सदस्य है।
- एडीबी के पांच सबसे बड़े शेयर धारक जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका (कुल शेयरों के 15.6% के साथ प्रत्येक), पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (6.4%), भारत (6.3%), और ऑस्ट्रेलिया (5.8%) हैं।
- यह एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान है, जो एशिया और प्रशांत क्षेत्र के देशों के विकासात्मक कार्यों पर ध्यान केंद्रित रखता है।
- एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में स्थित है।
- वर्तमान समय में एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष मसात्सुगु असाकावा हैं|

एडीबी द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास दर के उन्नयन का प्रमुख कारण :

एडीबी ने 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित उच्च विकास दर होने के कई कारकों का उल्लेख किया है । इनमें से कुछ प्रमुख कारक निम्नलिखित है –

सरकार द्वारा उच्च पूंजीगत व्यय :

- एडीबी के अनुसार, केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय 2023-24 की तुलना में 2024-25 में 17% बढ़ जाएगा। पूंजीगत व्यय के लिए केंद्र सरकार से राज्य सरकार को धन के हस्तांतरण से देश के बुनियादी ढांचे क्षेत्र को बढ़ावा मिलने की संभावना है।
- बुनियादी ढांचे के विकास का अर्थव्यवस्था पर मुख्य रूप से सकारात्मक प्रभाव पड़ता है जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास की गति को बल प्रदान करेगा।
- ग्लोबल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई अक्टूबर 2023 में आठ महीने के सबसे निचले स्तर 55.5 से नवंबर 2023 में 56.0 पर पहुंच गया था।

आवास क्षेत्र को बढ़ावा :

- भारत में मध्यम आय वाले परिवारों के लिए शहरी आवास उपलब्ध कराने की केंद्र सरकार की नई पहल से आवास क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

स्थिर एवं निम्न मुद्रास्फीति :

- एडीबी की रिपोर्ट में वित्त वर्ष 25 में मध्यम मुद्रास्फीति दर 4.6% रहने की उम्मीद है, जो 2025-26 में गिरकर 4.5% होने की उम्मीद है। बैंक के अनुसार इससे आरबीआई उदार मौद्रिक नीति को अपनाएगा।
- इसके कारण भारत में ब्याज दर स्थिर या कम रहने की उम्मीद है, जिससे बैंकों द्वारा कंपनियों को अधिक ऋण देने में मदद मिलेगी।
- इससे अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा मिलेगा, उन्हें सस्ती दरों पर ऋण मिलेगा।
- इससे विनिर्माण क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को भी बढ़ावा मिलेगा और संबंधित क्षेत्र से निर्यात भी बढ़ेगा।
- भारत में मुद्रास्फीति जनवरी 2024 में 5.10 प्रतिशत से घटकर फरवरी 2024 में 5.09 प्रतिशत हो गई। भारत की मुद्रास्फीति दर 2025 में लगभग 4.30 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
- **मौद्रिक नीति :** आरबीआई ने 2023-24 के लिए रेपो दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखा है, यह सुनिश्चित करता है कि भारत में मुद्रास्फीति उत्तरोत्तर विकास का समर्थन करते हुए लक्ष्य के अनुरूप हो।
- **सार्वजनिक और निजी निवेश :** केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय और राज्य सरकारों को कर हस्तांतरण में उल्लेखनीय वृद्धि से बुनियादी ढांचे के निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। स्थिर ब्याज दरों से निजी कॉर्पोरेट निवेश को बढ़ावा मिलने की संभावना है।
- **सेवा क्षेत्र का प्रदर्शन :** वित्तीय, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाओं की मांग बढ़ने का अनुमान है, जो समग्र आर्थिक विस्तार में योगदान देगा।
- **कृषि क्षेत्र में वृद्धि :** सामान्य मानसून की उम्मीदें कृषि उत्पादन को बढ़ावा देनेऔर उससे आर्थिक विकास को और अधिक बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

क्षेत्रीय विकास के लिए की गई सरकारी पहल और नीतियां :

क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण (आरसीआई) सम्मेलन 2023 :

- इसका आयोजन जॉर्जिया के त्बिलिसी में एशियाई विकास बैंक (एडीबी) द्वारा किया गया था।
- **इसका मुख्य थीम – ' आर्थिक गलियारा विकास (ईसीडी) के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण को मजबूत करना '** था ।

- **उद्देश्य :** इस सम्मलेन का मुख्य उद्देश्य आर्थिक गलियारा विकास की सहायता से स्थानिक परिवर्तन और क्षेत्र-केंद्रित दृष्टिकोण को एकीकृत करना है।
- इस सम्मेलन में, भारत ने सामाजिक-आर्थिक योजना और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने के लिए एडीबी और दक्षिण एशिया उप-क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (एसएएसईसी) देशों को ज्ञान साझा करने के माध्यम से अपनी स्वदेशी रूप से विकसित जीआईएस-आधारित तकनीक की पेशकश की।
- **बुनियादी ढाँचा विकास :** बुनियादी ढाँचे के विकास को बढ़ावा देने और एक सक्षम व्यावसायिक वातावरण प्रदान करने के सरकारी प्रयासों से विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ने और भविष्य के विकास को गति मिलने की उम्मीद है।
- **राजकोषीय समेकन :** वित्त वर्ष 2024 और वित्त वर्ष 2025 के लिए लक्षित घाटे के साथ राजकोषीय समेकन पर सरकार का ध्यान, सकल विपणन उधार को कम करना और निजी क्षेत्र के ऋण के लिए जगह बनाना है।
- **पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान और मल्टी – मॉडल कनेक्टिविटी :** इसे मूल रूप से, पीएम गति शक्ति क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के हिस्से के रूप में सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र-आधारित विकास लाने और जीआईएस-आधारित तकनीक की मदद से क्षेत्रीय भागीदारों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए लागू किया जा रहा है । उदाहरण के लिए – भारत – नेपाल हल्दिया एक्सेस नियंत्रित गलियारा परियोजना।

जोखिम और चुनौतियाँ :

- **वैश्विक झटके :** अप्रत्याशित वैश्विक झटके, जैसे कच्चे तेल के बाजारों में आपूर्ति में व्यवधान और कृषि उत्पादन पर मौसम संबंधी प्रभाव, भारत के आर्थिक दृष्टिकोण के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं।
- **विदेशी निवेश और निर्यात:** तंग वैश्विक वित्तीय स्थितियाँ निकट अवधि में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रभावित कर सकती हैं, जबकि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में कम वृद्धि माल निर्यात को प्रभावित कर सकती है।

एडीबी की प्रतिबद्धता :

- **समावेशी विकास :** एडीबी अत्यधिक गरीबी उन्मूलन के लिए चल रहे प्रयासों के साथ एशिया और प्रशांत क्षेत्र में समृद्धि, समावेशिता, लचीलापन और स्थिरता प्राप्त करने के लिए समर्पित एक वित्तीय संस्थान है।
- **क्षेत्रीय विकास और सहयोग को समर्थन देना :** एशियाई विकास बैंक का प्रमुख उद्देश्य मिशन क्षेत्रीय विकास और इस क्षेत्र में आपसी सहयोग को समर्थन करना है।

2023 – 24/ 2024 – 25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षित विकास दर :

विभिन्न वैश्विक और भारतीय वित्तीय एजेंसियों के पूर्वानुमान निम्नलिखित हैं (12 अप्रैल 2024 तक)

एजेंसी/संगठन	2023-24 के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का अनुमान	2024-25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का पूर्वानुमान	2025-26 के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का पूर्वानुमान
भारतीय रिजर्व बैंक	8%	7%	
विश्व बैंक	7.5%	6.6%	6.5%

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष	6.7%	6.5%	6.5%
एशियाई विकास बैंक	7.6%	7%	7.2 %
मूडीज़	6.8%(जनवरी से दसिंबर 2024)	6.4% (जनवरी से दसिंबर 2025)	–
मॉर्गन स्टेनली	7.9%	6.8%	–
एस एंड पी ग्लोबल	7.4%	6.8%	7%
संयुक्त राष्ट्र	6.2%(जनवरी से दसिंबर 2024)	6.6(जनवरी से दसिंबर2025)	
ओ ई सी डी	6.3%	6.2 %	6.5%
फिच रेटिंग	7.8%	7.0%	–
क्रिसिल	7.6%	6.8%	–
सिटी बैंक		6.8%	
स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक		7.0%	

निष्कर्ष / आगे की राह:

- भारत में नीति निर्माताओं को निर्यात को बढ़ावा देने के लिए व्यापार के नियमों को सरल बनाना होगा।
- निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आसान नीतिगत माहौल के साथ-साथ बड़े पैमाने पर विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाने के एडीबी के सुझाव पर गौर करना भारत के केंद्र सरकार के लिए अच्छा रहेगा।
- पश्चिम एशिया में जारी बेहद ही नाजुक हालातों और लाल सागर से गुजरने वाले सामान्य पूर्व-पश्चिम नौवहन मार्ग में व्यवधान सहित वैश्विक व्यापार की विभिन्न चुनौतियों के मद्देनजर, भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ बेहतर समन्वय बनाने और अपने संचालन एवं क्रियान्वयन (लॉजिस्टिक्स) से संबंधित बुनियादी ढांचे में सुधार करने से जुड़ी एडीबी की सिफारिशों पर ध्यान देना चाहिए।
- मजबूत विनिर्माण विकास, निवेश, उपभोग मांग पर काम करना, मुद्रास्फीति में कमी और सहायक मौद्रिक नीति, क्षेत्रीय सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के अपने लक्ष्य के अनुरूप भारत सरकार के प्रयासों से आने वाले वर्षों में भारत की जीडीपी में वृद्धि हो सकती है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. यह बैंक एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग के सदस्यों को स्वीकार करता है।

2. एशियाई विकास बैंक में चीन का शेयर सबसे अधिक है, जो इस बैंक के स्वामित्व का लगभग 15.5% है।
3. भारत एशियाई विकास बैंक का संस्थापक सदस्य देश है।
4. एशियाई विकास आउटलुक रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1 और 4

B. केवल 1 और 2

C. केवल 2 और 4

D. केवल 1 और 3

उत्तर – D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. "चीन एशिया में संभावित सैन्य शक्ति स्थिति विकसित करने के लिए अपने आर्थिक संबंधों और सकारात्मक व्यापार अधिशेष को उपकरण के रूप में उपयोग कर रहा है", इस कथन के आलोक में, उसके पड़ोसी के रूप में भारत पर पड़ने वाले इसके प्रभाव पर चर्चा करें।

(यूपीएससी मुख्य परीक्षा – 2017) (शब्द सीमा – 250 अंक -15)

Q.2. भारत ने हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) का संस्थापक सदस्य बनने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। भारत के लिए इन दोनों बैंकों के रणनीतिक महत्व पर चर्चा करें।

(यूपीएससी मुख्य परीक्षा – 2014) (शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

मेक्सिको – इक्वाडोर संघर्ष

(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र – 2 के ' महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और संगठन ' खंड से और प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ' वियना सम्मेलन और मेक्सिको – इक्वाडोर संघर्ष ' खंड से संबंधित है। इसमें योजना आईएएस टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख ' दैनिक करेंट अफेयर्स ' के अंतर्गत ' मेक्सिको – इक्वाडोर संघर्ष ' से संबंधित है।)

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में 5 अप्रैल 2024 को, इक्वाडोर की पुलिस ने क्विटो में स्थित मेक्सिको के दूतावास में जबरन प्रवेश कर पूर्व – उपराष्ट्रपति जॉर्ज ग्लास को गिरफ्तार कर लिया जो भ्रष्टाचार के आरोपों में सजा सुनाए जाने के बाद दूतावास में शरण लिए हुए थे।
- इस कार्रवाई को वियना कन्वेंशन का उल्लंघन माना जा रहा है, जो दूतावासों की संप्रभुता की रक्षा करता है।
- मेक्सिको ने इस घटना को अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया और इक्वाडोर के खिलाफ नीदरलैंड स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में शिकायत दर्ज की है।
- मेक्सिको ने संयुक्त राष्ट्र से इक्वाडोर को बाहर निकालने की मांग की है।
- इक्वाडोर ने मेक्सिको की राजदूत रेकेल सेरोर स्मेके को अवांछित व्यक्ति घोषित किया, जिसके जवाब में मेक्सिको ने दूतावास में घुसपैठ का वीडियो जारी किया।
- इक्वाडोर के राष्ट्रपति डैनियल नोबोआ ने इस कार्रवाई को अपनी भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम का हिस्सा बताया। हालांकि, उनकी लोकप्रियता में गिरावट और बढ़ती हिंसा के बीच, आलोचकों का मानना है कि वह इस राजनयिक संकट का इस्तेमाल अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं।
- इक्वाडोर और मेक्सिको के बीच के इस वर्तमान राजनयिक संकट ने दो देशों के बीच के राजनयिक संबंधों की संवेदनशीलता को रेखांकित करते हुए अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन करने के महत्व और इसकी अत्यंत जरूरत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक समुदाय का ध्यान आकृष्ट करवाया है और साथ – ही साथ अंतरराष्ट्रीय समुदायों को चिंता में भी डाल दिया है।

वियना कन्वेंशन (सम्मेलन) क्या है ?

VIENNA CONVENTION
ON DIPLOMATIC RELATIONS

Done at Vienna
On 18 April 1961

- राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन 1961 (Vienna Convention on Diplomatic Relations) स्वतंत्र और संप्रभु देशों के बीच सहमति के आधार पर राजनयिक संबंधों की स्थापना, रखरखाव और समाप्ति के लिए एक पूर्ण रूपरेखा या पूर्ण ढाँचा प्रदान करता है।
- राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन 24 अप्रैल, 1964 को लागू हुआ था और विश्व के लगभग सभी देशों ने इसकी अभिपुष्टि कर दी है, किन्तु पलाऊ और दक्षिण सूडान वियना कन्वेंशन से अलग और अपवाद है।
- भारत राजनयिक संबंधों पर वियना सम्मेलन का प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता देश है।
- यह सम्मेलन राजनयिक प्रतिरक्षा के लंबे समय से चली आ रही प्रथा को संहिताबद्ध करता है, जिसमें राजनयिक मिशनों को विशेषाधिकार प्रदान किया जाता है।
- ये विशेषाधिकार राजनयिकों को मेजबान देश (जहां दूतावास स्थित है) द्वारा जबरदस्ती या उत्पीड़न के डर के बिना अपने कार्यों को करने में सक्षम बनाते हैं।
- इस सम्मेलन के प्रावधानों के अनुसार यह सदस्य देशों को किसी भी राजनयिक मिशन की सीमा को किसी तरह से अनुल्लंघन करने से रोकता है।
- वियना सम्मेलन का अनुच्छेद 22 मिशन के परिसर के संबंध में दायित्वों से संबंधित है। इस अनुच्छेद के भाग 2 में कहा गया है

कि दूतावास के मेजबान देश किसी भी घुसपैठ या क्षति से मिशन के परिसर की रक्षा के लिए और मिशन की शांति को किसी भी तरह की गड़बड़ी या इसकी गरिमा की हानि को रोकने के लिए सभी उचित कदम उठाने के लिए विशेष कर्तव्य बंधे हुए हैं।

- किसी भी उच्चायोग या दूतावास की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेजबान देश की होती है। वैसे राजनयिक मिशन अपनी स्वयं की सुरक्षा के लिए सुरक्षा बल तैनात कर सकता है परन्तु मेजबान देश ही सुरक्षा के लिए जवाबदेह होता है।
- उच्चायोग और दूतावास के बीच अंतर मूलतः यह है कि वे कहाँ और किस देश में स्थित हैं। उच्चायोग जहाँ राष्ट्रमंडल सदस्य देशों पर लागू होता है वहीं दूतावास शेष विश्व पर लागू होता है।।
- **अनुल्लंघनीयता का सिद्धांत (Principle of Inviolability) :** राजनयिक मिशन का परिसर अनुल्लंघनीय होगा। कोई भी संबंधित देश या स्टेट के एजेंट मिशन के प्रमुख की सहमति या अनुमति के बिना उस परिसर में प्रवेश नहीं कर सकता है।
- **ड्यूटी ऑफ स्टेट** : संबंधित देश किसी भी घुसपैठ या क्षति के खिलाफ राजनयिक मिशन के परिसर की रक्षा करने और राजनयिक मिशन की शांति में किसी भी गड़बड़ी या इसकी गरिमा की हानि को रोकने के लिए उचित कदम उठाएगा।
- **उन्मुक्ति :** राजनयिक मिशन का परिसर, उनका साजो – सामान के साथ – ही साथ उस पर मौजूद अन्य संपत्ति और राजनयिक मिशन के परिवहन के साधन तलाशी, माँग, कुर्की या निष्पादन से मुक्त होंगे।

इक्वाडोर – मेक्सिको के वर्तमान तनाव से उत्पन्न होने वाले राजनयिक संकट :

- **राजनीतिक रूप से प्रेरित होना :** पूर्व – उपराष्ट्रपति जॉर्ज ग्लास और पूर्व राष्ट्रपति राफेल कोरिया अपने विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों को राजनीतिक रूप से प्रेरित होने का दावा करते हैं।
- **राजनयिक परिणाम :** राष्ट्रपति डैनियल नोबोआ भ्रष्टाचार विरोधी अभियान को अपने प्रशासन के एजेंडे के केंद्रीय पहलू के रूप में देखते हैं , जिससे मेक्सिको के साथ राजनयिक गतिरोध पैदा हो गया है।
- **बढ़ता कूटनीतिक संकट :** संयुक्त राष्ट्र से इक्वाडोर को निष्कासित करने का मेक्सिको का कदम अंतरराष्ट्रीय मंच पर इस वर्तमान तनाव के और अधिक बढ़ने का संकेत देता है।

मेक्सिको – इक्वाडोर विवाद का महत्वपूर्ण कारण और इसका राजनीतिक परिणाम :

मेक्सिको – इक्वाडोर विवाद का प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं –

1. **वियना समझौते का उल्लंघन :** इक्वाडोर की पुलिस द्वारा मेक्सिको के दूतावास में छापामारी वियना समझौते के तहत दूतावासों की संप्रभुता का उल्लंघन है।
2. **राजनयिक संकट :** इस घटना ने दोनों देशों के बीच एक गंभीर राजनयिक संकट पैदा कर दिया है, जिसमें मेक्सिको ने इक्वाडोर के साथ अपने राजनयिक संबंधों को तोड़ने का ऐलान किया है।1
3. **अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में इक्वाडोर के खिलाफ शिकायत दर्ज होना :** मेक्सिको ने इक्वाडोर के खिलाफ नीदरलैंड स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में शिकायत दर्ज की है।1
4. **आंतरिक मुद्दे :** इक्वाडोर में बढ़ती गैंग हिंसा और भ्रष्टाचार भी इस संकट के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण हैं।
5. **जनमत संग्रह :** इक्वाडोरवासी अगले हफ्ते उस जनमत संग्रह के लिए मतदान करने जा रहे हैं जो गैंग हिंसा के खिलाफ लड़ने के लिए सरकार को ज्यादा सुरक्षा शक्तियां प्रदान करेगा।
6. **ईस्टर सप्ताहांत की हिंसा :** इक्वाडोर में ईस्टर सप्ताहांत के दौरान 100 से ज्यादा हत्याएं हुईं, जिससे स्थिति और भी खराब हो गई है।
7. **घरेलू चुनौतियों के बीच राजनीतिक अवसरवादिता :** आलोचकों ने इक्वाडोर के राष्ट्रपति नोबोआ पर मेक्सिको के साथ राजनयिक संकट और बढ़ती घरेलू चुनौतियों के बीच अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए वर्तमान राजनयिक संकट का उपयोग राजनीतिक अवसरवादिता के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है।
8. **बढ़ती सामूहिक हिंसा :** घरेलू स्तर पर बढ़ती सामूहिक हिंसा से निपटने के अपने तरीके को लेकर राष्ट्रपति नोबोआ को आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। सामूहिक हिंसा के अंतर्निहित मुद्दों के समाधान से संबंधित का समाधान करने में उत्पन्न विफलता वर्तमान संकट के प्रति प्रशासन की प्रतिक्रिया की विश्वसनीयता को कम करती है।

9. भ्रष्टाचार और हिंसा से निपटने के वादों के बावजूद, उनका प्रशासन खासकर गुआयाकिल जैसे शहरों में बिगड़ती सुरक्षा स्थितियों से जूझ रहा है।

निष्कर्ष / आगे की राह :

- मेक्सिको – इक्वाडोर विवाद के संकट का समाधान करने के लिए दोनों देशों को अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन करते हुए आपसी संवाद और समझौते की दिशा में काम करना होगा।
- इक्वाडोरवासियों के सुरक्षा उपायों पर मतदान करने की तैयारी करना महत्वपूर्ण है, परन्तु सरकार को राजनयिक लापरवाही का सहारा लेने के बजाय हिंसा से निपटने और व्यवस्था बहाल करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
- अंतरराष्ट्रीय संधियों के आधार पर इक्वाडोर को अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन और सम्मान करते हुए विश्वसनीय व्यवस्थाओं का विकास करना चाहिए। उन्हें संगठित हिंसा के खिलाफ जंग में पूरी ताकत लगाने के साथ-साथ भ्रष्टाचार से लड़ाई में भी सक्रिय रहना चाहिए।
- इक्वाडोर को अपने सामने मौजूद बेशुमार चुनौतियों से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय से सहायता और समर्थन प्राप्त करना चाहिए और सुरक्षा और स्थिति को सुधारने के लिए समृद्ध और संविदानशील समाधानों की ओर अग्रसर होना होगा।

स्त्रोत – द हिन्दू एवं पीआईबी।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. इक्वाडोर और मेक्सिको के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है।
2. गैलापागोस द्वीप समूह इक्वाडोर का हिस्सा है और यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा है।

निम्नलिखित कथन / कथनों में से कौन सा कथन गलत है/हैं?

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 और 2 दोनों

D. न 1 और न ही 2

उत्तर – D

व्याख्या:

- इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है।
- गैलापागोस द्वीप समूह इक्वाडोर का ही हिस्सा है और यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा है। इसलिए दोनों ही कथन सही है।
- **अतः विकल्प D सही उत्तर है।**

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. राजनयिक संबंधों के संदर्भ में वियना कन्वेंशन (सम्मेलन) क्या है ? इक्वाडोर और मेक्सिको के बीच होने वाले आपसी संघर्ष के प्रमुख कारणों को रेखांकित करते हुए अंतरराष्ट्रीय संधियों और सम्मलेन के आधार पर इसका समाधान प्रस्तुत कीजिए।

भारत में उच्चतम न्यायालय की विशेष शक्तियां और उपचारात्मक याचिका

(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र – 2 – ' भारतीय राजनीति और शासन व्यवस्था ' खंड से और प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ' भारत में उच्चतम न्यायालय की विशेष शक्तियां और उपचारात्मक याचिका ' खंड से संबंधित है। इसमें योजना आईएएस टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख 'दैनिक करंट अफेयर्स' के अंतर्गत ' भारत में उच्चतम न्यायालय की विशेष शक्तियां और उपचारात्मक याचिका ' से संबंधित है।)

ख़बरों में क्यों ?

- हाल ही में भारत के उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2021 के अपने पुराने फैसले को पलटते या बदलते हुए एक उपचारात्मक याचिका के माध्यम से अपनी "असाधारण शक्तियों" का प्रयोग किया है।
- दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड-कंसोर्टियम के नेतृत्व वाली इस फैसले में दिल्ली एय-रपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (DAMEPL) को लगभग 8,000 करोड़ रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया था।

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड मामला 2024 क्या है ?

DMRC को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, नहीं देने होंगे 8 हज़ार करोड़

अपना पहले का फैसला रद्द किया, DAMEPL को देनी थी भारी-भरकम रकम

■ विशेष संवाददाता, सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना पहले का फैसला रद्द कर दिया और कहा कि डीएमआरसी को दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (DAMEPL) को मध्यस्थता आदेश के तहत 8000 करोड़ भुगतान की जरूरत नहीं है। मध्यस्थता आदेश में 2017 में डीएमआरसी को कहा गया था कि वह दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड को 8 हजार करोड़ का भुगतान करे। डीएमआरसी ने आर्बिट्रेशन अवॉर्ड को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में डीएमआरसी की अर्जी खारिज कर दी थी और उसे मध्यस्थता आदेश के तहत भुगतान करने को कहा था। इसके बाद डीएमआरसी ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटिशन दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने क्यूरेटिव पिटिशन को स्वीकार कर लिया और कहा कि 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करके गलती की थी। हाई कोर्ट की डबल बेंच ने 2019 में डीएमआरसी की अपील पर मध्यस्थता आदेश को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पीएसयू डीएमआरसी के लिए इस बात की वाध्यता नहीं है कि वह दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर फर्म) को 8 हजार करोड़ का भुगतान करे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2021 के जजमेंट को खारिज कर दिया है, जिसमें शीर्ष अदालत ने दिल्ली मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के फेवर में आर्बिट्रेशन अवॉर्ड को बहाल रखा था। आर्बिट्रेशन अवॉर्ड के तहत डीएमआरसी को निर्देश दिया गया था कि वह ब्याज समेत भुगतान करे, जो करीब 8 हजार करोड़ से ज्यादा बनता है। 11 मई 2017 के आर्बिट्रेशन अवॉर्ड ने फैसला दिया था और इसे डीएमआरसी ने चुनौती दी थी। आर्बिट्रेशन अवॉर्ड की रकम का ब्याज और तमाम अन्य चार्ज को जोड़कर डीएमआरसी पर 8 हजार करोड़ रुपये भुगतान का दायित्व था।

डीएएमईपीएल ने 2008 में एयरपोर्ट मेट्रो लाइन का ऑपरेशन 2038 तक करने के लिए डीएमआरसी से करार किया था। लेकिन 2012 में कंपनी ने मेट्रो के ऑपरेशन और रेट को लेकर हुए विवाद के कारण इसका ऑपरेशन बंद कर दिया था। डीएमआरसी के खिलाफ कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन का आरोप लगाया और मामला आर्बिट्रेशन के लिए गया और टर्मिनेशन शुल्क की मांग की। 2017 में आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल ने एयरपोर्ट मेट्रो के ऑपरेटर डीएएमईपीएल के दावे को स्वीकार किया था कि स्ट्रक्चरल खामियों के कारण इसका ऑपरेशन प्रैक्टिकल नहीं है। ट्रिब्यूनल ने 11 मई 2017 के अपने फैसले में डीएएमईपीएल के पक्ष में फैसला सुनाया था और 4600 करोड़ भुगतान करने को कहा था।

डीएमआरसी ने आर्बिट्रेशन अवॉर्ड को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी

सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2021 के जजमेंट को खारिज किया

Yojna IAS

Lens समझिए ख़बरों के अंदर की बात

दिल्ली मेट्रो का क्या था ये मॉडल?

दिल्ली की ये इकलौती मेट्रो लाइन है, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के तहत बनाई गई थी। लेकिन ये मॉडल मेट्रो लाइन तैयार होने के कुछ साल के भीतर ही फ्लॉप हो गया। कायदे से प्राइवेट कंपनी के पास 2038 तक इस लाइन के ऑपरेशन की जिम्मेदारी थी लेकिन पहले इसके सिविल स्ट्रक्चर में खराबी और अन्य मुद्दों को उठाते हुए 2013 में ऑपरेशंस की जिम्मेदारी छोड़ दी। इसके बाद प्राइवेट कंपनी दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लि. पहले इस मामले को आर्बिट्रेशन में ले गई और उसने दिल्ली मेट्रो से मुआवजा मांगा। आर्बिट्रेशन के फैसले के बाद दिल्ली मेट्रो ने आर्बिट्रेटर के फैसले को चुनौती दी। तब से ये मामला अलग अलग अदालतों में चलता रहा।

- वर्ष 2008 में DMRC ने दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस के निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिये DAMEPL के साथ भागीदारी की।

- सुरक्षा चिंताओं और परिचालन संबंधी मुद्दों जैसी विवादों के कारण का हवाला देते हुए वर्ष 2013 में DAMEPL द्वारा समझौते को समाप्त कर दिया गया था।
- इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने DAMEPL के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसके परिणामस्वरूप DMRC को लगभग 8,000 करोड़ रुपए का भुगतान करने का आदेश दियागया । हालाँकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने DMRC को 75% राशि एस्क्रो खाते में जमा करने का निर्देश दिया था।
- इस मामले में सरकार ने अपील की और वर्ष 2019 में उच्च न्यायालय के फैसले को DMRC के पक्ष में परिवर्तित कर दिया गया था ।
- DAMEPL ने भारत के उच्चतम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया, जिसने शुरुआत में वर्ष 2021 में माध्यस्थम पंचाट (Arbitral Award) को बरकरार रखा था।

भारत के उच्चतम न्यायालय का वर्तमान निर्णय :

- भारत के उच्चतम न्यायालय के हालिया फैसले ने अपने पुराने फैसले में "मौलिक त्रुटि" का हवाला देते हुए अब DMRC के पक्ष में फैसला सुनाया है ।
- भारत के उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह उपचारात्मक याचिकाओं के महत्त्व को बताता है।
- यह निर्णय भारत में किसी भी बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के लिए कानूनी प्रावधानों के संबंध में स्पष्टता प्रदान करता है साथ ही न्यायालय के अंतिम फैसले के वर्षों बाद भी त्रुटियों को सुधारने और न्याय सुनिश्चित करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की सदिच्छा (willingness) को प्रदर्शित करता है।

उपचारात्मक याचिका क्या है ?

- भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा भी जब अंतिम दोषसिद्धि के विरुद्ध समीक्षा याचिका खारिज़ होती है, तो उसके उसके बाद भी भारत में न्यायिक व्यवस्था के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय में न्याय पाने के उद्देश्य से उपचारात्मक याचिका वादी के लिए एक कानूनी उपाय के रूप में कार्य करता है।

- भारत के संविधान के अनुसार भारत में संवैधानिक रूप से भारत के उच्चतम न्यायालय के अंतिम निर्णय को आमतौर पर केवल समीक्षा याचिका के माध्यम से और उसके बाद भी संकीर्ण प्रक्रियात्मक आधारों पर ही चुनौती दी जा सकती है।
- भारत में उपचारात्मक याचिका न्यायिक विफलता को सुधारने हेतु एक संयमित न्यायिक नवाचार के रूप में कार्य करती है।
- इसका मुख्य उद्देश्य न्यायिक विफलता को रोकने के साथ-साथ कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग को भी रोकना होता है।
- उपचारात्मक याचिकाओं पर निर्णय आमतौर पर न्यायाधीशों द्वारा चैंबर में लिया जाता है, हालाँकि विशिष्ट अनुरोध पर खुले न्यायालय में भी सुनवाई की अनुमति दी जा सकती है।
- उपचारात्मक याचिकाओं को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा एवं अन्य मामले, 2002 के मामले में दिया गया था।

भारत में उपचारात्मक याचिका दायर करने के संबंध में दिशा – निर्देश :

- याचिका के साथ किसी वरिष्ठ अधिवक्ता का प्रमाणीकरण होना चाहिए, जिसमें इस पर पुनः विचार करने के लिए पर्याप्त आधारों पर प्रकाश डाला गया हो।
- इसे सबसे पहले तीन वरिष्ठतम न्यायाधीशों की एक पीठ में प्रसारित किया जाता है, साथ ही यदि उपलब्ध हो तो मूल निर्णय पारित करने वाले न्यायाधीशों के साथ भी इसे साझा किया जाता है ।
- सुनवाई: केवल यदि न्यायाधीशों का बहुमत इसे सुनवाई के लिए आवश्यक समझता है, तो इसे विचार के लिए सूचीबद्ध किया जाता है,
- भारत में उपचारात्मक याचिका उसी पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है जिसने प्रारंभिक निर्णय पारित किया था।
- पीठ उपचारात्मक याचिका पर विचार के किसी भी चरण में न्याय-मित्र के रूप में सहायता के लिए एक वरिष्ठ अधिवक्ता को नियुक्त कर सकती है।
- यदि पीठ यह निर्धारित करती है कि याचिका तर्कराहित है और यह कष्टप्रद है, तो वह याचिकाकर्त्ता पर अनुकरणीय शुल्क लगा सकती है।
- भारत का उच्चतम न्यायालय इस बात पर ज़ोर देता है कि न्यायिक प्रक्रिया की अखंडता बनाए रखने के लिए उपचारात्मक याचिकाएँ दुर्लभ होनी चाहिए और उनकी समीक्षा सावधानीपूर्वक की जानी चाहिए।

भारत में उपचारात्मक याचिका पर पुनः विचार करने के लिए आवश्यक मानदंड :

- उपचारात्मक याचिका की सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय की पीठ किसी भी स्तर पर किसी वरिष्ठ अधिवक्ता को न्याय मित्र (Amicus Curiae) के रूप में मामले पर सलाह के लिये आमंत्रित कर सकती है।

उपचारात्मक याचिका दाखिल करने के लिये जरूरी/आवश्यक स्थितियाँ:

उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक मामले में दोषी के पास उपचारात्मक याचिका का विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। उपचारात्मक याचिका की व्यवस्था ऐसे विशेष/असामान्य मामलों के लिये की गई है जहाँ उच्चतम न्यायालय की न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी न्यायलय के निर्णय से न्याय के सिद्धांत का अतिक्रमण (Grave Miscarriage Of Justice) हो रहा हो।

नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन : यह प्रदर्शित किया जाना चाहिए कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है, जैसे न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने से पहले याचिकाकर्त्ता के पक्ष को नहीं सुना गया है।

न्याय सुनिश्चित करने में पूर्वाग्रह की आशंका : यदि न्यायाधीश की ओर से पूर्वाग्रह का संदेह करने के आधार हैं, जैसे कि प्रासंगिक तथ्यों

का खुलासा करने में विफलता, तो इसे स्वीकार किया जा सकता है।

भारत में उपचारात्मक याचिका से संबंधित अन्य मामले :

भारत संघ बनाम यूनियन कार्बाइड मामला (भोपाल गैस त्रासदी) :

- संघ सरकार भोपाल गैस त्रासदी पीड़ितों के लिये अधिक मुआवज़े के लिये वर्ष 2010 में एक उपचारात्मक याचिका दायर की। वर्ष 2023 में 5 न्यायाधीशों की पीठ ने यह कहते हुए याचिका खारिज़ कर दी कि पहले निर्धारित किया गया मुआवज़ा पर्याप्त था।
- पीठ ने इस बात पर ज़ोर दिया कि उपचारात्मक याचिका पर केवल न्याय के दुरुपयोग, धोखाधड़ी, या भौतिक तथ्यों को दबाने के मामलों में ही विचार किया जा सकता है, जिनमें से कोई भी तथ्य इस मामले में मौजूद नहीं था।

नवनीत कौर बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य मामला, 2014 :

- इस मामले ने मृत्युदंड के मामलों में बदलाव को चिह्नित किया। मृत्युदंड पाने वाले याचिकाकर्त्ता ने उपचारात्मक याचिका के माध्यम से सफलतापूर्वक तर्क दिया कि मानसिक बीमारी और दया याचिका के लिए अनुचित रूप से विलंब सज़ा को आजीवन कारावास में बदलने का आधार बनाया गया था ।

भारत के उच्चतम न्यायालय की विशेष शक्तियाँ क्या हैं ?

- **विवादों का समाधान :** भारतीय संविधान का अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय को भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच या स्वयं राज्यों के बीच कानूनी अधिकारों से जुड़े विवादों में विशेष मौलिक क्षेत्राधिकार का वर्णन करता है।
- **विवेकाधीन क्षेत्राधिकार :** भारतीय संविधान का अनुच्छेद 136 सर्वोच्च न्यायालय को भारत में किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा दिये गए किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश के विरुद्ध अपील करने की विशेष अनुमति देने की शक्ति प्रदान करता है।
- यह शक्ति सैन्य न्यायाधिकरणों और कोर्ट-मार्शल पर लागू नहीं होती है।
- **सलाहकारी क्षेत्राधिकार :** संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के पास सलाहकार क्षेत्राधिकार है, जहाँ भारत के राष्ट्रपति अपनी राय के लिये विशिष्ट मामलों को न्यायालय में भेज सकते हैं।
- **अवमानना की कार्यवाही :** संविधान के अनुच्छेद 129 और 142 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय को अदालत की अवमानना के लिए दंडित करने का अधिकार है, जिसमें स्वत: संज्ञान या महान्यायवादी, सॉलिसिटर जनरल या किसी व्यक्ति द्वारा याचिका सहित स्वयं की अवमानना भी शामिल है।

समीक्षा और उपचारात्मक शक्तियाँ :

- भारत के संविधान का अनुच्छेद 145 सर्वोच्च न्यायालय को, राष्ट्रपति की मंज़ूरी से, न्यायालय के अभ्यास और प्रक्रिया को विनि-

यमित करने के लिये नियम बनाने का अधिकार देता है, जिसमें न्यायालय के समक्ष अभ्यास करने वाले व्यक्तियों के लिए नियम, अपील की सुनवाई, अधिकारों को लागू करना तथा अपीलों पर विचार करना शामिल है।

- इसमें निर्णयों की समीक्षा करने,, लागत निर्धारित करने, ज़मानत देने, कार्यवाही पर रोक लगाने और पूछताछ करने के नियम भी शामिल हैं।

स्त्रोत – द हिन्दू एवं इंडियन एक्सप्रेस

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1.भारत में उपचारात्मक याचिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. इसके तहत न्याय सुनिश्चित करते समय नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है, और न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने से पहले याचिकाकर्त्ता के पक्ष को नहीं सुना गया है।
2. भारत में उपचारात्मक याचिका उसी पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है जिसने मामले के संबंध में पूर्व में ही निर्णय दिया था।
3. इसके तहत इसमें निर्णयों की समीक्षा करने,, लागत निर्धारित करने, ज़मानत देने, कार्यवाही पर रोक लगाने और पूछताछ करने के नियम भी शामिल हैं।
4. इसका मुख्य उद्देश्य न्यायिक विफलता को रोकने के साथ-साथ कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग को भी रोकना होता है।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1, 2 और 3

B. केवल 2, 3 और 4

C. इनमें से कोई नहीं।

D. उपरोक्त सभी।

उत्तर – D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. उपचारात्मक याचिका से आप क्या समझते हैं ? भारत में न्यायिक प्रक्रिया सुनिश्चित किए जाने के दौरान किसी भी मामले में न्यायालय द्वारा किए गए भूलों या त्रुटियों को सुधारने में भारत के उच्चतम न्यायालय की उपचारात्मक याचिकाओं की विशेष शक्तियों के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। (शब्द सीमा – 250 अंक -15)

जलवायु परिवर्तन का प्रतिकूल प्रभाव बनाम जीवन का अधिकार

(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र – 2 एवं 3 के ' शासन व्यवस्था, जैव विविधता और पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और मानवाधिकारों से संबंधित मुद्दे ' खंड से और प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ' जीवन का अधिकार, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, लेसर फ्लोरिकन, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से संरक्षण का अधिकार और मानवाधिकार, अनुच्छेद 51A(g), एम.सी. मेहता बनाम कमल नाथ (2000), संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम' ' खंड से संबंधित है। इसमें योजना आईएएस टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख 'दैनिक करंट अफेयर्स ' के अंतर्गत ' जलवायु परिवर्तन का प्रतिकूल प्रभाव बनाम जीवन का अधिकार ' से संबंधित है।)

Yojna IAS
योजना है तो सफलता है

खबरों में क्यों ?

- भारत में जलवायु परिवर्तन और मानवाधिकारों के बीच के अंतर्संबंधों को जीवन के अधिकार के साथ जोड़कर एक विस्तृत चर्चा करते हुए भारत के उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है।
- भारत के उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसर फ्लोरिकन के संरक्षण से संबंधित मामले के संबंध में आया है, जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को भारतीय संविधान में वर्णित लोगों के जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) और समता का अधिकार (अनुच्छेद 19) के आधार पर दिया गया है।
- भारत के उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB) के संरक्षण हेतु राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में ओवरहेड ट्रांस-मिशन लाइनें स्थापित करने पर प्रतिबंध लगा दिया था।
- इस निर्णय के माध्यम से, न्यायालय ने जलवायु परिवर्तन को मानवाधिकारों के साथ जोड़कर एक नई दिशा प्रदान की है।
- भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A(g) के तहत नागरिकों की पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी और **एम.सी. मेहता बनाम कमल नाथ केस में पर्यावरणीय न्याय के सिद्धांतों** को रेखांकित करते हुए, न्यायालय ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ संघर्ष में नागरिकों और राज्य की भूमिका को मजबूत करते हुए पर्यावरणीय न्याय का व्याख्या किया है।
- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के साथ, यह निर्णय भारत में जलवायु न्याय के लिए एक मजबूत आधार प्रस्तुत करता है।
- भारत में सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि जलवायु परिवर्तन से बचाव का अधिकार और एक स्वास्थ्यप्रद पर्यावरण का अधिकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।

भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकार बनाम जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से संरक्षण का अधिकार क्या है?

भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकार और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से संरक्षण का अधिकार निम्नलिखित है –

जीवन और आजीविका का अधिकार : जलवायु परिवर्तन चरम मौसमी घटनाओं के माध्यम से जीवन के अधिकार को प्रभावित करता है। तटीय क्षेत्रों में समुद्र के स्तर की वृद्धि से लोगों को अपने घरों और आजीविका से विस्थापित होने का खतरा है।

स्वच्छ जल और स्वच्छता तक पहुँच : जलवायु परिवर्तन से जल स्रोतों पर असर पड़ता है, जिससे जल की कमी और प्रदूषण हो सकता है, जो स्वच्छ जल और स्वच्छता के अधिकार को प्रभावित करता है।

स्वास्थ्य और कल्याण: जलवायु परिवर्तन से गर्मी से संबंधित बीमारियाँ और मौतें बढ़ सकती हैं, जिससे स्वास्थ्य का अधिकार प्रभावित होता है। खाद्य सुरक्षा और पोषण पर भी इसका असर पड़ता है।

प्रवासन और विस्थापन : जलवायु परिवर्तन से प्रेरित घटनाएँ जैसे समुद्र के स्तर में वृद्धि और मरुस्थलीकरण से लोगों को पलायन करने या विस्थापित होने के लिए मजबूर किया जा सकता है।

आदिवासियों के अधिकार : जलवायु परिवर्तन से आदिवासी समुदायों की आजीविका और सांस्कृतिक प्रथाओं पर असर पड़ता है, जो प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं।

संवैधानिक प्रावधानों के तहत जलवायु परिवर्तन के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय की वर्तमान व्याख्या का अर्थ / निहितार्थ :

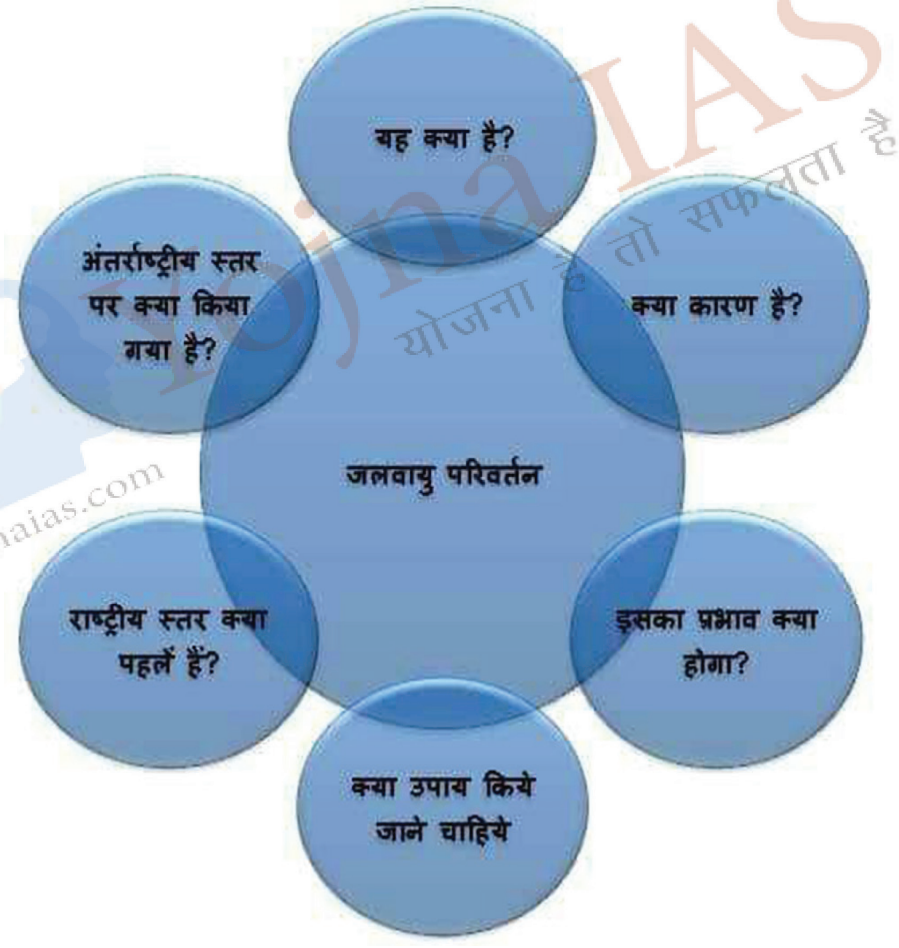

- भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 14, 21, 48A, और 51A(g) की व्याख्या करते हुए, इन्हें जीवन के अधिकार और समानता के अधिकार के अभिन्न अंग के रूप में मान्यता दी है।

- एम.सी. मेहता बनाम कमल नाथ मामले में, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार जीवन के अधिकार का ही विस्तार है।
- हालिया निर्णयों में, न्यायालय ने जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने के अधिकार को विशिष्ट अधिकार के रूप में मान्यता दी है, जिससे भारत में पर्यावरण संरक्षण प्रयासों के लिए कानूनी आधार मजबूत हुआ है।
- यह निर्णय जलवायु परिवर्तन पर निष्क्रियता के विरुद्ध कानूनी चुनौतियों के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है और जलवायु परिवर्तन के मानवाधिकार आयामों की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय मान्यताओं के अनुरूप है।

जलवायु परिवर्तन शमन को संतुलित करने की राह में महत्वपूर्ण चुनौतियाँ :

जलवायु परिवर्तन के साथ मानवाधिकार संरक्षण के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध है। जलवायु परिवर्तन को संतुलित करने की राह में महत्वपूर्ण चुनौतियाँ निम्नलिखित है –

1. **व्यापार-बंद :** जलवायु शमन उपाय और मानवाधिकारों के बीच टकराव हो सकते हैं। उदाहरण के लिए – जलवायु संरक्षण परि-योजनाओं के लिए भूमि उपयोग पर प्रतिबंध या नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के कारण विस्थापन हो सकता है।
2. **संसाधनों तक पहुँच :** जलवायु गतिविधियाँ, विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए ऊर्जा, जल, और भोजन जैसे आवश्यक संसाधनों को प्रभावित कर सकती हैं।
3. **पर्यावरणीय प्रवासन :** जलवायु – प्रेरित प्रवासन सामाजिक प्रणालियों पर दबाव डाल सकता है और साथ ही मेज़बान समुदायों में संसाधनों और अधिकारों पर संघर्ष का कारण बन सकता है।
4. **अनुकूलन बनाम शमन :** जलवायु प्रभावों के अनुकूलन में निवेश के साथ ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (शमन) को कम करने के प्रयासों को संतुलित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

5. **अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग की जरूरत :** जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक मुद्दा है और इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। इसके साथ ही यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि जलवायु पहल विदेशों में कमज़ोर समूहों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करें।

जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के समाधान की राह :

जलवायु परिवर्तन से होनेवाले नकारात्मक प्रभावों के समाधान के लिए हम निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं –

- **मानवाधिकार-केंद्रित कार्बन मूल्य निर्धारण :** कार्बन टैक्स के जरिए एकत्रित राजस्व का उपयोग कर हम स्वच्छ ऊर्जा उपायों, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, और विकासशील देशों के जलवायु अनुकूलन तथा शमन प्रयासों को सहायता प्रदान कर सकते हैं।
- **हरित प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण और क्षमता निर्माण :** विकासशील देशों को किफायती दरों पर हरित प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण करके और उनके विकास के अधिकार से समझौता किए बिना हम उन्हें कार्बन उत्सर्जन कम करने वाले विकास के मार्ग को अपनाने की अनुमति दे सकते हैं।
- **मानवाधिकार प्रभाव आकलन :** जलवायु परिवर्तन शमन या अनुकूलन रणनीतियों को लागू करने से पहले, उनके मानवाधिकार प्रभावों का पूर्ण आकलन करना चाहिए, जिससे संभावित जोखिमों की पहचान की जा सके और मानवाधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके।

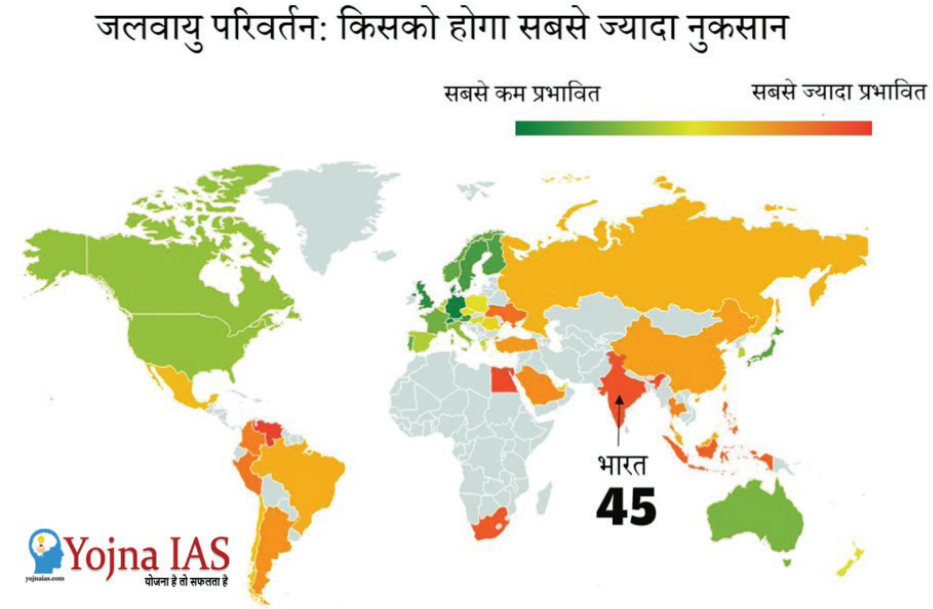

- मानवाधिकार-केंद्रित कार्बन मूल्य निर्धारण से, कम आय वाले परिवारों को ऊर्जा लागत के बढ़ते प्रभाव से बचाने के लिए प्रग-

तिशील छूट या लाभांश प्रदान किया जा सकता है, जिससे न्यायपूर्ण परिवर्तन संभव हो। कार्बन टैक्स से प्राप्त राजस्व का उपयोग स्वच्छ ऊर्जा पहलों, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, और विकासशील देशों के जलवायु प्रयासों के समर्थन में किया जा सकता है।

- हरित प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता निर्माण के अंतर्गत, विकासशील देशों को हरित प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण किफायती दरों पर करने की सुविधा प्रदान की जा सकती है, जिसमें बौद्धिक संपदा के प्रतिबंधों में ढील देना या प्रौद्योगिकी साझेदारी स्थापित करना शामिल हो सकता है। इससे विकासशील देशों को उनके विकास के अधिकार को बिना समझौता किए कम कार्बन वाले विकास पथ को अपनाने की अनुमति मिलेगी।
- मानवाधिकार प्रभाव आकलन के माध्यम से, जलवायु परिवर्तन शमन या अनुकूलन रणनीतियों को लागू करने से पहले उनके मानवाधिकार प्रभावों का आकलन किया जा सकता है। इससे संभावित जोखिमों की पहचान में सहायता मिलेगी और यह सुनिश्चित होगा कि समाधान ऐसे बनाए गए हैं जो मानवाधिकारों का सम्मान और सुरक्षा करते हैं।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. जलवायु परिवर्तन का प्रतिकूल प्रभाव बनाम जीवन का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. जलवायु परिवर्तन से बचाव का अधिकार और एक स्वास्थ्यप्रद पर्यावरण का अधिकार नागरिकों का मानवाधिकार है।
2. एम.सी. मेहता बनाम कमल नाथ मामला स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार और जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ है।
3. जलवायु परिवर्तन से जल जल की कमी और प्रदूषण हो सकता है, जो स्वच्छ जल और स्वच्छता के अधिकार को प्रभावित करता है।
4. उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय नागरिकों की पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी के साथ -ही साथ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसर फ्लोरिकन के संरक्षण से जुड़ा हुआ है।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1, 2 और 3

B. केवल 2, 3 और 4

C. इनमें से कोई नहीं।

D. उपरोक्त सभी।

उत्तर – D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. चर्चा कीजिए कि मानवाधिकार और जलवायु परिवर्तन से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय समझौता किस तरह नागरिकों के मौलिक अधिकारों को प्रभवित करता है ? तर्कसंगत मत प्रस्तुत कीजिए।

(शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

Yojna IAS योजना है तो सफलता है yojnaias.com

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)

(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र – 2 के ' भारतीय राजनीति और शासन व्यवस्था, अर्ध – न्यायिक निकाय और मानवाधिकारों से संबंधित मुद्दे ' खंड से और प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ' राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और सांविधिक निकाय ' खंड से संबंधित है। इसमें योजना आईएएस टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख ' दैनिक करंट अफेयर्स ' के अंतर्गत ' राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ' से संबंधित है।)

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में 19 अप्रैल, 2024 को नई दिल्ली में, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की थी , जिसमें देश के सभी सात राष्ट्रीय आयोगों के अध्यक्षों ने भाग लिया।
- इस बैठक का उद्देश्य विशेषकर कमजोर और हाशिए के वर्गों के लिएमानव अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण पर चर्चा करना था।
- एनएचआरसी के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा ने बैठक की अध्यक्षता की और सभी आयोगों को संयुक्त रणनीतियां बनाने के लिए प्रेरित किया।
- बैठक में विभिन्न पीड़ित मुआवजा योजनाओं के अध्ययन और उनकी स्थिति की समीक्षा पर जोर दिया गया, ताकि वे कानून के अनुरूप हों।
- जस्टिस मिश्रा ने बताया कि देश में मजबूत कानून मौजूद हैं जो मानवाधिकारों की रक्षा करते हैं, और यह आवश्यक है कि सभी आयोग इन कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए साथ मिलकर काम करें।
- इस बैठक में इस बात ओअर भी जोर दिया गया कि समाज के हाशिए पर रहने वाले संघर्षरत समुदायों या वर्गों, स्त्रियों आदि के लिए समानता और सम्मान कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है, और इसके लिए एक-दूसरे के अनुभवों से सीखने की आवश्यकता पर बल दिया गया।
- इस बैठक में सेप्टिक टैंकों की यांत्रिक सफाई और एनएचआरसी की परामर्शों के पालन करने को सुनिश्चित करने पर भी चर्चा की गई।

- **इस बैठक में शामिल आयोगों में राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW), राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC), राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST), राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR), राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM), राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC), और विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयोग शामिल थे। इन आयोगों का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के अधिकारों की रक्षा करना है।**

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगों की संयुक्त बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय :

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगों की संयुक्त बैठक में निम्नलिखित परिणाम सामने आए हैं –

1. **प्रभावी कार्यान्वयन हेतु संयुक्त रणनीतियाँ :** NHRC ने मानवाधिकारों की रक्षा के लिए मौजूदा कानूनों और योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए संयुक्त रणनीतियाँ तैयार करने के लिए सभी सात राष्ट्रीय आयोगों के बीच सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया।
2. **सेप्टिक टैंकों की यंत्रों द्वारा सफाई :** NHRC ने सेप्टिक टैंकों की यंत्रों द्वारा सफाई के महत्व पर भी जोर दिया और राज्यों तथा स्थानीय निकायों से इस मामले पर NHRC की सलाह का पालन करने का आग्रह किया।
3. **अनुसंधान हेतु सहयोग :** अनुसंधान के प्रयासों के दोहराव से बचने के लिए सभी आयोगों के बीच सहयोग की भावना होनी चाहिए।
4. **शिक्षा एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में चुनौतियाँ :** राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) के अध्यक्ष ने नई शिक्षा नीति और उभरती प्रौद्योगिकी का समान लाभ लोगों तक सुनिश्चित करने की चुनौती पर चर्चा की।
5. **बच्चों के अधिकार :** राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने में आयोग के सक्रिय कार्यों पर प्रकाश डाला।
6. **विकलांग व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौतियाँ :** विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त ने 'दिव्यांगजनों' के बीच अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ने के साथ-साथ संबंधित चुनौतियों की बढ़ोतरी पर चर्चा की।
7. **सहयोग का दायरा और संरचित दृष्टिकोण :** आयोगों के बीच सहयोग बढ़ाने और सामाजिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक संरचित दृष्टिकोण की वकालत की गई है। **'HRCNet पोर्टल'** का उपयोग करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया, जो पीड़ित नागरिकों से प्राप्त शिकायतों के समाधान के लिए एक केंद्रीकृत दृष्टिकोण प्रदान करता है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) क्या है ?

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) भारत में मानवाधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए एक स्वायत्त संस्था है। इसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। यह आयोग भारतीय संविधान और

अंतर्राष्ट्रीय संधियों द्वारा प्रदत्त मानवाधिकारों की रक्षा करता है।

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक निकाय है न कि संवैधानिक। यह आयोग देश में मानवाधिकार का मुख्य प्रहरी है।

संरचना, नियुक्ति एवं कार्यकाल :

- **NHRC में एक अध्यक्ष होता है, जो भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है। इसके साथ ही इसमें पांच पूर्णकालिक सदस्य और सात मानद सदस्य होते हैं।**
- अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा छह सदस्यीय समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाती है।
- अध्यक्ष और सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो) अपने पद पर बने रहते हैं।
- इसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, दोनों सदनों के विपक्षी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होते हैं।

कार्य और भूमिका :

- NHRC की भूमिका मुख्यतः अनुशंसात्मक होती है।
- इस आयोग के पास न्यायिक कार्यवाही करने के साथ ही सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं।
- यह आयोग मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच कर सकता है और इसके लिए वह केंद्र या राज्य सरकार के अधिकारियों या जांच एजेंसियों की सेवाएं ले सकता है।
- यह किसी भी घटना के घटित होने के एक वर्ष के भीतर उस घटना या मामलों की जांच करने का अधिकार रखता है।

संशोधन और विकास :

- भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को 2006 और 2019 में संशोधित किया गया, जिससे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की क्षमताओं और कार्यक्षेत्र में विस्तार हुआ।
- इसे पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप स्थापित किया गया था, जो मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन या संस्था है।
- NHRC भारत में मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था है, जो व्यक्तियों के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकारों की रक्षा करती है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कार्यप्रणाली में व्याप्त कमियाँ :

वर्तमान समय में भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कार्यप्रणाली में कुछ कमियाँ व्याप्त हैं, जो इसकी प्रभावशीलता को प्रभावित करती है –

सिफारिशों की गैर-बाध्यकारी प्रकृति :

- NHRC मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करता है और फिर सिफारिशें प्रदान करता है, किंतु यह संबंधित विभागों या अधिकारियों को विशिष्ट कार्रवाई करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है।
- इसका प्रभाव विधिक के बजाय काफी हद तक नैतिक होता है।

उल्लंघनकर्त्ताओं को दंडित करने में असमर्थता :

- NHRC के पास उल्लंघनकर्त्ताओं को दंडित करने का अधिकार नहीं है।

- यह सीमा इस आयोग की प्रभावशीलता को कम कर देती है।

सशस्त्र बल संबंधी मामलों में सीमित भूमिका होना :

- सशस्त्र बलों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले में NHRC का हस्तक्षेप प्रतिबंधित है।
- सैन्य कर्मियों से जुड़े मामले अक्सर इस आयोग के दायरे से बाहर होते हैं। अतः सशस्त्र बलों से संबंधित मामलों में इसकी भूमिका सीमित होती है।

मानवाधिकार उल्लंघन संबंधी पुराने मामले में समय सीमाएँ :

- NHRC एक वर्ष के बाद रिपोर्ट किए गए मानवाधिकार उल्लंघनों के मामलों पर विचार नहीं कर सकता है।
- यह सीमा पुरानी अथवा विलंबित मानवाधिकार शिकायतों का प्रभावी निपटान करने से रोकती है।

संसाधनों की कमी :

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास अत्यधिक संख्या में मामलों के निराकरण करने के लिए आना और उसके पास संसाधनों की सीमितता के कारण NHRC को जांच, पूछताछ और जन जागरूकता अभियानों को कुशलतापूर्वक संभालने के लिए संघर्ष करना पड़ता है।
- भारत के कई राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष के पद रिक्त हैं, वे इनके बिना ही कार्य कर रहे हैं और NHRC के ही सामान राज्य मानवाधिकार आयोग में भी कर्मचारियों की कमी की समस्या बनी हुई है।

स्वायतत्ता का अभाव:

- NHRC की संरचना सरकारी नियुक्तियों पर निर्भर करती है। राजनीतिक प्रभाव से पूर्ण स्वतंत्रता सुनिश्चित करना एक चुनौती बनी हुई है, यह इस आयोग की विश्वसनीयता को प्रभावित भी करती है।

सक्रिय हस्तक्षेप की आवश्यकता :

- NHRC अक्सर शिकायतों पर सक्रियता से प्रतिक्रिया देता है। निवारक उपायों और शीघ्र हस्तक्षेप सहित अधिक सक्रिय दृष्टिकोण इसकी प्रभावशीलता में वृद्धि कर सकते हैं।

निष्कर्ष / समाधान की राह :

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के कामकाज को सुचारू रूप संचालित करने और अत्यधिक दक्षता एवं त्वरित गति से निपटारे के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं –

1. **अधिदेश का विस्तार :** नई चुनौतियों जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप फेक, और क्लाइमेट चेंज को समाहित करने के लिए NHRC के अधिदेश को विस्तारित करना।
2. **प्रवर्तन शक्तियाँ :** NHRC को अपनी सिफारिशों को लागू करने के लिए दंडात्मक शक्तियाँ प्रदान करना, जिससे जवाबदेही और अनुपालन में सुधार हो।
3. **संरचना के स्तर पर सुधार करना :** नागरिक समाज, कार्यकर्ताओं, और विशेषज्ञों को NHRC के सदस्य के रूप में नियुक्त करके इसकी संरचना में विविधता लाना अत्यंत आवश्यक है।
4. **स्वतंत्र कैडर का विकास करना :** भारत में मानवाधिकारों में विशेषज्ञता वाले कर्मचारियों का एक स्वतंत्र कैडर विकसित करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।
5. **राज्य आयोगों का सशक्तीकरण करना :** राज्य मानवाधिकार आयोगों के बीच सहयोग और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देकर उसका सशक्तिकरण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
6. **जन जागरूकता :** नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति सशक्त बनाने के लिए जन जागरूकता अभियान और उनकी शिक्षा को प्रोत्साहित किया जा सकता है।
7. **अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार निकायों के साथ सहयोग करना :** भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार निकायों के साथ सहयोग करना और उनकी प्रथाओं को सीख कर भारत के नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा सकता है।

इन कदमों से NHRC की प्रभावशीलता और जवाबदेही में सुधार हो सकता है, और यह भारत में मानवाधिकारों की रक्षा और संवर्धन में और अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकता है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए (UPSC – 2011)

1. शिक्षा का अधिकार
2. सार्वजनिक सेवा तक समान पहुँच का अधिकार
3. भोजन का अधिकार

उपर्युक्त में से कौन-सा/से "मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा" के अंतर्गत मानवाधिकार है/हैं?

A. केवल 1

B. केवल 1 और 2

C. केवल 3

D. 1, 2 और 3

उत्तर – D

Q.2. मौलिक अधिकारों के अलावा, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा (1948) के सिद्धांतों और प्रावधानों को प्रतिबिंबित/प्रतिबिंबित करता है? (UPSC – 2020)

1. प्रस्तावना

2. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत

3. मौलिक कर्तव्य

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

A. केवल 1 और 2

B. केवल 2

C. केवल 1 और 3

D. 1, 2 और 3

उत्तर – D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में मानवाधिकारों की प्रभावी सुरक्षा में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के समक्ष आने वाली चुनौतियों और सीमाओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा कीजिए। इस संस्था के स्वायत्तता और प्रभावशीलता के लिए किस तरह के सुधारात्मक उपाय किए जा सकते हैं?

(शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

Q.2. चर्चा कीजिए कि यद्यपि मानवाधिकार आयोगों ने भारत में मानव अधिकारों के संरक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, फिर भी वे ताकतवर और प्रभावशाली लोगों के विरुद्ध कारवाई करने में असफल क्यों रहे हैं ? इस आयोग की संरचनात्मक और व्यावहारिक सीमाओं का विश्लेषण करते हुए इसमें सुधारात्मक उपायों के सुझाव दीजिए।

(UPSC CSE – 2021)

Yojna IAS
योजना है तो सफलता है
yojnaias.com

सामान्य अध्ययन -3

(प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, सुरक्षा और आपदा प्रबंधन)

YojnaIAS
योजना है तो सफलता है
yojnaias.com

जलवायु परिवर्तन और जल संरक्षण एवं संवर्धन की जरूरत

स्त्रोत – द हिन्दू एवं पीआईबी।

सामान्य अध्ययन – जल संरक्षण, भारत में जल संकट और नागरिक जनजीवन, सतत विकास, विश्व जल दिवस 2024, वर्षा जल संरक्षण, प्रबंधन एवं संवर्धन, कैच द रेन अभियान

ख़बरों में क्यों ?

- हाल ही में केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी ताजा रिपोर्ट के अनुसार – दक्षिण भारत के सभी जलाशयों में कुल जल धारण क्षमता का मात्र 23 प्रतिशत पानी उपलब्ध है। यह आवर्ती दशकीय औसत से नौ प्रतिशत अंक कम है जो भारत में जल संकट की भयावहता को बताता है।
- केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी ताजा रिपोर्ट के पूर्व भी वर्ष 2017 में दक्षिण भारत को गर्मियों में जल संकट का सामना करना पड़ा था। इस वर्ष जल संकट की समस्या कुछ अन्य कारणों से अलग और बदतर होने की ओर अग्रसर है।
- कर्नाटक के 236 तालुकों में से 223 सूखे से प्रभावित हैं, जिनमें बेंगलुरु के पानी के स्रोत मांड्या और मैसूरु जिले भी शामिल हैं।
- भारत में जैसे-जैसे गर्मी बढ़ रही है, आने वाले महीनों में कर्नाटक भर के लगभग 7,082 गांवों में पीने के पानी का संकट पैदा होने का खतरा है।
- भारत की मानसून विभिन्न कारकों से प्रभावित होता है। जिसमें से एक प्रमुख कारक अल – नीनो है जिसने भारतीय मानसून को और अधिक अनियमित बना दिया है।
- वर्ष 2014-16 में अल नीनो – की घटना हुई थी, लेकिन यह परिघटना इतना महत्वपूर्ण था कि भारत के समकालीन इतिहास की पांच सबसे मजबूत परिघटनाओं में से एक है।
- भारत में अल नीनो के प्रभाव से भारतीय मानसून में अनियमितता उत्पन्न होती रहती है।
- जलवायु परिवर्तन होने के कारण वर्ष 2023 में रिकॉर्ड गर्मी के बाद 2024 में भी गर्मी की मौजूदा स्थिति और बदतर होने की आशंका है।
- यूनाइटेड किंगडम के मौसम विज्ञान कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार, 2026 तक रिकॉर्ड तोड़ने वाली गर्मी हो सकती है।
- जलवायु परिवर्तन होने से भारत की कृषि व्यवस्था जो मानसून पर ही निर्भर होती है को और अधिक घातक प्रभाव झेलना होगा। अतः भारत सरकार को भी अपने सतत विकास की नीतियों के कार्यान्वयन में सकारात्मक बदलाव करने की जरूरत है।
- हाल ही में 22 मार्च 2024 को पूरी दुनिया में ‘ विश्व जल दिवस ’‘मनाया गया।
- वर्ष 1993 से प्रतिवर्ष 22 मार्च को आयोजित होने वाला विश्व जल दिवस, संयुक्त राष्ट्र का एक वार्षिक दिवस है। जिसका मुख्य उद्देश्य – मीठे पानी के महत्व पर ध्यान केंद्रित करना है।
- विश्व जल दिवस का मुख्य उद्देश्य – सुरक्षित पानी तक पहुंच के बिना रहने वाले लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।

- विश्व जल दिवस 2024 का मुख्य विषय या थीम **" शांति के लिए जल का लाभ उठाना "** है।
- हाल ही में भारत के जल शक्ति मंत्रालय ने वर्षा जल संचयन और अन्य टिकाऊ जल प्रबंधन प्रणालियों के लिए **' जल शक्ति अभियान : कैच द रेन – 2024 अभियान '** प्रारंभ किया है।
- भारत में यह कार्यक्रम **'नारी शक्ति से जल शक्ति'** थीम पर आधारित था। जो जल शक्ति मंत्रालय के पांचवें संस्करण के अभियान के रूप में,नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया था।
- भारत **' नारी शक्ति से जल शक्ति '** अभियान के द्वारा महिला सशक्तिकरण और जल संसाधनों के स्थायी प्रबंधन के बीच एक मजबूत संबंध स्थापित करना चाहता है।
- भारत में आयोजित इस कार्यक्रम में **' जल शक्ति अभियान 2019 से 2023 – जल सुरक्षा की ओर अग्रसर एक सार्वजनिक नेतृत्व वाला आंदोलन '** नामक वृत्तचित्र की स्क्रीनिंग और दो पुस्तकों – **'जल शक्ति अभियान: 2019 से 2023' और '101 जल जीवन मिशन के चैंपियन और महिला जल योद्धाओं की वार्ता '** का अनावरण भी किया गया।

विश्व जल दिवस का इतिहास :

- सन 1992 में ब्राजील में हुए पर्यावरण और विकास सम्मेलन में **'विश्व जल दिवस'** को मनाए जाने एवं स्वच्छ जल की उपल-ब्धता विषय का प्रस्ताव पारित किया गया।
- सयुंक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) ने 1992 में इस प्रस्ताव को अपनाते हुए वैश्विक स्तर पर प्रति वर्ष **22 मार्च को 'विश्व जल दिवस'** मनाए जाने की घोषणा की।
- **अतः पहली बार वर्ष 1993 में 'विश्व जल दिवस' मनाया गया।**
- वर्ष 2010 में यूएन ने सुरक्षित, स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता के अधिकार को मानव अधिकार के रूप में मान्यता दी।
- सुरक्षित, स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता के अधिकार को मानव अधिकार के रूप में मान्यता देने का मुख्य उद्देश्य वैश्विक जल संकट पर लोगों का ध्यान केंद्रित करना है।

विश्व जल दिवस का महत्व :

- विश्व जल दिवस का मुख्य लक्ष्य सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) 6 की उपलब्धि का समर्थन करना है।
- विश्व जल दिवस मनाने का मुख्य वैश्विक स्तर पर 2030 तक सभी के लिए साफ जल और स्वच्छता उपलब्ध करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

वर्तमान समय में जल संरक्षण की जरूरत क्यों ?

- संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, स्वच्छता, साफ-सफाई और साफ पानी की कमी से होने वाली बीमारियों से हर साल 14 लाख लोगों की मौत हो जाती है। विश्व के लगभग 25% आबादी के पास स्वच्छ जल तक पहुंच नहीं है और लगभग आधी वैश्विक आबादी के पास स्वच्छ शौचालयों का अभाव है। वर्ष 2050 तक जल की वैश्विक स्थिति 55% तक बढ़ने का अनुमान है।

- मानव जीवन में जल रोजमर्रा की गतिविधियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। जल का उचित उपयोग मीठे जल के भंडारों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- एक व्यक्ति एक दिन में औसतन 45 लीटर तक पानी अपने दैनिक गतिविधियों के माध्यम से बर्बाद कर देता है। इसलिए, दैनिक जल उपयोग में कुछ बदलाव करने से भविष्य में उपयोग के लिए काफी मात्रा में जल बचाया जा सकता है।
- दुनिया भर में लगभग 3 अरब से अधिक लोग जल की निर्भरता के कारण दूसरे देशों में पलायन करते हैं।
- विश्व भर में केवल 24 देशों के पास साझा जल उपयोग के लिए सहयोग समझौते हस्ताक्षर हुए हैं।

भारत में जल प्रबंधन के समक्ष चुनौतियाँ :

भारत में जल प्रबंधन के समक्ष निम्नलिखित चुनौतियाँ विद्यमान है-

- जल की मांग और पूर्ति के मध्य अंतर को कम करना।
- खाद्य उत्पादन के लिये पर्याप्त पानी उपलब्ध कराना और प्रतिस्पर्द्धी मांगों के बीच उपयोग को संतुलित करना।
- महानगरों और अन्य बड़े शहरों की बढ़ती मांगों को पूरा करना।
- अपशिष्ट जल का उपचार।
- पड़ोसी देशों के साथ – साथ राज्यों के बीच पानी का बँटवारा करना।

समाधान की राह :

- भारत में दुनिया की 18 प्रतिशत आबादी रहती है, लेकिन लगभग 4 प्रतिशत लोगों को ही पर्याप्त जल संसाधन उपलब्ध है।
- भारत में लगभग 90 मिलियन जनसंख्या को सुरक्षित पानी तक पहुंच नहीं है। भारत की सामान्य वार्षिक वर्षा 1100 मिमी है जो विश्व की औसत वर्षा 700 मिमी से अधिक है।
- भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार – जून से अगस्त 2023 के दौरान दक्षिण-पश्चिम मानसून 42 प्रतिशत जिलों में सामान्य से नीचे रहा है। अगस्त 2023 में देश में बारिश सामान्य से 32 प्रतिशत कम और दक्षिणी राज्यों में 62 प्रतिशत कम थी।
- 1901 के पश्चात अर्थात पिछले 122 वर्षों में भारत में पिछले वर्ष अगस्त में सबसे कम वर्षा हुई।
- भारत में हुई कम वर्षा से न केवल भारतीय कृषि पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा, बल्कि इससे देश के विभिन्न क्षेत्रों में पानी की भारी कमी होने की प्रबल संभावना भी हो सकती है।
- भारत में एक वर्ष में उपयोग की जा सकने वाली पानी की शुद्ध मात्रा 1,121 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) अनुमानित है।
- जल संसाधन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित आंकड़ों से पता चलता है कि 2025 में कुल पानी की माँग 1,093 बीसीएम और 2050 में 1,447 बीसीएम होगी। परिणामस्वरूप अगले 10 वर्षों में पानी की उपलब्धता में भारी कमी की संभावना है।
- भारत विश्व में भूजल का सबसे अधिक दोहन करता है। यह मात्रा विश्व के दूसरे और तीसरे सबसे बड़े भूजल दोहन-कर्ता (चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका) के संयुक्त दोहन से भी अधिक है।
- फाल्कनमार्क वॉटर इंडेक्स के अनुसार भारत में लगभग 76 प्रतिशत लोग पहले से ही पानी की कमी से जूझ रहे हैं।
- नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार – वर्ष 2030 तक देश की जल मांग मौजूदा उपलब्ध आपूर्ति की तुलना में दोगुनी हो जाएगी।
- आधुनिक तकनीकों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिमोट सेंसिंग आदि का उपयोग करके पानी की खपत को मापा और सीमित किया जा सकता है।
- भारत में जल स्रोतों का विस्तार, जल दक्षता में सुधार और जल संसाधनों की रक्षा करने से पानी की उपलब्धता और गुणवत्ता में सुधार हो सकता है।

- भारत में जल संकट से उबरने और जल संवर्धन के लिए बरीड क्ले पॉट प्लांटेशन सिंचाई जैसे तकनीकी उपायों का भी उपयोग किया जा सकता है, जिससे पानी की बचत और फसल की उत्पादकता में सुधार किया जा सकता हैं।
- भारत में भारत में जल संकट से उबरने और जल संवर्धन के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जल संसाधनों की संरक्षा के लिए सरकारी स्तर पर नीतियों में सुधार किया जाए और सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों का विस्तार किया जाए ताकि पानी की सटीक और सही खपत की सुनिश्चित किया जा सके।
- भारत में जल संरक्षण एवं भूजल रिचार्ज के लिए वाटरशेड मैनेजमेंट एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है।
- भारत में जल संग्रहण के विकास का मुख्य उद्देश्य वर्षा जल की एक-एक बूंद का सरंक्षण, मिट्टी के कटाव को नियंत्रित करना, मिट्टी की नमी और पुनर्भरण (रिचार्ज) को बढ़ाना, मौसम की प्रतिकूलताओं के बावजूद प्रति यूनिट क्षेत्र और प्रति यूनिट जल की उत्पादकता को अधिकतम करना है।
- भारत में जल संरक्षण की परंपरागत प्रणाली पर भी विशेष बल दिया जाना चाहिए।
- भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बहने वाली नदियां बारहमासी बनी रहें, इसके लिए सरकारी स्तर पर नीति – निर्माण करना और जल संरक्षण के लिए प्रयास किया जाना अत्यंत आवश्यक है।
- भारत के ग्रामीण इलाकों में जल बजटिंग और जल ऑडिटिंग की स्पष्ट रूपरेखा बनाने के साथ-साथ प्रत्येक क्षेत्र में एक जल बैंक स्थापित करना अत्यंत आवश्यक है।
- जल संरक्षण में भूजल वैज्ञानिकों के साथ समाज में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के लिए समय-समय पर संगोष्ठी एवं सेमिनार आयोजित किए जाने चाहिए। वर्तमान परिस्थिति में इस समस्या के स्थायी समाधान हेतु जल संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सभी को सामूहिक प्रयास करने होंगे।

- भारत में जल प्रशासन संस्थानों के कामकाज में नौकरशाही, गैर-पारदर्शी और गैर-भागीदारी वाला दृष्टिकोण अभी भी जारी है। अतः इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि देश के जल प्रशासन में सुधार की आवश्यकता है।
- यह आवश्यक है कि सूखे और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं की विश्वसनीय जानकारी और उससे संबंधित आँकड़े हमें जल्द-से-जल्द उपलब्ध हों ताकि समय रहते इनसे निपटा जा सके और संभावित क्षति को कम किया जा सके। अतः भारत में भूजल स्तर को बढ़ाने और भूजल उपयोग को विनियमित करने संबंधी महत्त्वपूर्ण निर्णय अतिशीघ्र लिए जाने की जरूरत है।
- देश में नदियों की स्थिति दयनीय है। अतः नदियों की स्थिति पर गंभीरता से विचार किया जा सकता है।
- भारत में जल प्रबंधन अथवा संरक्षण संबंधी नीतियाँ मौज़ूद हैं, परंतु समस्या उन नीतियों के कार्यान्वयन के स्तर पर है। भारत में जल संवर्धन की नीतियों के कार्यान्वयन में मौजूद शिथिलता को दूर कर उसके बेहतर तरीके से क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जाना चाहिए जिससे देश में जल के कुप्रबंधन की सबसे बड़ी समस्या से निपटा जा सके।
- भारत जैसे निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों पर जलवायु परिवर्तन एक साथ कई संकट पैदा करके ज्यादा घातक असर डालेगा। जहां यह प्रक्रिया मौसम की घटनाओं के सह-विकसित होने के तरीके को बदल देगी, वहीं यह उनकी आवृत्ति को भी कुछ इस तरह प्रभावित करेगी कि दो घटनाओं के एक साथ घटित होने की संभावना पहले की तुलना में ज्यादा बढ़ जायेगी – मसलन सूखा और बीमारी का प्रकोप, जिसके चलते हाशिए पर रहने वाले समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और बदतर होगी।
- सरकारों और नीति निर्माताओं को यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि भविष्य में आने वाले अन्य संकट सिर्फ जलवायु परिवर्तन के कारण पानी से जुड़ा होगा।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1 जलवायु परिवर्तन के सापेक्ष भारत में जल संरक्षण प्रबंधन एवं संवर्धन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. भारत की मानसून अल – नीनो जैसे बाह्य कारको से भी प्रभावित होती है।
2. भारत में जल संरक्षण एवं भूजल रिचार्ज के लिए वाटरशेड मैनेजमेंट एक अच्छा विकल्प है।
3. विश्व जल दिवस 2024 का मुख्य विषय/ थीम 'शांति के लिए जल का लाभ उठाना' है।
4. भारत में विश्व जल दिवस 2024 का मुख्य थीम नारी शक्ति से जल शक्ति था।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1, 2 और 3

B. केवल 2, 3 और 4

C. इनमें से कोई नहीं।

D. उपरोक्त सभी ।

उत्तर – D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न विभिन्न खतरों को रेखांकित करते हुए भारत में जल संरक्षण, प्रवंधन एवं संवर्धन की राह में आने वाली चुनौतियों और उसके समाधान पर विस्तारपूर्वक चर्चा कीजिए।

Yojna IAS योजना है तो सफलता है yojnaias.com

भारत में सकल वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह मार्च 2024

स्त्रोत – द हिन्दू एवं पीआईबी।

सामान्य अध्ययन – भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, सकल वस्तु एवं सेवा कर, केंद्रीय वित्त मंत्रालय, भारत में केंद्र – राज्य संबंधो के तहत केंद्रीय करों का हस्तांतरण।

ख़बरों में क्यों ?

- भारत में राजस्व एवं कुल कर संग्रह के ऐतिहासिक सफ़र में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी वित्तीय वर्ष में पहली बार सकल वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का कुल संग्रह 20 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है।
- वित्तीय वर्ष 2023 -24 में कुल सकल जीएसटी संग्रह 20.18 लाख करोड़ रुपए था, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 11.7% की वृद्धि दर को दर्शाता है।
- वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए औसत मासिक संग्रह 1.68 लाख करोड़ रुपए था, जो पिछले वर्ष के औसत कर संग्रह के 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक था।
- चालू वित्त वर्ष के लिए मार्च 2024 तक निपटान के बाद शुद्ध जीएसटी राजस्व 18.01 लाख करोड़ रुपए है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 13.4 प्रतिशत की वृद्धि दर को दर्शाता है।
- भारत में मार्च 2024 में उच्चतम सकल जीएसटी संग्रह 1.78 लाख रुपए था, जो पिछले वर्ष अर्थात मार्च 2023 की तुलना में 11.5% की वृद्धि है।
- भारत में वर्ष 2017 के जुलाई महीने में जीएसटी लागू होने के बाद से यह एक महीने में जीएसटी का दूसरा सबसे बड़ा मासिक संग्रह था।
- भारत में वर्ष 2023 के अप्रैल महीने में 1.87 लाख करोड़ रुपए का अब तक का सबसे अधिक एकल – माह सकल जीएसटी संग्रह को प्राप्त किया गया था।
- केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार मार्च 2024 में उच्चतम सकल जीएसटी संग्रह का मुख्य कारण घरेलू लेनदेन में हुई बढ़ोतरी है।
- भारत में मार्च 2024 में रिफंड के बाद शुद्ध जीएसटी राजस्व 1.65 लाख करोड़ रुपए है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 18.4% अधिक कर संग्रह है।
- भारत में मार्च 2024 में जीएसटी संग्रह में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है। भारत में केवल महाराष्ट्र राज्य का ही कुल कर संग्रह में सबसे अधिक योगदान 27,688 करोड़ रुपए का है।

भारत में कर संग्रह के सभी घटकों में एक सकारात्मक प्रदर्शन देखा गया है। अतः मार्च 2024 में कुल कर संग्रह का विवरण निम्न-लिखित है –

- केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी): ₹34,532 करोड़
- राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी): ₹43,746 करोड़
- एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी): ₹87,947 करोड़, जिसमें आयातित वस्तुओं पर एकत्र ₹40,322 करोड़ शामिल हैं।
- उपकर के रूप में ₹12,259 करोड़, जिसमें आयातित वस्तुओं पर एकत्र ₹996 करोड़ शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में सकल जीएसटी संग्रह का विवरण :

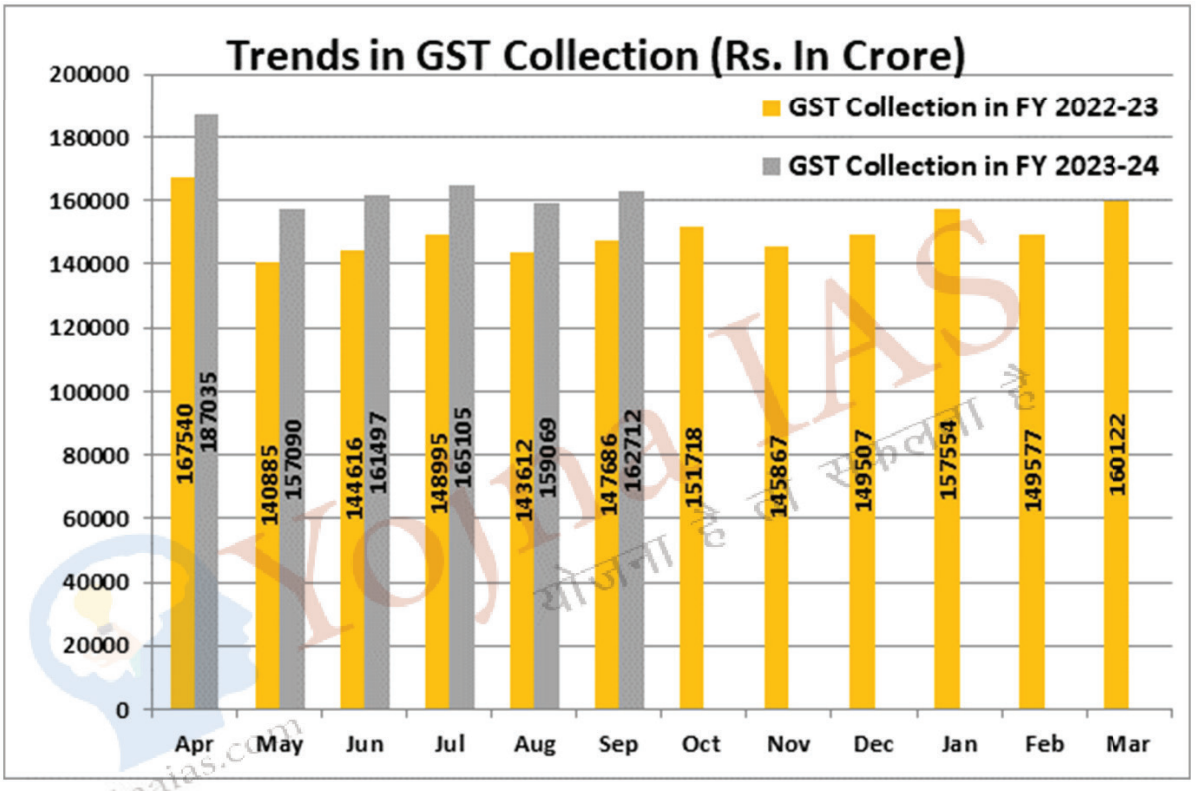

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान का जीएसटी संग्रह में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान निम्नलिखित है –

- केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) 3,75,710 करोड़ रुपए,
- राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) 4,71,195 करोड़ रुपए;
- एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) 10,26,790 करोड़ रुपए था, जिसमें आयातित वस्तुओं पर एकत्र 4,83,086 करोड़ रुपए भी शामिल हैं।
- उपकर: आयातित वस्तुओं पर 11,915 करोड़ रुपये सहित 1,44,554 करोड़ रुपये एकत्र किए गए।

भारत में वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य :

- भारत में वित्त वर्ष 2023-24 में कुल सकल जीएसटी संग्रह के मामले में लगातार मजबूत प्रदर्शन करना कुल सकल जीएसटी संग्रह के संदर्भ में एक मील का पत्थर है। इस वित्तीय वर्ष में हुए औसत मासिक कर संग्रह ₹1.68 लाख करोड़ है, जो पिछले वर्ष के औसत ₹1.5 लाख करोड़ से अधिक है।

- चालू वित्त वर्ष के लिए मार्च 2024 तक रिफंड का जीएसटी राजस्व शुद्ध ₹18.01 लाख करोड़ है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 13.4% की वृद्धि है।
- भारत में अंतर – सरकारी समझौता के तहत मार्च, 2024 के महीने में, केंद्र सरकार ने एकत्रित आईजीएसटी से सीजीएसटी को ₹43,264 करोड़ और एसजीएसटी को ₹37,704 करोड़ का निपटान किया है।
- भारत में यह करों के मामले में नियमित निपटान के बाद मार्च, 2024 के लिए सीजीएसटी के लिए ₹77,796 करोड़ और एस-जीएसटी के लिए ₹81,450 करोड़ का कुल राजस्व है।
- वित्त वर्ष 2023-24 के लिए, केंद्र सरकार ने एकत्रित आईजीएसटी से सीजीएसटी को ₹4,87,039 करोड़ और एसजीएसटी को ₹4,12,028 करोड़ का निपटान किया गया है।

वस्तु एवं सेवा कर क्या है ?

- जीएसटी को वस्तु एवं सेवा कर के नाम से जाना जाता है। यह एक अप्रत्यक्ष कर है जिसने भारत में कई अप्रत्यक्ष करों जैसे उत्पाद शुल्क, वैट, सेवा कर आदि का स्थान ले लिया है।
- भारत में संसद द्वारा 29 मार्च 2017 को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को पारित किया गया था और 1 जुलाई 2017 से कर की यह व्यवस्था पूरे भारत में लागू हो गया था।
- भारत के संविधान में वस्तु एवं सेवा कर 101वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा शामिल किया गया था।
- इस संशोधन अधिनियम ने संविधान में एक नए अनुछेद 246 क को शामिल कर वस्तु एवं सेवा कर का प्रावधान किया था।
- वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है।
- भारत में वस्तु एवं सेवा कर कानून एक व्यापक, बहु-स्तरीय, गंतव्य-आधारित कर है जो प्रत्येक मूल्यवर्धन पर लगाया जाता है।
- जीएसटी पूरे देश के लिए एक एकल घरेलू अप्रत्यक्ष कर कानून है।
- वस्तु एवं सेवा कर ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले लगभग सभी अप्रत्यक्ष करों को एक साथ ही प्रतिस्थापित कर दिया गया है।

भारत में वैसे अप्रत्यक्ष कर जिसे जीएसटी के द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया गया है। वैसे कर निम्नलिखित है –

1. **मूल सीमा शुल्क**
2. **पेट्रोल और डीज़ल पर मूल्य वर्धित कर**
3. **तम्बाकू और शराब पर कर**
4. **संपत्ति पर स्टांप शुल्क**

5. **विद्युत शुल्क**
6. **वाहन कर**
7. **संपत्ति कर**

भारत में केंद्र – राज्य संबंधो के तहत केंद्रीय करों के हस्तांतरण की प्रक्रिया :

- केंद्र सरकार वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्यों को कर हस्तांतरित करती है। जिसको मासिक किस्तों के माध्यम से हस्तांतरण किया जाता है।
- पिछले दो वर्षों में, कुल धनराशि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वित्तीय वर्ष के उत्तरार्ध में हस्तांतरित किया गया था।
- 2021-22 में, केंद्र ने चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च) के दौरान 50% धनराशि हस्तांतरित की। 2022-23 में ये आंकड़ा 36% था।
- 2023-24 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में, केंद्र ने राज्यों को आवंटित कुल धनराशि का 23% हस्तांतरित कर दिया है।
- यह 2021-22 और 2022-23 की तुलना में काफी अधिक है। केंद्रीय करों का अग्रिम हस्तांतरण राज्यों को वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में व्यय करने से बचने की अनुमति दे सकता है।
- भारत के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के अनुसार – वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में व्यय की अधिकता को औचित्य का उल्लंघन माना जाता है।
- एक वित्तीय वर्ष में राज्यों द्वारा व्यय की असमान गति प्राप्तियों के प्रणालियों से प्रभावित हो सकती है। केंद्रीय करों में से राज्यों को किया जाने वाला कर हस्तांतरण राज्यों को भी उस वित्तीय वर्ष के दौरान अपने व्यय के तरीकों को बेहतर योजना बनाने की अनुमति दे सकता है।

समाधान / आगे की राह :

- भारत में अभी तक के जीएसटी का सफर और जीएसटी राजस्व में जबरदस्त उछाल इस कर व्यवस्था में कुछ बेहद जरूरी बदलावों को सुधारने का एक मौका देता है, जिससे जीएसटी की एक खिड़की के खुलने का संकेत मिलता है।
- समग्र जीएसटी में आई उछाल से लोकसभा के आम चुनाव 2024 के बाद बनने वाली अगली सरकार को इस कर व्यवस्था में अति-आवश्यक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करने में सहूलियत मिलनी चाहिए।
- जीएसटी संग्रह में हुई बढ़ोतरी पिछले सालों के लिए की गई कर संबंधी मांगों और नकली चालान एवं धोखाधड़ी वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट जैसे कर-चोरी के मालूम तरीकों पर शिकंजा कसने के चलते हुई है।

- अतः भारत में कर – चोरी करने वालों पर भी सरकार को शिकंजा कसने की जरूरत है ताकि भारत में एक पारदर्शी कर प्रणाली की व्यवस्था सुनिश्चित किया जा सके।
- इन सुधारों में इस कर की विभिन्न दरों हटाकर उन्हें तर्कसंगत बनाने की योजना को नए सिरे से अंजाम देना और इसके दायरे में बिजली व पेट्रोलियम उत्पादों जैसी बाहर छूटी वस्तुओं को लाना और सीमेंट एवं बीमा जैसे प्रमुख उत्पादों पर उच्च शुल्क को कम करना शामिल होना चाहिए।
- जीएसटी मुआवजा उपकर, जिसका इस्तेमाल अब कोविड-19 के महामारी-काल की उधारियों को चुकाने के वास्ते राज्यों को मुआवजा देने के लिए किया जा रहा है, पिछले साल 1.44 लाख करोड़ रूपए था को मार्च 2026 की विस्तारित समय-सीमा से पहले ही निपटा दिया जाए।
- केंद्र सरकार को तम्बाकू जैसी वास्तविक अवगुण वाली वस्तुओं को छोड़कर, इसमें निहित उपकर को लगाने के लोभ से बचना बेहद महत्वपूर्ण है।
- उपभोग व निजी निवेश को बढ़ावा देने के बावजूद भी हाइब्रिड वाहनों पर 40 फीसदी से अधिक कर लगाने से भारत को अपने हरित लक्ष्यों को प्राप्त करने में कठिनाई होगी। अतः केंद्र सरकार को कर – प्रणाली के इस मौजूदा व्यवस्था को भी तर्कसंगत बनाने की जरूरत है, ताकि भारत अपने हरित लक्ष्य को आसानी से सफलतापूर्वक प्राप्त सके।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. भारत में वस्तु एवं सेवा कर 101वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा लागू किया गया है।
2. भारत में जीएसटी पूरे देश के लिए एक एकल घरेलू अप्रत्यक्ष कर कानून है।
3. भारत में मार्च 2024 में केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) का योगदान ₹34,532 करोड़ है जबकि राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) का योगदान ₹43,746 करोड़ है।
4. भारत में तम्बाकू और शराब पर कर तथा संपत्ति कर भी जीएसटी में शामिल है।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1, 2 और 3

B. केवल 2, 3 और 4

C. केवल 3 और 4

D. केवल 1, 3 और 4

उत्तर – A.

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. वस्तु एवं सेवा कर से आप क्या समझते हैं ? भारतीय अर्थव्यवस्था पर जीएसटी के प्रभावों, उससे जुडी चुनौतियों और उसके समाधान की विस्तारपूर्वक चर्चा कीजिए।

Yojna IAS योजना है तो सफलता है yojnaias.com

भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो दर संबंधी फैसला

(यह लेख 'इंडियन एक्सप्रेस', 'द हिन्दू' 'जनसत्ता' और 'पीआईबी' के सम्मिलित संपादकीय के संक्षिप्त सारांश से संबंधित है। इसमें योजना IAS टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के:अंतर्गत सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र 3 – भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास तथा योजना खंड से और प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत रेपो दर, मौद्रिक नीति समिति खंड से संबंधित है। यह लेख 'दैनिक करंट अफेयर्स ' के अंतर्गत ' भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो दर संबंधी फैसला ' से संबंधित है।)

खबरों में क्यों ?

- भारत में हाल ही में 5 अप्रैल 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने भारत में खाद्य पदार्थों की बढती कीमतों के दबाव को देखते हुए अपनी बैठक में रेपो रेट को लगातार सातवीं बार 6.5 फीसदी पर अपरिवर्तित ही रखा है।
- भारत में खाद्य पदार्थों की बढती कीमतों का दबाव मुद्रास्फीति की रफ्तार को टिकाऊ आधार पर चार फीसदी के लक्ष्य तक धीमी करने के आरबीआई के प्रयासों में बाधा बन रहा है।
- हाल ही में हुए भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक में वित्त वर्ष 2024 – 2025 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में खुदरा मुद्रास्फीति के चार फीसदी के महत्वपूर्ण स्तर से नीचे आने की संभावना भी जताई गई है।

भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति क्या है ?

- भारत में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति होती है।
- इसका गठन वर्ष 2016 में भारत में ब्याज दर निर्धारण को अधिक उपयोगी एवं पारदर्शी बनाने के लिए किया गया था।
- रिज़र्व बैंक का गवर्नर इस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है।
- भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति को भारत में एक वैधानिक और संस्थागत ढांचा प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (आरबीआई अधिनियम) को वित्त अधिनियम, 2016 द्वारा संशोधित किया गया है।
- भारत में आरबीआई के संशोधित इस अधिनियम की 1934 की धारा 45ZB के तहत, केंद्र सरकार को छह सदस्यीय एमपीसी गठित करने का अधिकार है ।
- भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन करते हुए भारत में मौद्रिक नीति निर्माण को एक नवगठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) को सौंप दिया गया है।
- मौद्रिक नीति वह उपाय या उपकरण है है जिसके द्वारा केंद्रीय बैंक ब्याज दरों पर नियंत्रण कर अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करता है, मूल्य स्थिरता बनाये रखता है और उच्च विकास दर के लक्ष्य की प्राप्ति का प्रयास करता है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, मौद्रिक नीति समिति के छह सदस्यों में से तीन सदस्य रिज़र्व बैंक से होते हैं, जिनमें गवर्नर, एक डिप्टी गवर्नर तथा एक अन्य अधिकारी शामिल होता है।
- अन्य तीन सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। जिनका चयन कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा किया जाता है। इनका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, तथा वे पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते है।
- मौद्रिक नीति समिति (MPC) की एक वर्ष में 4 बैठकें होना अनिवार्य है जिसमें बैठक के लिए कोरम चार सदस्यों का होता है।
- इस समिति में निर्णय बहुमत के आधार पर किया जाता हैं और समान मतों की स्थिति में रिज़र्व बैंक का गवर्नर अपना निर्णायक मत देता है।

एमपीसी के वर्तमान सदस्य :

- मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) में छह सदस्य हैं, जिनमें से तीन भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से हैं और अन्य तीन प्रख्यात अर्थशास्त्री हैं।
- RBI के सदस्य शक्तिकांत दास (RBI के गवर्नर), डॉ. माइकल देबब्रत पात्रा (RBI के डिप्टी गवर्नर), और राजीव रंजन (RBI के कार्यकारी निदेशक) हैं।
- प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉ. जयंती वर्मा, डॉ. आशिमा गोयल और डॉ. शशांक भिड़े हैं।
- आरबीआई अधिनियम के अनुसार, एमपीसी को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम चार बार बैठक करना आवश्यक है। एमपीसी का अध्यक्ष आरबीआई गवर्नर होता है।

मौद्रिक नीति समिति का मुख्य कार्य :

- **आर्थिक विश्लेषण और पूर्वानुमान करना :** एमपीसी मुद्रास्फीति, जीडीपी वृद्धि, रोजगार, राजकोषीय स्थितियों और वैश्विक आर्थिक विकास सहित विभिन्न आर्थिक संकेतकों का गहन विश्लेषण और पूर्वानुमान करता है।
- **मुद्रास्फीति लक्ष्य तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बीच तालमेल स्थापित करना :** सरकार द्वारा निर्धारित वर्तमान मुद्रा-स्फीति लक्ष्य +/- 2% के सहनशीलता बैंड के साथ 4% का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति लक्ष्य है।
- **भारत में नीतिगत ब्याज दरें और रेपो दर निर्धारित करना :** एमपीसी का प्राथमिक कार्य नीतिगत ब्याज दरें, विशेष रूप से रेपो दर निर्धारित करना है।
- **समीक्षात्मक निर्णय लेना :** भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति भारत में मौद्रिक नीति रुख की समीक्षा के लिए एमपीसी साल में कम से कम चार बार बैठक निर्धारित करती है ।

मौद्रिक नीति के लक्ष्य

मौद्रिक नीतियों के मुख्य लक्ष्य इस प्रकार हैं:

मुद्रा स्फ़ीति

संकुचनकारी मौद्रिक नीति का उपयोग ज्यादातर तब किया जाता है जब मुद्रास्फीति का उच्च स्तर होता है और अर्थव्यवस्था में पैसे के स्तर को कम करने का प्रयास किया जाता है।

बेरोजगारी

विस्तारित मौद्रिक नीति उच्च मुद्रा आपूर्ति के कारण बेरोजगारी को कम करती है, और आकर्षक ब्याज दरों के साथ, यह व्यावसायिक गतिविधियों और नौकरी बाजार के विस्तार को प्रोत्साहित करती है।

विनीमय दरें

मौद्रिक नीति घरेलू और विदेशी मुद्राओं के बीच विनिमय दरों को भी प्रभावित कर सकती है। मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि के कारण, घरेलू मुद्रा अपने विदेशी मुद्रा की तुलना में सस्ती हो जाती है।

रेपो दर :

- भारतीय रिज़र्व बैंक अपने ग्राहकों को लघु अवधि के लिए दिए जाने ऋण पर जो ब्याज दर लागू करती है, उसे रेपो दर कहते हैं।

अतः रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से पैसा लेते हैं या उधार लेते हैं।

- भारत में भारतीय रिज़र्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है।
- भारत में रेपो दर का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति द्वारा किया जाता है।
- अतः भारत में रिज़र्व बैंक के सभी ग्राहक – बैंक, केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार रेपो दर के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक से ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
- भारतीय रिज़र्व बैंक से ऋण लेने के लिए ग्राहकों को अपनी सरकारी प्रतिभूतियों को भारतीय रिज़र्व बैंक के पास गिरवी रखना पड़ता है।
- बैंक वैधानिक तरलता अनुपात(SLR) के तहत रिज़र्व बैंक के पास रखी प्रतिभूतियों का प्रयोग रेपो दर के तहत ऋण लेने के लिए नहीं कर सकते है।

भारत में रेपो दर में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले प्रभाव :

- भारत में रेपो दर में वृद्धि का अर्थ होता है, कि कर्ज महंगा होगा और मौजूदा ऋण की मासिक किस्त बढ़ेगी।
- भारत में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति द्वारा रेपो रेट बढ़ाने से बैंक रिजर्व बैंक से कम नकदी उधार लेते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति कम हो जाती है और इस प्रक्रिया से यह उम्मीद की जाती है कि इससे महंगाई में कमी आयेगी।
- रेपो दर बढ़ने के बाद बैंक होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन आदि कर्जों की दरें बढ़ा देते हैं, जिससे लोन लेने वालों का खर्चा बढ़ जाता है।
- किसी भी अर्थव्यवस्था में रेपो रेट में वृद्धि होने से नागरिकों के उपभोग और मांग पर असर पड़ सकता है।

भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति द्वारा वर्तमान में लिया गया निर्णय :

- इस बैठक में रेपो रेट के संबंध में किसी भी तरह के परिवर्तन को नकारते हुए रेपो रेट को 6.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया गया है।
- हाल के सप्ताहों में तरलता में कमी के बावजूद आरबीआई ने आवास वापसी के नीतिगत रुख को बरकरार रखा है। आवास को वापस लेने का अर्थ मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति को कम करना है।
- भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को 7 प्रतिशत और खुदरा मुद्रास्फीति को 4.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा है। फरवरी 2024 में, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति जनवरी 2024 में 5.1 प्रतिशत की तुलना में 5.09 प्रतिशत थी।
- भारत में खाद्य मुद्रास्फीति लगातार काफी अस्थिरता पैदा कर रही है जिससे अवस्फीति की प्रक्रिया बाधित हो रही है।
- निरंतर और मजबूत सरकारी पूंजीगत व्यय; बैंकों और कॉरपोरेट्स की स्वस्थ बैलेंस शीट; बढ़ती क्षमता उपयोग के कारण निवेश गतिविधि की संभावनाएं उज्ज्वल बनी हुई हैं, जो यह निजी पूंजीगत व्यय चक्र के लगातार व्यापक होते जाने के कारण है। हालाँकि, लंबे समय से चले आ रहे भू-राजनीतिक तनाव और व्यापार मार्गों में बढ़ते व्यवधान से परिदृश्य पर जोखिम पैदा हो गया है।
- वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान भारतीय रूपया उभरते बाजारों और कुछ उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की अन्य मुद्राओं की तुलना में भारतीय रूपया की स्थिति एक निश्चित दायरे में रहा। इस स्थिरता से यह पता चलता कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है, वित्तीय रूप से स्थिर है और विश्व बाजार में इसकी स्थिति में सुधार हुआ है।

भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति द्वारा वर्तमान में घोषित नए उपाय :

- **UPI के जरिए बैंकों में कैश जमा करने का प्रस्ताव :** यूपीआई की लोकप्रियता और सुविधा को ध्यान में रखते हुए , आरबीआई ने नकद जमा सुविधा के लिए यूपीआई को सक्षम करने का प्रस्ताव दिया है।

- **प्री-पेड इंस्ट्रूमेंट्स (पीपीआई) के लिए यूपीआई एक्सेस का प्रस्ताव :** पीपीआई धारकों को अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए, आरबीआई ने तीसरे पक्ष के यूपीआई अनुप्रयोगों के माध्यम से पीपीआई को जोड़ने की अनुमति देने का प्रस्ताव दिया है।
- पीपीआई एक प्रकार का वित्तीय उपकरण है जो उपयोगकर्ताओं को भविष्य में उपयोग के लिए प्रीपेड खाते या कार्ड पर पैसे लोड करने की अनुमति देता है। इससे पीपीआई धारक बैंक खाताधारकों की तरह यूपीआई भुगतान करने में सक्षम होंगे।
- वर्तमान में, बैंक खातों से यूपीआई भुगतान बैंक के यूपीआई ऐप के माध्यम से बैंक खाते को लिंक करके या किसी तीसरे पक्ष के यूपीआई एप्लिकेशन का उपयोग करके किया जा सकता है। हालाँकि, पीपीआई के लिए वही सुविधा उपलब्ध नहीं है।
- पीपीआई का उपयोग वर्तमान में केवल पीपीआई जारीकर्ता द्वारा प्रदान किए गए एप्लिकेशन का उपयोग करके यूपीआई लेनदेन करने के लिए किया जा सकता है।
- **सीबीडीसी के लिए गैर-बैंक ऑपरेटरों के माध्यम से प्रस्ताव :** आरबीआई ने गैर-बैंक भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों के माध्यम से सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्राओं (सीबीडीसी) के वितरण का भी निर्णय लिया ।
- सीबीडीसी एक केंद्रीय बैंक द्वारा डिजिटल रूप में जारी की गई कानूनी निविदा है। डिजिटल रुपया (ई-रुपी) आरबीआई द्वारा शुरू की गई डिजिटल मुद्रा है।
- आरबीआई ने डिजिटल रुपये को दो व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया है: – पहला सामान्य प्रयोजन (खुदरा) और दूसरा थोक। अतः यह सीबीडीसी-रिटेल को उपयोगकर्ताओं के व्यापक वर्ग के लिए सुलभ बना देगा।
- **सॉवरेन ग्रीन बांड (एसजीआरबी) में व्यापक अनिवासी भागीदारी की सुविधा का प्रस्ताव :** आरबीआई गैर-निवासियों के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड (एसजीआरबी) में भाग लेना आसान बना रहा है।
- वित्त वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में एक घोषणा के आधार पर, सरकार ने जनवरी 2023 में एसजीआरबी जारी किए थे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) में पात्र विदेशी निवेशकों को इन बांडों में निवेश करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है।
- वर्तमान में, सेबी के साथ पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) को सरकारी प्रतिभूतियों में एफपीआई द्वारा निवेश के लिए उपलब्ध विभिन्न मार्गों के तहत एसजीआरबी में निवेश करने की अनुमति है।
- **आरबीआई रिटेल डायरेक्ट योजना के लिए मोबाइल ऐप का परिचय :** RBI ने अपनी RBI रिटेल डायरेक्ट योजना के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च करने का निर्णय लिया है, जिसे सबसे पहले वर्ष 2021 के नवंबर में पेश किया गया था।
- यह ऐप व्यक्तिगत निवेशकों को आरबीआई के साथ गिल्ट खाते बनाए रखने और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने की सुविधा प्रदान करेगा।
- गिल्ट खाता सरकारी प्रतिभूतियों, जैसे ट्रेजरी बांड, के लिए एक बचत खाता होता है।
- यह एक बैंक खाते के समान है लेकिन इसमें नकदी के बजाय सरकारी प्रतिभूतियों का उपयोग किया जाता है।
- यह योजना निवेशकों को प्राथमिक नीलामी में प्रतिभूतियां खरीदने और एनडीएस-ओएम प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रतिभूतियों का व्यापार करने की अनुमति देती है।
- **तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) ढांचे की समीक्षा करने का निर्णय लिया गया :** एलसीआर ढांचे में शामिल बैंकों को अगले 30 दिनों में अपेक्षित शुद्ध नकदी बहिर्प्रवाह को सम्मिलित करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति (एचक्यूएलए) का भंडार रखना होगा।
- हाल की कुछ घटनाओं से यह पता चलता है कि तनावपूर्ण समय के दौरान जमाकर्ता खासकर ऑनलाइन बैंकिंग का उपयोग करके अपनी जमा राशि को जल्दी से निकाल लेते हैं या स्थानांतरित कर सकते हैं।
- ऐसे उभरते जोखिमों के लिए एलसीआर ढांचे के तहत कुछ निर्णयों पर फिर से गौर करने की आवश्यकता हो सकती है।
- इसलिए, बैंकों द्वारा तरलता जोखिम के बेहतर प्रबंधन की सुविधा के लिए एलसीआर ढांचे में कुछ संशोधन प्रस्तावित किए जा रहे हैं।

निष्कर्ष / आगे की राह :

- मौद्रिक नीति किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा समग्र धन आपूर्ति को नियंत्रित करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने एवं

ब्याज दरों को संशोधित करने तथा बैंक आरक्षित आवश्यकताओं को बदलने जैसी रणनीतियों को नियोजित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों का एक सेट होता है।

- अतः भारत के अर्थव्यवस्था के संबंध में मूल्य स्थिरता के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए।
- भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति निर्माताओं के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में नागरिकों के आय में वृद्धि और गैर-जरूरी चीजों पर खर्च करने की इच्छा में वृद्धि निजी उपभोग में मजबूती के लिहाज से अच्छा संकेत है।

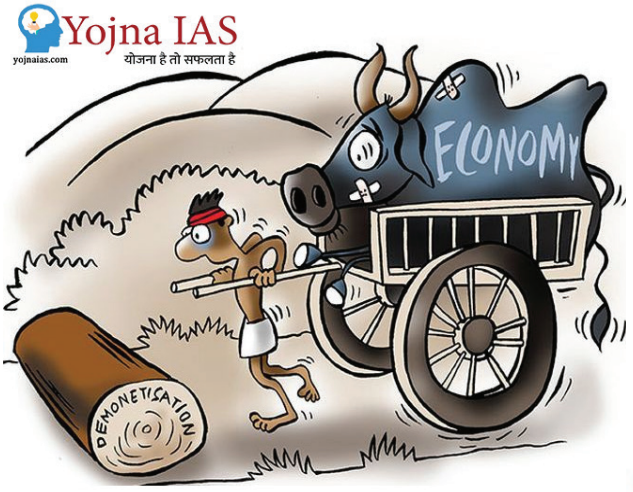

- एमपीसी मार्च 2025 तक 12 महीनों में आर्थिक विकास के अनुमानों को लेकर कहीं ज्यादा आश्वस्त है। अतः इस साल भी सकल घरेलू उत्पाद में औसतन सात फीसदी की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। इसके लिए यह कई कारकों- सामान्य दक्षिण-पश्चिम मानसून की उम्मीदों के चलते कृषि गतिविधियों व ग्रामीण मांग को बढ़ावा मिलने से लेकर विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र को निरंतर रफ्तार मिलना जरूरी है।
- मौद्रिक नीति समिति आरबीआई के उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण में शामिल सभी पांच प्रमुख मापदंडों पर एक साल की अवधि में सुधार होने की उम्मीद की ओर इशारा करता है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के और अधिक मजबूत होने और तीव्र गति से विकास करने को दर्शाता है।
- अतः यह भारत कीअर्थव्यवस्था और भारत के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) दोनों के ही मजबूत होने और उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करता है।

स्रोत – द हिन्दू एवं पीआईबी।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. इसे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (आरबीआई अधिनियम) केवित्त अधिनियम, 2016 द्वारा संशोधित किया गया है।
2. इस समिति के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, तथा वे पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते है।
3. भारत का वित्त मंत्री इस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है।
4. इस समिति की किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान एक वर्ष में 6 बैठकें होना अनिवार्य होता है।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1 , 2 और 3

B. केवल 2, 3 और 4

C. केवल 1 और 4

D. केवल 1 और 2 .

उत्तर – D.

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. 1. भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति के प्रमुख्य कार्यों को रेखांकित करते हुए यह चर्चा कीजिए कि भारत में कम मुद्रास्फीति और स्थिर जीडीपी वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित करता है ? तर्कसंगत उत्तर दीजिए।

नवीकरणीय ऊर्जा और लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) संरक्षण में संतुलन

यह लेख 'दैनिक करेंट अफेयर्स' और "ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और बिजली लाइनों से टकराव" के विषय विवरण को कवर करता है। यह विषय यूपीएससी सीएसई परीक्षा के "राजनीति और शासन" खंड में प्रासंगिक है।

खबरों में क्यों ?

सुप्रीम कोर्ट ने जलवायु परिवर्तन के हानिकारक प्रभावों के खिलाफ सुरक्षा को शामिल करने के लिए अनुच्छेद 14 और 21 की व्याख्या को व्यापक बनाते हुए एक उल्लेखनीय फैसले दिया है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की रक्षा के लिए पर्यावरणविदों की याचिका पर यह फैसला दिया गया था।

मामले के बारे में अधिक जानकारी :

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में गंभीर रूप से लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) से संबंधित एक जटिल मामले का निपटारा किया। राजस्थान और गुजरात के शुष्क घास के मैदानों में पाए जाने वाले इस पक्षी को कई खतरों का सामना करना पड़ता है, जिसमें ओवरहेड बिजली लाइनों से टकराव भी शामिल है।

अप्रैल 2021 सुप्रीम कोर्ट का फैसला :

- अप्रैल 2021 में एक ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने जीआईबी के अस्तित्व को प्राथमिकता दी। इन पक्षियों पर बिजली लाइनों के विनाशकारी प्रभाव को स्वीकार करते हुए, अदालत ने जीआईबी के प्राथमिक आवास में एक विशाल क्षेत्र (लगभग 99,000 वर्ग किलोमीटर) में उनके निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया।
- इस साहसिक निर्णय का उद्देश्य पक्षियों के लिए सुरक्षित हवाई क्षेत्र बनाना और वैकल्पिक संचरण समाधानों को प्रोत्साहित करना है। अदालत ने मौजूदा ओवरहेड लाइनों को भूमिगत केबलों में बदलने का भी सुझाव दिया, जो एक अधिक पक्षी-अनुकूल विकल्प है, लेकिन काफी अधिक महंगा और तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण उपक्रम भी है।

बिजली लाइनों से खतरा :

- ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) को भारत में उसके शुष्क घास के मैदानों में फैली बिजली लाइनों से एक महत्वपूर्ण खतरे का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय वन्यजीव संस्थान के 2020 के एक अध्ययन में एक गंभीर आंकड़ा सामने आया – बिजली लाइनें राजस्थान के डेजर्ट नेशनल पार्क के भीतर और उसके आसपास हर साल विभिन्न प्रजातियों के अनुमानित 84,000 पक्षियों के जीवन का दावा करती हैं।

- जीआईबी अपनी अनूठी भौतिक विशेषताओं के कारण विशेष रूप से बिजली लाइन टकराव के प्रति संवेदनशील है। व्यापक दृष्टि क्षेत्र वाले कुछ पक्षियों के विपरीत, जीआईबी, अन्य रैप्टर और बस्टर्ड के साथ, इसके सिर के ऊपर व्यापक अंधे धब्बे होते हैं।
- यह सीमित ललाट दृष्टि उनके लिए दूर से आने वाली बिजली लाइनों का पता लगाना मुश्किल बना देती है।
- इसके अतिरिक्त, उनका बड़ा आकार और वजन तेजी से पैंतरेबाज़ी करने और नज़दीकी स्थानों पर टकराव से बचने की उनकी क्षमता में बाधा डालता है। ये कारक मिलकर बिजली लाइनों को पहले से ही लुप्तप्राय जीआईबी आबादी के लिए एक घातक खतरा बना देते हैं।

स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने पर प्रभाव पर चिंताएँ :

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों के साथ मिलकर अदालत के आदेश को चुनौती दी। उन्होंने तर्क दिया कि प्रतिबंधों ने भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों पर महत्वपूर्ण बोझ डाला है।
- देश के कई प्रमुख सौर और पवन ऊर्जा संयंत्र, जो देश के कार्बन पदचिह्न को कम करने के लिए महत्वपूर्ण हैं, इस निर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर स्थित हैं।
- इसके अतिरिक्त, जटिल भूभाग और मिट्टी की स्थिति जैसे कारकों के कारण कई स्थानों पर मौजूदा ओवरहेड लाइनों को भूमिगत केबलों में परिवर्तित करना तकनीकी रूप से असंभव माना गया था।

SC के 2021 के फैसले में संशोधन:

- तकनीकी सीमाओं, भूमि अधिग्रहण चुनौतियों और भूमिगत केबल से जुड़ी उच्च लागत सहित सरकार द्वारा उजागर की गई व्यावहारिक कठिनाइयों को स्वीकार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2024 में अपने मूल आदेश को संशोधित किया।
- न्यायालय का संशोधित दृष्टिकोण जलवायु परिवर्तन कार्रवाई के महत्व और नवीकरणीय ऊर्जा विकास की आवश्यकता को पहचानता है। यह एक संतुलन खोजने की आवश्यकता पर जोर देता है जो व्यापक पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ जीआईबी के संरक्षण को सुनिश्चित करता है।
- इसमें संभावित रूप से वैकल्पिक समाधानों की खोज करना शामिल है जैसे बिजली लाइनों की सावधानीपूर्वक नियोजित पुनर्रचना, मौजूदा लाइनों पर पक्षी डायवर्टर लागू करना, और नई प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास में निवेश करना जो पक्षियों की टक्कर को कम करते हैं।

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में :

- पर्यावास: जीआईबी खुले, सूखे और अर्ध-शुष्क घास के मैदानों में पनपता है। ये क्षेत्र आम तौर पर बिखरी हुई झाड़ियों और झाड़ियों के टुकड़ों से भरे होते हैं, जो उन्हें चारा खोजने के लिए खुली जगह और घोंसला बनाने और बसने के लिए कुछ कवर प्रदान करते हैं।
- आहार: ये अनुकूलनीय पक्षी सर्वाहारी होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे पौधे और पशु दोनों पदार्थों का उपयोग करते हैं। उनके आहार में कीड़े, घास के बीज, जामुन, छोटे कृंतक और सरीसृप शामिल हैं। खेती योग्य भूमि की सीमा से लगे क्षेत्रों में, वे कभी-कभी खुली हुई मूंगफली, बाजरा और फलियां खा सकते हैं।
- विशिष्ट उपस्थिति: जीआईबी की आकर्षक उपस्थिति इसे पहचानना आसान बनाती है। एक प्रमुख काला मुकुट उनके माथे को सुशोभित करता है, जो उनकी पीली गर्दन और सिर के साथ खूबसूरती से मेल खाता है। नर मादाओं की तुलना में बड़े मुकुट का दावा करते हैं, और उनके पंखों का रंग लिंगों को और अलग करता है।

संरक्षण की स्थिति:

- IUCN: गंभीर रूप से लुप्तप्राय
- उद्धरण: परिशिष्ट-I
- डब्ल्यूपीए 1972: अनुसूची-I

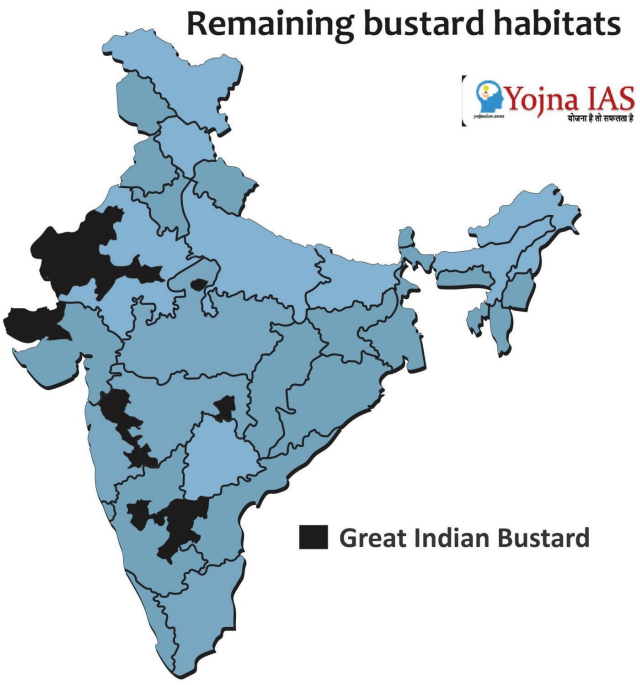

फैसले की मुख्य बातें :

- अदालत ने सीमित क्षमता, उच्च ट्रांसमिशन घाटे और भूमि अधिग्रहण के लिए कानूनी ढांचे की आवश्यकता सहित भूमिगत केबलों के साथ चुनौतियों को स्वीकार किया।
- विशिष्ट क्षेत्रों में बिजली लाइनों को भूमिगत करने की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए विशेषज्ञों की 9 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था।
- अदालत ने भारत के महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों और पर्यावरण, आर्थिक और सुरक्षा कारणों से जीवाश्म ईंधन से संक्रमण के महत्व को मान्यता दी।
- अदालत ने सौर ऊर्जा के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय लाभों पर प्रकाश डाला, ऊर्जा सुरक्षा, वायु प्रदूषण से निपटने और जल संसाधनों के संरक्षण में इसकी भूमिका पर जोर दिया।
- फैसले ने जलवायु परिवर्तन और मानवाधिकारों के बीच संबंध पर प्रकाश डाला, स्वच्छ पर्यावरण जैसे अधिकारों के लेंस के माध्यम से जलवायु प्रभावों को संबोधित करने की राज्यों की जिम्मेदारी पर जोर दिया।

मौलिक अधिकार और जलवायु परिवर्तन:

- अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है, जबकि अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और सभी व्यक्तियों के लिए कानूनों की समान सुरक्षा सुनिश्चित करता है। ये संवैधानिक प्रावधान स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण आधार के रूप में काम करते हैं।
- जीवन के अधिकार की प्राप्ति जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले व्यवधानों से मुक्त स्वच्छ और स्थिर वातावरण पर निर्भर है। वायु प्रदूषण, रोग वाहकों में परिवर्तन, बढ़ता तापमान और सूखा जैसे कारक सीधे सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, जो अनुच्छेद 21 में निर्धारित जीवन के अधिकार के दायरे में आता है।
- इसके अलावा, हाशिए पर रहने वाले समुदायों की जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को अनुकूलित करने या कम करने में असमर्थता जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) और समानता के अधिकार (अनुच्छेद 14) दोनों का उल्लंघन है। इन वंचित आबादी को पर्यावरणीय गिरावट और जलवायु संबंधी खतरों के सामने अपने स्वास्थ्य और कल्याण की सुरक्षा में असंगत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

निष्कर्ष:

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के बीच जटिल चुनौतियों पर प्रकाश डालता है। इन लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाने के लिए पारिस्थितिक आवश्यकताओं, तकनीकी व्यवहार्यता और आर्थिक वास्तविकताओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हुए, सरकारी एजेंसियों, ऊर्जा कंपनियों, संरक्षण समूहों और वैज्ञानिक विशेषज्ञों के बीच सहयोगात्मक प्रयास उन नवीन समाधानों को खोजने में महत्वपूर्ण होंगे जो जीआईबी की सुरक्षा करते हैं और भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण का समर्थन करते हैं।

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. भारत के डेजर्ट नेशनल पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

1. यह दो जिलों में फैला हुआ है।
2. पार्क के अंदर कोई मानव निवास नहीं है।
3. यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राकृतिक आवासों में से एक है।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

A. केवल 1 और 2

B. केवल 2 और 3

C. केवल 1 और 3

D. केवल 1, 2 और 3

उत्तर: C

Q2. पर्यावरण कानून में "सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत" की अवधारणा का तात्पर्य है कि प्राकृतिक संसाधन हैं:

A. सरकार के स्वामित्व में

B. निजी संस्थाओं के स्वामित्व में

C. नागरिकों और सरकार द्वारा सामूहिक रूप से स्वामित्व और आम अच्छे के लिए संरक्षित किया जाना चाहिए

D. बहुराष्ट्रीय निगमों के स्वामित्व में

उत्तर: C

Q3. भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में "प्रदूषक भुगतान करेगा" सिद्धांत को मान्यता दी?

A. एमसी मेहता बनाम भारत संघ

B. इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ

C. ओल्गा टेलिस बनाम। बम्बई नगर निगम

D. विशाखा बनाम। राजस्थान राज्य

उत्तर: A

मुख्य अभ्यास प्रश्न

Q1. जैव **विविधता संरक्षण और सतत विकास के लिए पारंपरिक ज्ञान का लाभ उठाने के लिए सरकारी , गैर सरकारी संगठन और स्थानीय समुदाय कै**से सहयोग कर सकते हैं?

Yojna IAS
योजना है तो सफलता है
yojnaias.com

भारत में परमाणु घड़ियाँ

(यह लेख 'दैनिक करेंट अफेयर्स' के अंतर्गत ' भारत' में परमाणु घड़ियों ' के विषय से संबंधित है। यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के ' विज्ञान और प्रौद्योगिकी ' खंड से संबंधित है। इसमें YOJNA IAS टीम के सुझाव भी शामिल हैं।)

खबरों में क्यों ?

- भारत रणनीतिक रूप से घड़ियों, स्मार्टफोन और लैपटॉप जैसे डिजिटल उपकरणों पर प्रदर्शित समय को भारतीय मानक समय के साथ सिंक्रनाइज़ करने के लिए देश भर में परमाणु घड़ियों का वितरण कर रहा है।
- कारगिल युद्ध के बाद बीस साल पहले शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य पूरे देश में टाइमकीपिंग में एकरूपता , सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना है।

क्या है परमाणु घड़ियाँ ?

- परमाणु घड़ियाँ उन्नत टाइमकीपिंग उपकरण हैं जो असाधारण सटीकता के साथ समय को मापने के लिए परमाणुओं के प्राकृतिक कंपन का उपयोग करती हैं।
- ये घड़ियाँ परमाणुओं के दोलनों पर निर्भर करती हैं, आमतौर पर सीज़ियम या रूबिडियम, जो अत्यधिक स्थिर टाइमकीपिंग संदर्भ के रूप में काम करती हैं।
- इन परमाणु कंपनों की आवृत्ति का पता लगाकर, परमाणु घड़ियाँ प्रति दिन एक सेकंड के कुछ अरबवें हिस्से के भीतर टाइमकीपिंग सटीकता बनाए रख सकती हैं।
- परमाणु घड़ी का विकास 1955 में लुईस एसेन द्वारा किया गया था। वर्तमान में, भारत के पास अहमदाबाद और फ़रीदाबाद में स्थित परमाणु घड़ियाँ हैं।

परमाणु घड़ियाँ कैसे काम करती हैं ?

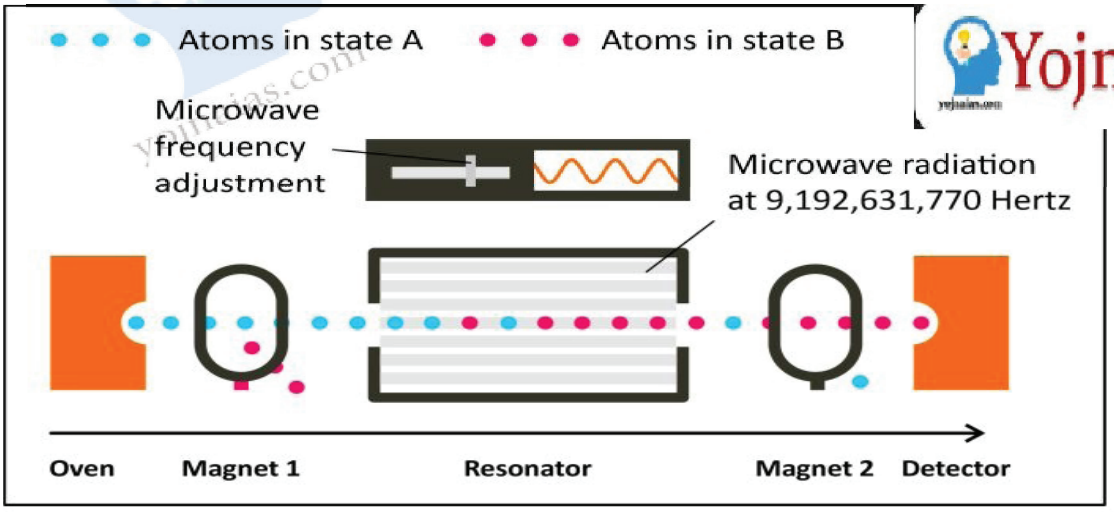

1. परमाणु घड़ियाँ एक विशिष्ट प्रकार के परमाणु का उपयोग करके संचालित होती हैं जिन्हें **"सीज़ियम परमाणु"** कहा जाता है। सीज़ियम परमाणु अत्यधिक स्थिर होते हैं और एक सटीक आवृत्ति प्रदर्शित करते हैं जिस पर उनके इलेक्ट्रॉन दोलन करते हैं। यह आवृत्ति परमाणु घड़ी में समय निर्धारण के लिए मूलभूत संदर्भ के रूप में कार्य करती है।

2. सीज़ियम परमाणुओं का उपयोग करके समय मापने की प्रक्रिया में, एक परमाणु घड़ी "माइक्रोवेव कैविटी" नामक घटक का उपयोग करती है। यह गुहा सीज़ियम वाष्प युक्त कक्ष के रूप में कार्य करती है। गुहा में एक माइक्रोवेव सिग्नल डाला जाता है, जो सीज़ियम परमाणुओं को कंपन से गुजरने के लिए प्रेरित करता है।
3. इस कंपन के दौरान, सीज़ियम परमाणु अत्यधिक विशिष्ट आवृत्ति वाले विकिरण का उत्सर्जन करते हैं। परमाणु घड़ी के भीतर एक डिटेक्टर इस उत्सर्जित विकिरण को पकड़ लेता है और इसकी तुलना एक पूर्व निर्धारित मानक आवृत्ति से करता है। इन आवृत्तियों के बीच किसी भी असमानता का उपयोग घड़ी के टाइमकीपिंग तंत्र में समायोजन करने के लिए किया जाता है।

विभिन्न प्रकार के परमाणु घड़ियाँ निम्नलिखित है –

1. **सीज़ियम परमाणु घड़ियाँ :** सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली प्रकार, सीज़ियम परमाणु घड़ियाँ, आमतौर पर माइक्रोवेव अनुनाद विधि का उपयोग करके सीज़ियम-133 परमाणु में संक्रमण की आवृत्ति को मापती हैं। ये घड़ियाँ अत्यधिक सटीक हैं और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ़ यूनिट्स (SI) में दूसरे को परिभाषित करने के लिए प्राथमिक मानक के रूप में काम करती हैं।
2. **रुबिडियम परमाणु घड़ियाँ :** रुबिडियम परमाणु घड़ियाँ सीज़ियम घड़ियों के समान ही काम करती हैं लेकिन इसके बजाय संदर्भ के रूप में रुबिडियम परमाणुओं का उपयोग करती हैं। वे आम तौर पर सीज़ियम घड़ियों की तुलना में छोटे, कम महंगे और अधिक पोर्टेबल होते हैं, जो उन्हें उन अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त बनाते हैं जहां आकार और लागत महत्वपूर्ण कारक होते हैं।
3. **हाइड्रोजन मेसर घड़ियाँ :** हाइड्रोजन मेसर घड़ियाँ सीज़ियम घड़ियों से भी अधिक सटीक होती हैं। वे हाइड्रोजन परमाणुओं के हाइपरफाइन संक्रमण पर भरोसा करते हैं और बहुत अधिक आवृत्तियों पर काम करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप बेहतर अल्पकालिक स्थिरता और सटीकता होती है। इन घड़ियों का उपयोग आमतौर पर वैज्ञानिक अनुसंधान, उपग्रह नेविगेशन सिस्टम और अंतरिक्ष अभियानों में किया जाता है।
4. **ऑप्टिकल परमाणु घड़ियाँ:** ऑप्टिकल परमाणु घड़ियाँ पारंपरिक परमाणु घड़ियों की तुलना में और भी अधिक सटीकता प्राप्त करने के लिए, स्ट्रोंटियम या येटरबियम जैसे परमाणुओं में ऑप्टिकल संक्रमण का उपयोग करती हैं। ऑप्टिकल आवृत्तियों पर काम करके, वे संभावित रूप से और भी अधिक सटीकता के साथ दूसरे को फिर से परिभाषित कर सकते हैं। इस क्षेत्र में अनुसंधान जारी है, जिसमें ऑप्टिकल घड़ियाँ मौलिक भौतिकी अनुसंधान और वैश्विक पोजिशनिंग सिस्टम जैसे क्षेत्रों में भविष्य के अनुप्रयोगों के लिए संभावनाएं दिखा रही हैं।

भारत द्वारा परमाणु घड़ियाँ को अपनाने के पीछे दिए जाने वाला तर्क क्या है ?

कारगिल युद्ध के दौरान ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) की जानकारी से इनकार के जवाब में भारत ने परमाणु घड़ियां विकसित करने के प्रयास शुरू किए। रक्षा, साइबर सुरक्षा और ऑनलाइन लेनदेन के लिए स्वतंत्र टाइमकीपिंग क्षमताओं की स्थापना आवश्यक है।

- **राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता :** वर्तमान में, भारत भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (NavIC) जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के लिए विदेशी परमाणु घड़ियों, विशेष रूप से अमेरिका में मौजूद घड़ियों पर निर्भर है। अपनी स्वयं की परमाणु घड़ियाँ विकसित करने से भारत को अपने टाइमकीपिंग बुनियादी ढांचे को नियंत्रित करने की अनुमति मिलती है, जिससे बाहरी स्रोतों पर निर्भरता कम हो जाती है। संभावित संघर्षों के दौरान यह महत्वपूर्ण है जहां विदेशी संकेतों तक पहुंच प्रतिबंधित हो सकती है।
- **उन्नत सटीकता और विश्वसनीयता :** पारंपरिक तरीकों की तुलना में परमाणु घड़ियाँ बेजोड़ सटीकता प्रदान करती हैं। उन्हें पूरे देश में तैनात करके, भारत सभी डिजिटल उपकरणों को भारतीय मानक समय (आईएसटी) के साथ सिंक्रनाइज़ कर सकता है, जिससे एकीकृत और अत्यधिक सटीक समय संदर्भ सुनिश्चित हो सके। इसका मतलब विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन है:

1. **दूरसंचार नेटवर्क के सुचारू संचालन, के लिए :** संचार नेटवर्क के सुचारू संचालन, त्रुटियों को कम करने और निर्बाध डेटा स्थानांतरण सुनिश्चित करने के लिए सटीक समय आवश्यक है।
2. **वित्तीय प्रणालियाँ :** परमाणु घड़ी की सटीकता के साथ वित्तीय लेनदेन की टाइमस्टैम्पिंग त्रुटियों को कम करती है और उच्च-आवृत्ति व्यापार में धोखाधड़ी के खिलाफ सुरक्षा उपाय करती है।
3. **नेविगेशन सेवाएँ :** भारत की NavIC प्रणाली घरेलू परमाणु घड़ियों द्वारा प्रदान की गई बढ़ी हुई टाइमिंग से लाभ उठा सकती

है, जिससे अधिक विश्वसनीय पोजिशनिंग डेटा प्राप्त होगा।

4. **साइबर सुरक्षा :** भारत की बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था में, परमाणु घड़ियाँ लेनदेन के लिए टाइमस्टैम्प की सटीकता सुनिश्चित करती हैं, धोखाधड़ी को रोकती हैं, डेटा अखंडता सुनिश्चित करती हैं और साइबर सुरक्षा उपायों को मजबूत करती हैं।

- **"एक राष्ट्र, एक समय":** परमाणु घड़ियों के नेटवर्क के साथ, भारत पूरे देश में एक एकीकृत और सटीक समय मानक प्राप्त कर सकता है। यह राष्ट्रीय एकजुटता की भावना को बढ़ावा देता है और नागरिकों और व्यवसायों के लिए समय-संबंधी गतिविधियों को सरल बनाता है।'
- **महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा और पावर ग्रिड :** परमाणु घड़ियाँ बिजली ग्रिड, परिवहन प्रणाली और आपातकालीन सेवाओं सहित महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को सिंक्रनाइज़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (आईआरएनएसएस) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: (यूपीएससी-2018)

1. आईआरएनएसएस के तीन उपग्रह भूस्थिर कक्षाओं में और चार उपग्रह भू-समकालिक कक्षाओं में हैं।
2. आईआरएनएसएस पूरे भारत और इसकी सीमाओं से परे लगभग 5500 वर्ग किलोमीटर को कवर करता है।
3. भारत के पास 2019 के मध्य तक पूर्ण वैश्विक कवरेज के साथ अपना स्वयं का उपग्रह नेविगेशन सिस्टम होगा।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1

B. केवल 1 और 2

C. केवल 2 और 3

D. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर : A

Q2. परमाणु घड़ियों में माइक्रोवेव गुहा का प्राथमिक कार्य क्या है?

A. परमाणु कंपन उत्पन्न करना

B. सीज़ियम परमाणुओं का फंसना

C. विकिरण उत्सर्जित करना

D. आवृत्तियों की तुलना करना

उत्तर: B

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. दूरसंचार नेटवर्क, पावर ग्रिड और वित्तीय प्रणालियों के लिए सिंक्रनाइज़ेशन बनाए रखने में उनकी भूमिका पर विचार करते हुए, साइबर हमलों के खिलाफ महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की लचीलापन बढ़ाने में परमाणु घड़ियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें।

Yojna IAS योजना है तो सफलता है

खाद्य अपशिष्ट सूचकांक (FWI) रिपोर्ट 2024

(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र – 3 – ' सामाजिक न्याय के संदर्भ में फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 ' खंड से और प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ' वेस्ट एंड रिसोर्सेज़ एक्शन प्रोग्राम (WRAP), संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP), सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP), सतत् विकास लक्ष्य (SDG) 12.3, खाद्य अपशिष्ट सूचकांक (FWI) रिपोर्ट 2024 ' खंड से संबंधित है। इसमें योजना आईएएस टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख ' दैनिक करेंट अफेयर्स ' के अंतर्गत ' खाद्य अपशिष्ट सूचकांक (FWI) रिपोर्ट 2024 ' से संबंधित है।)

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (United Nations Environment Programme- UNEP) और यूनाइटेड किंगडम स्थित गैर-लाभकारी संगठन वेस्ट एंड रिसोर्सेज़ एक्शन प्रोग्राम (WRAP) द्वारा संयुक्त रूप से खाद्य अपशिष्ट सूचकांक (FWI) रिपोर्ट, 2024 जारी की गई है।
- खाद्य अपशिष्ट सूचकांक (FWI) रिपोर्ट, 2024 के अनुसार भोजन की बर्बादी को रोकने के लिए ट्रैकिंग करने तथा इसकी निगरानी करने हेतु डेटा के बुनियादी ढाँचे में सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार करने की जरूरत है।
- खाद्य अपशिष्ट सूचकांक (FWI) रिपोर्ट पहली बार वर्ष 2021 में प्रकाशित किया गया था।
- वर्तमान में जारी किया गया यह रिपोर्ट एक बड़े डेटासेट पर आधारित है एवं संपूर्ण विश्व में बर्बाद होने वाले भोजन के बारे में एक अद्यतन जानकारी प्रदान करती है।
- खाद्य अपशिष्ट सूचकांक (FWI) रिपोर्ट संपुर्ण विश्व में भोजन की बर्बादी को रोकने के समाधान के रूप में सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) के माध्यम से एक बहु – हितधारक सहयोग को विकसित करने की प्रणाली को अपनाने का सुझाव देती है।
- **वैश्विक भुखमरी सूचकांक/ग्लोबल हंगर इंडेक्स, 2023 में भारत 125 देशों में से 111वें स्थान पर है, यह भारत में भुखमरी के गंभीर स्तर को दर्शाता है।**

क्या है वेस्ट एंड रिसोर्सेज़ एक्शन प्रोग्राम (WRAP) :

BREAKING

विश्व में 19% खाद्य पदार्थ बर्बाद हो रहा है : संयुक्त राष्ट्र की खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट, 2024

रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया ने 2022 में दुनिया भर में उपभोओं के लिए उपलब्ध अनुमानित 1.05 बिलियन मीट्रिक टन या 19 प्रतिशत भोजन बर्बाद कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार, यह बर्बादी तब हो रही है जब दुनिया में 783 मिलियन लोग भूखे रहते हैं और एक तिहाई हिस्से को खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। भोजन की बर्बादी का प्रमुख घर-परिवार है भोजन की बर्बादी में से 631 मिलियन टन के लिए जिम्मेदार घर-परिवार थे, जो 60 प्रतिशत के बराबर है।

- प्रतिवर्ष 30 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस आयोजित किया जाता है।
- यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस के पहले प्रकाशित की गई है।
- यह जलवायु कार्रवाई के उद्देश्य पर केंद्रित एक गैर-लाभकारी और गैर – सरकारी संगठन (NGO) है जो जलवायु संकट के कारणों से निपटने और पृथ्वी को संधारणीय भविष्य प्रदान करने की दिशा के लिए संपूर्ण विश्व में कार्य करता है।
- यह रिपोर्ट भोजन की बर्बादी (Food Waste) को मानव खाद्य आपूर्ति श्रृंखला से हटाए गए भोजन और संबंधित अखाद्य हिस्सों के रूप में परिभाषित करती है।
- इसकी स्थापना वर्ष 2000 में यूनाइटेड किंगडम में हुई थी।
- इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में एक ओर वैश्विक स्तर पर जहाँ संपूर्ण विश्व के परिवारों ने प्रतिदिन 1 बिलियन से अधिक 'एक वक्त का भोजन' बर्बाद किया है, वहीं दूसरी ओर वैश्विक स्तर पर करीब 783 मिलियन लोग भुखमरी से प्रभावित या शिकार हुए हैं।
- वर्ष 2022 में 1.05 बिलियन टन खाद्य अपशिष्ट उत्पन्न हुआ (अखाद्य भागों सहित), जो प्रति व्यक्ति 132 किलोग्राम था और उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कुल भोजन का लगभग पांचवां हिस्सा था।
- वर्ष 2022 में बर्बाद हुए कुल भोजन में से 60 प्रतिशत घरेलू स्तर पर हुआ, जिसमें 28 प्रतिशत के लिए खाद्य सेवाएँ और 12 प्रतिशत के लिए खुदरा क्षेत्र जिम्मेदार रहा।
- इसके अलावा, संपूर्ण जनसंख्या के एक तिहाई हिस्से को खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा है।
- 'खाद्य अपशिष्ट सूचकांक (FWI) रिटेल और उपभोक्ता (घरेलू एवं खाद्य सेवा) के यहां बर्बाद होने वाले भोजन व अनाज के अखाद्य हिस्सों की मात्रा को वैश्विक तथा राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी करता है।
- फसलों और पशुधन की कोई भी मात्रा जो मानव-खाद्य वस्तुएँ हैं, जो बिक्री स्तर के बिंदु के अतिरिक्त **"प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कटाई के बाद/पशुधन पशु उत्पादन/आपूर्ति श्रृंखला से पूरी तरह से बाहर निकल जाती हैं को "फूड लॉस"** कहा जाता है।
- फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट वर्ष 2030 (SDG 12.3) तक भोजन की बर्बादी को आधा करने में राष्ट्र स्तरीय प्रगति का निगरानी करता है।
- SDG 12 का लक्ष्य सतत् उपभोग और उत्पादन प्रणाली को सुनिश्चित करना है।
- यह सतत विकास लक्ष्य (SDG)-12.3 के दो संकेतकों को 2030 तक हासिल करने के लक्ष्य पर आधारित है। ये दो संकेतक निम्नलिखित हैं –
- SDG 12.3.1 (a): खाद्य हानि सूचकांक (Food Loss Index: FLI) इस संकेतक का उप – संकेतक है।
- FLI फसल कटाई के बाद के नुकसान सहित उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखलाओं में खाद्य हानि को कम करने में मदद करता है।
- खाद्य और कृषि संगठन, FLI का संरक्षक है।
- SDG 12.3.1 (b): FWI इस संकेतक का उप-संकेतक है।
- FWI रिटेल और उपभोक्ता स्तर पर प्रति व्यक्ति वैश्विक खाद्य अपशिष्ट की मात्रा को कम करके आधा करने पर केंद्रित है।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) :

- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) पर्यावरण पर कार्य करने वाली एक अग्रणी वैश्विक प्राधिकरण है।
- **इसकी स्थापना वर्ष 1972 में स्टॉकहोम घोषणा के माध्यम से की गई थी।**
- **इसका मुख्यालय केन्या के नैरोबी में स्थित है।**
- **UNEP खाद्य अपशिष्ट सूचकांक (FWI) का संरक्षक है।**
- यह भविष्य की पीढ़ियों से पर्यावरण की देखभाल में समझौता किए बिना उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रेरित करना, सूचित करना और सक्षम बनाना है और विभिन्न राष्ट्रों एवं नागरिकों के बीच की साझेदारी को प्रोत्साहित करना है।

इस रिपोर्ट से संबंधित प्रमुख बिंदु :

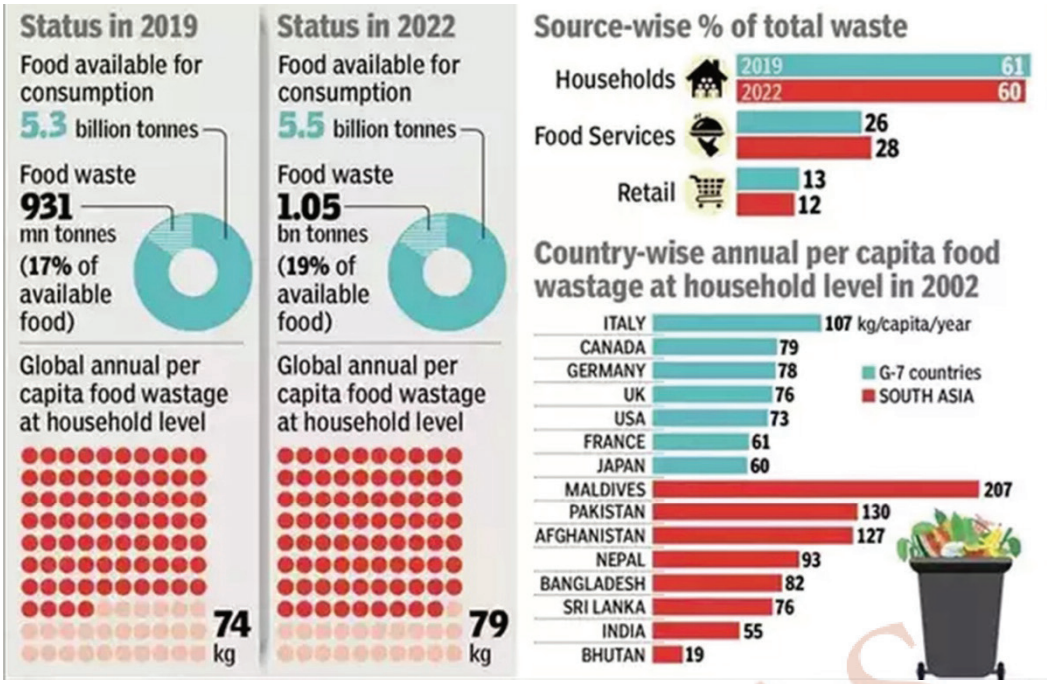

- **खाद्य अपशिष्ट में कम असमानता :** खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट, 2024 उच्च – आय, उच्च – मध्यम आय और निम्न – मध्यम आय वाले देशों में, घरेलू खाद्य अपशिष्ट के औसत स्तर में प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष केवल 7 किलोग्राम का अंतर देखा गया है।
- **खाद्य अपशिष्ट और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन :** खाद्य हानि और अपशिष्ट वैश्विक ग्रीनहाउस गैस (Global Greenhouse Gas- GHG) उत्सर्जन का 8-10% अर्थात् विमानन क्षेत्र के कुल उत्सर्जन के लगभग 5 गुना से अधिक उत्पन्न करते हैं। यह तब होता है जब मानवता का एक तिहाई हिस्सा खाद्य असुरक्षा का सामना करता है
- **भोजन की बर्बादी का स्तर :** वर्ष 2022 में विश्व के विभिन्न क्षेत्रों ने 1.05 बिलियन टन भोजन बर्बाद किया यानी खुदरा, खाद्य सेवा और घरेलू स्तर पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध भोजन का पाँचवाँ हिस्सा (19%) बर्बाद हुआ। खाद्य और कृषि संगठन (Food and Agricultural Organization-FAO) के अनुमान के अनुसार, यह फसल के बाद से लेकर खुदरा बिक्री तक, आपूर्ति श्रृंखला में लुप्त/नष्ट हो जाने वाले विश्व के 13% भोजन के अतिरिक्त है।
- **शहरी – ग्रामीण असमानताएँ :** मध्यम आय वाले देशों में शहरी और ग्रामीण आबादी के बीच भिन्नता दिखाई देती है, ग्रामीण क्षेत्रों में आम तौर पर भोजन की कम बर्बादी होती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में बचे हुए खाद्य पदार्थों को पालतू जानवरों, पशुओं के चारे और घरेलू खाद में अधिक उपयोग किया जाता है।
- **तापमान और खाद्य अपशिष्ट के बीच सहसंबंध :** गर्म देशों में प्रति व्यक्ति घरेलू भोजन की बर्बादी संभवतः अधिक ताज़े खाद्य पदार्थों के सेवन के परिणामस्वरूप ज़्यादा होती है जिसमें बड़ी मात्रा में अनुपयुक्त घटक शामिल होते हैं और सुदृढ़ कोल्ड चेन की कमी होती है। उच्च मौसमी तापमान, अत्यधिक गर्मी की घटनाएँ और अनावृष्टि भोजन को सुरक्षित रूप से संग्रहित करना, संसाधित करना, परिवहन करना तथा बेचना अधिक चुनौतीपूर्ण बना देता है, जिससे प्रायः भोजन की एक बड़ी मात्रा बर्बाद हो जाती है या नष्ट हो जाती है।
- **प्रगति को ट्रैक करने के लिए पर्याप्त प्रणाली का अभाव :** कई निम्न और मध्यम आय वाले देशों में वर्ष 2030 तक भोजन की बर्बादी को आधा करने के सतत् विकास लक्ष्य 12.3 को पूरा करने के लिए खुदरा तथा खाद्य सेवाओं में प्रगति को ट्रैक करने हेतु पर्याप्त प्रणालियों का अभाव है। वर्तमान में, केवल चार G20 देशों (ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूके, यूएस) और यूरोपीय संघ के पास वर्ष 2030 तक प्रगति को ट्रैक करने के लिए खाद्य अपशिष्ट अनुमान उपलब्ध हैं।
- **डेटा में भिन्नता और उपराष्ट्रीय अनुमान :** भारत, इंडोनेशिया और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में भोजन की बर्बादी के संबंध में व्यापक राष्ट्रीय डेटा में एक व्यापक अंतर हैं, जो यह बताता है कि खाद्य अपशिष्ट परिदृश्य के स्पष्ट आँकड़ों को अधिक समावेशी बनाने की जरूरत है।

खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 की प्रमुख सिफारिशें :

- **G20 देशों की भागीदारी :** घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य अपशिष्ट के संबंध में जागरूकता तथा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये वैश्विक उपभोक्ता रुझानों पर अपने प्रभाव का लाभ उठाते हुए, सतत् विकास लक्ष्य (SDG) 12.3 को प्राप्त करने के लिए G20 देशों को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं नीति विकास में अग्रणी भूमिका निभाने हेतु प्रोत्साहित करना।
- **सार्वजनिक निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना :** भोजन की बर्बादी और जलवायु तथा जल तनाव पर इसके प्रभावों को कम करने के लिये सार्वजनिक निजी भागीदारी (Public Private Partnerships- PPP) को अपनाने को प्रोत्साहित करें, लक्ष्य-माप-अधिनियम दृष्टिकोण के माध्यम से एक साझा लक्ष्य को सहयोग करने तथा वितरित करने हेतु सरकारों, क्षेत्रीय एवं उद्योग समूहों को एक साथ लाना।
- **खाद्य अपशिष्ट सूचकांक का उपयोग :** खाद्य अपशिष्ट को लगातार मापने के लिये खाद्य अपशिष्ट सूचकांक का उपयोग करने हेतु देशों का समर्थन, मज़बूत राष्ट्रीय आधार रेखाएँ विकसित करना और SDG 12.3 की दिशा में प्रगति को ट्रैक करना। इसमें विशेष रूप से खुदरा और खाद्य सेवा क्षेत्रों में व्यापक खाद्य अपशिष्ट डेटा संग्रह की कमी को संबोधित करना शामिल है।
- **सभी क्षेत्रों में सहयोगात्मक प्रयास :** वर्ष 2030 तक वैश्विक खाद्य बर्बादी को आधा करके SDG 12.3 हासिल करने के लिए सटीक माप, नवीन समाधान और सामूहिक कार्रवाई के महत्त्व पर ज़ोर देते हुए, खाद्य बर्बादी को कम करने के प्रयासों में सहयोग करने हेतु सरकारों, शहरों, खाद्य व्यवसायों, शोधकर्त्ताओं से आग्रह करने की आवश्यकता है।

खाद्य पदार्थों की बर्बादी को रोकने से संबंधित किए जा रहे प्रमुख प्रयास :

- **संवैधानिक प्रावधान :** भारतीय संविधान में भोजन के अधिकार के संबंध में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित जीवन के मौलिक अधिकार की व्याख्या मानवीय गरिमा के साथ जीने के अधिकार को शामिल करने के लिए किया जाता है, जिसमें भोजन और अन्य बुनियादी आवश्यकताओं का अधिकार शामिल है।
- **बफर स्टॉक / सुरक्षित भंडार :** भारतीय खाद्य निगम (FCI) का मुख्य कार्य न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खाद्यान्न की खरीद और विभिन्न स्थानों पर उसके गोदामों में भंडारण करना है। इसके बाद आवश्यकतानुसार यहाँ से राज्य सरकारों को खाद्यान की आपूर्ति की जाती है।
- **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 (NFSA) :** यह खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण का कल्याणकारी से अधिकार – आधारित दृष्टिकोण में परिवर्तित होने का प्रतीक है।
- **NFSA 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को निम्नलिखित योजना के तहत शामिल करता है –**
- **अंत्योदय अन्न योजना :** इसके अंतर्गत सबसे निर्धन लोग शामिल हैं, इन्हें प्रतिमाह प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान किया जाता है।

- **प्राथमिकता वाले परिवार (PHH) :** PHH श्रेणी के अंतर्गत आने वाले परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान किया जाता है।

स्त्रोत – द हिन्दू एवं पीआईबी।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन बनाए गए उपबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। (UPSC CSE- 2018)

1. केवल वे ही परिवार सहायता प्राप्त खाद्यान्न लेने की पात्रता रखते हैं जो "गरीबी रेखा से नीचे" (बी.पी.एल.) श्रेणी में आते हैं।
2. परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की सबसे अधिक उम्र वाली महिला ही राशन कार्ड निर्गत किए जाने के प्रयोजन से परिवार का मुखिया मानी जायेंगी।
3. गर्भवती महिलाएँ एवं दुग्ध पिलाने वाली माताएँ गर्भावस्था के दौरान और उसके छः महीने बाद तक प्रतिदिन 1600 कैलोरी वाला राशन को घर ले जाने की हक़दार हैं।
4. वैश्विक भुखमरी सूचकांक/ग्लोबल हंगर इंडेक्स, भारत में भुखमरी के गंभीर स्तर को दर्शाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1, 2 और3

B. केवल 2 और 4

C. केवल 2, 3 और 4

D. केवल 1 और 3

उत्तर – B

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. 1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं? खाद्य सुरक्षा विधेयक ने भारत में भूख और कुपोषण को दूर करने में किस प्रकार सहायता की है ?

Q.2. भारत में भुखमरी की समस्या से जूझने के बावजूद, वैश्विक स्तर पर बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थों की बर्बादी होती है। भारत में आपूर्ति श्रृंखला में खाद्य पदार्थों की बर्बादी के कारणों का विश्लेषण करते हुए यह चर्चा कीजिए कि भारत में सतत् खाद्य आपूर्ति प्रणाली के लिए व्यावहारिक समाधान क्या हो सकता है ? (UPSC CSE – 2021)

भारत के बैंकों में डिपॉजिट क्रंच / जमा प्राप्ति में कमी

(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र – 3 के ' भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, भारत में बैंकिंग प्रणाली एवं बैंकिंग क्षेत्र और एनबीएफसी ' खंड से और प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ' भारत के बैंकों में डिपॉजिट क्रंच / जमा प्राप्ति में कमी ' खंड से संबंधित है। इसमें योजना आईएएस टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख ' दैनिक करेंट अफेयर्स ' के अंतर्गत ' भारत के बैंकों में डिपॉजिट क्रंच / जमा प्राप्ति में कमी ' से संबंधित है।)

ख़बरों में क्यों ?

- भारतीय बैंकिंग प्रणाली की वर्तमान स्थिति के संबंध में हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार में भारत में बैंक जमा राशि की कमी या 'डिपॉजिट क्रंच' का सामना कर रही है। इस स्थिति का मुख्य कारण बचत खातों में जमा धन की वृद्धि दर में कमी

और बैंकों द्वारा उच्च ब्याज दरों पर ऋण देने की प्रवृत्ति को बताया गया है।

Banks battle worst deposit crunch in at least 20 yrs

Yojna IAS
योजना है तो सफलता है

AT 80%, THE CREDIT-DEPOSIT RATIO IS AT ITS PEAK SINCE 2005

MUMBAI: Banks in India struggled to attract deposits in FY24, even as credit growth soared. Data from the Reserve Bank of India (RBI) showed the credit-deposit ratio at its highest in at least 20 years, as loan offtake rose across categories including home loans and other loans for consumption.

At 80%, the credit-deposit or CD ratio is at its highest since 2005, the earliest period for which data is available. The CD ratio indicates how much of a bank's deposit base is being utilized for loans. The FY24 data is up to 22 March, the last fortnight for the previous fiscal year.

"Customers are chasing high-return, equity-linked products," said Bhavik Hathi, managing director of consulting firm Alvarez and Marsal, adding that the solid performance of equity markets in the past few months and rising financial literacy have encouraged investors to put in money into such securities for higher returns.

Banks hiked deposit rates last fiscal year to draw in retail deposits, as they faced competition from peers, other investment avenues, and some shift in preferences from financial assets towards real assets.

The next set of data on credit and deposit is expected for the fortnight ending 5 April. *Mint* used the aggregate bank credit data and not just the non-food data — bank credit after adjusting for loans given to the Food Corporation of India (FCI) — to calculate the CD ratio.

Experts said high CD ratio increases the reliance of lenders on high-cost, bulk deposits, which may not be part of a bank's core depositor base. "Such bulk deposits may also be prone to higher outflows, which may pose liquidity risk to banks," said Anil Gupta, senior vice-president, co group head - financial sector ratings, Icra.

Subha Sri Narayanan, director, Crisil Ratings said that in the past few quarters, lenders have used their excess statutory liquidity ratio (SLR) holdings, which supported credit growth despite the lower deposit growth. Mint reported in January that banks were liquidating some investments in sovereign securities to fund the demand for loans. SLR is the proportion of deposits that banks have to mandatorily invest in approved securities. The pace of growth of bank credit surpassed deposit growth in 2023-24, the data showed. In 2023-24, while deposits grew 13.5% to ₹204.8 trillion, non-food credit grew 20.2% to ₹164.1 trillion as on 22 March. In 2022-23, deposits grew 9.6% and credit, 15.4%.

- वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारतीय बैंकों में सबसे कम जमा प्राप्ति हुई है, जिसके परिणामस्वरूप विगत दो दशकों में ऋण-जमा अनुपात काफी असंतुलित हो गया है। इस परिस्थिति में भारतीय बैंकों के पास नए ऋण देने के लिए पर्याप्त धन नहीं बचा है।
- डिजिटल भुगतान की बढ़ती प्रवृत्ति और नकदी के प्रति लोगों की बढ़ती निर्भरता ने भी जमा राशि में कमी को प्रभावित किया है। बैंकों को अपनी जमा दरों को बढ़ाने और नए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अधिक प्रतिस्पर्धी बनना पड़ रहा है।
- 01 अप्रैल 2007 से भारतीय रिज़र्व बैंक देश में मौद्रिक स्थिरता सुनिश्चित करने की जरूरतों के संबंध में अनुसूचित बैंकों के लिए बिना किसी न्यूनतम नियत दर या उच्चतम दर के आरक्षित नकदी निधि अनुपात निर्धारित करता है।

बैंकों में डिपॉजिट क्रंच / जमा प्राप्ति में कमी क्यों होता है ?

- वित्तीय वर्ष 2023 – 24 में भारतीय बैंकों को नकदी जमा प्राप्ति अर्थात डिपॉजिट क्रंच के संकट का सामना करना पड़ा था।
- वर्तमान में ऋण-जमा अनुपात 80%-20% के साथ वर्ष 2015 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर है।
- जमा नकदी का अनुपात यह इंगित करता है कि किसी बैंक का कितना जमा ऋण के लिए प्रयोग किया जा रहा है।
- भारतीय बैंकिंग प्रणाली में वर्ष 2023-24 के दौरान ऋण वृद्धि में तेजी आई है, जबकि जमा वृद्धि दर में कमी देखी गई है। परिणामस्वरूप, ऋण-जमा अनुपात में असंतुलन उत्पन्न हो गया है, जो पिछले दो दशकों में सबसे अधिक है।
- ऋण-जमा अनुपात में असंतुलन का मुख्य कारण ऋण में वृद्धि है, जो खुदरा और सेवा क्षेत्रों में अधिक ऋण देने के कारण हुई है। इसके अलावा, निजी निवेश में वृद्धि और सरकारी पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी ने भी ऋण मांग को बढ़ाया है।
- भारत में बैंकों में जमा करने वाली राशि में वृद्धि में कमी के कई कारण हैं। उच्च मुद्रास्फीति और बढ़ती ब्याज दरों के कारण लोगों ने अपनी बचत को अन्य निवेश विकल्पों में लगाना प्रारंभ किया है, जिससे बैंकों में जमा राशि में कमी आई है।
- भारत में बैंकों के डिजिटलीकरण और नए वित्तीय प्रौद्योगिकी समाधानों के उदय ने भी जमा वृद्धि को प्रभावित किया है।
- भारत में ऋण-जमा अनुपात में असंतुलन के निहितार्थ व्यापक हैं। बैंकों को अपने जोखिम प्रबंधन और ऋण नीतियों को मजबूत करने की आवश्यकता है।
- इसके साथ ही, बैंकों को अपने जमा आधार को विविधता प्रदान करने और नए जमा उत्पादों को विकसित करने की जरूरत है। इसके अलावा, वित्तीय साक्षरता और जन-जागरूकता अभियानों को बढ़ाने की भी आवश्यकता है, ताकि लोग बैंकिंग प्रणाली में अधिक जमा करने के लिए प्रेरित हों।

नकद आरक्षित अनुपात क्या होता है ?

- नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) एक महत्वपूर्ण मौद्रिक नीति उपकरण है जिसका इस्तेमाल केंद्रीय बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यह विनियमन विश्व के लगभग हर देश में लागू होता है। सीआरआर वह न्यूनतम प्रतिशत है जिसे वाणिज्यिक बैंकों को अपने जमा के रूप में केंद्रीय बैंक में नकदी के रूप में रखना अनिवार्य होता है। इसकी गणना बैंकों की शुद्ध मांग और समय देनदारियों के प्रतिशत के रूप में की जाती है, जिसमें बचत खाते, चालू खाते, और सावधि जमा शामिल होते हैं।
- सीआरआर का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंकों के पास अपने ग्राहकों की नकदी निकासी की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी हो। यह बैंकों को अत्यधिक ऋण देने से रोकता है और उन्हें अधिक जोखिम लेने से बचाता है। सीआरआर दर को आरबीआई द्वारा समय-समय पर संशोधित किया जाता है ताकि बाजार में नकदी की स्थिति के अनुसार उचित संतुलन बनाया जा सके। इसके अलावा, सीआरआर बैंकों को अपने जमाकर्ताओं के लिए एक निश्चित नकदी आरक्षित रखने के लिए बाध्य करता है, जिससे वे अपने जमाकर्ताओं की तत्काल नकदी निकासी की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। इस प्रकार, सीआरआर बैंकिंग प्रणाली की स्थिरता और विश्वसनीयता को बढ़ाता है और वित्तीय संकट के समय में बैंकों को अपने जमाकर्ताओं की नकदी निकासी की मांगों को पूरा करने में सक्षम बनाता है।

भारतीय बैंकों में डिपॉजिट क्रंच / जमा प्राप्ति में कमी होने का प्रमुख कारण :

- बैंकों में जमा नकदी का संकट तब उत्पन्न होता है जब बैंकों के पास अपने ग्राहकों को उधार देने के लिये पर्याप्त धनराशि नहीं होती है। परिणामस्वरूप, व्यवसायों के सुचारु संचालन में बाधाएँ उत्पन्न होती हैं, और कर्मचारियों को वेतन प्राप्त करने में देरी होती है। यह आर्थिक स्थिरता और वित्तीय व्यवस्था को बाधित कर सकता है।
- बेहतरीन बाज़ार प्रदर्शन एवं बढ़ती वित्तीय जागरूकता के कारण निवेशक तेज़ी से उच्च – रिटर्न, इक्विटी – लिंक्ड उत्पादों की ओर अधिक उन्मुख हो रहे हैं, जिससे बैंकों के समक्ष जमा प्राप्त करने और ऋण वृद्धि के समर्थन की दोहरी चुनौती उत्पन्न होती है।
- भारत में बैंकों में जमा राशि के एक हिस्से को नियामक आवश्यकताओं जैसे- नकद आरक्षित अनुपात (CRR) तथा वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) ऋण देने योग्य धन को कम करने एवं जमा के लिये प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ाने के लिए अलग रखा जाता है।
- हाल की तिमाही में बैंकों ने धीमी जमा वृद्धि के बीच ऋण को बढ़ावा देने के लिए अपने अधिशेष SLR होल्डिंग्स का उपयोग

किया, लेकिन जैसे-जैसे SLR बफर्स कम होते हैं, उन्हें लाभप्रदाता के साथ जमा दर में बढ़ोतरी को संतुलित करने की चुनौती का सामना करना पड़ता है।

- बढ़ती प्रतिस्पर्द्धा, वैकल्पिक निवेश विकल्पों तथा वास्तविक संपत्तियों की ओर बदलाव के बीच खुदरा जमा को आकर्षित करने के लिये बैंकों में पिछले वित्त वर्ष में जमा दरों में वृद्धि हुई।
- HDFC तथा HDFC बैंक के विलय के परिणामस्वरूप HDFC के ऋण तथा जमा को बैंकिंग प्रणाली में शामिल किया गया, जिसने समग्र आँकड़ों में योगदान दिया है।

भारत के बैंकों में डिपॉजिट क्रंच के परिणाम :

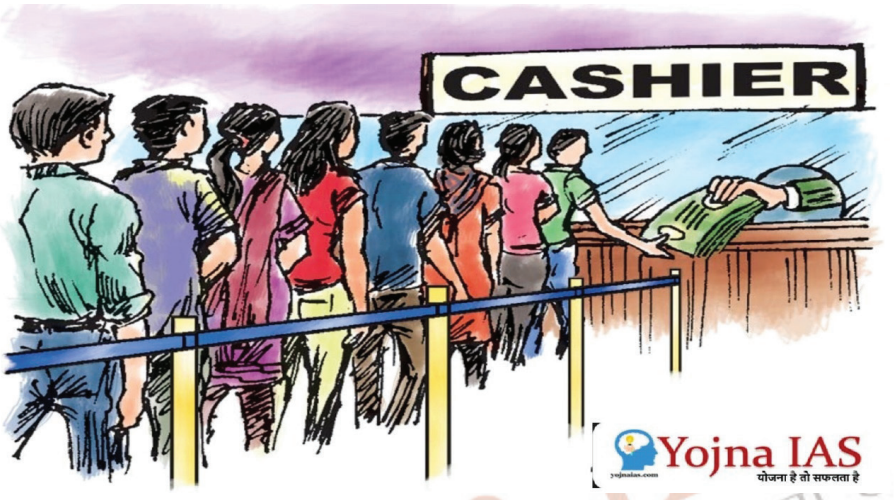

- उच्च CD अनुपात से बैंक की महँगी, बड़ी जमाओं पर निर्भरता बढ़ जाती है, जिसकी पूर्ति उसके मुख्य जमाकर्त्ताओं से नहीं हो सकती है और संभावित रूप से उच्च बहिर्वाह के कारण तरलता जोखिम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
- इससे ऋण तक सीमित पहुँच के कारण व्यवसायों को तरलता संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
- बैंकों में डिपॉजिट क्रंच होने से भारत में कर्मचारियों के वेतन में देरी हो सकती है, जिससे उनकी आजीविका प्रभावित हो सकती है।
- अतः इससे समग्र रूप से एक गंभीर आर्थिक प्रभाव हो सकता है। इसलिए भारत में सरकार द्वारा बैंकिंग क्षेत्र को स्थिर करने हेतु तत्काल कोई ठोस और प्रभावी उपाय किए जाने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष / समाधान की राह :

- भारत के बैंकों में डिपॉजिट क्रंच के मामले में लगभग 20 वर्षों में सबसे खराब जमा संकट पर तत्काल ध्यान देने के साथ ही

रणनीतिक हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक है।

- भारत वर्तमान में बैंकों में डिपॉजिट क्रंच के जिस चुनौतीपूर्ण चरण से गुजर रहा है, वैसी स्थिति में भारत में बैंकों की सुरक्षा एवं वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना सरकार का सर्वोपरि उद्देश्य बन गया है।
- अतः भारत के बैंकों में डिपॉजिट क्रंच के मामले में समाधान ढूँढने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया और अन्यबैंकों को इस समस्या से निपटने में सहयोग करना होगा।
- भारत के बैंकों में डिपॉजिट क्रंच के समस्या का समाधान के रूप में बैंकों में अधिक से अधिक जमा राशि को प्रोत्साहित करना एवं ऋण वितरण को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना एक महत्त्वपूर्ण कदम हो सकता है।
- बैंकों में डिपॉजिट क्रंच के समस्या की गंभीरता के बारे में सार्वजनिक जागरूकता हमारी बैंकिंग प्रणाली की सुरक्षा के लिए सामूहिक प्रयासों को प्रेरित कर सकती है।
- वित्त वर्ष 2025 में ऋण वृद्धि 16 प्रतिशत से घटकर 14 प्रतिशत होने की उम्मीद के बीच, बैंक जमा वृद्धि से आगे निकल रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप एनआईएम में वित्त वर्ष 2024 के 3 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 2025 में 2.9 प्रतिशत होने का अनुमान है।
- भारत में निजी क्षेत्र के बैंकों को उनके लगभग 93 प्रतिशत के उच्च एलडीआर और लगभग 18 प्रतिशत की क्रेडिट वृद्धि के कारण सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है।
- भारत के बैंकों में डिपॉजिट क्रंच के संकट का समाधान खोजने के लिए, बैंकों को अपनी जमा नीतियों को फिर से तैयार करना होगा और ग्राहकों को अधिक – से – अधिक लाभकारी जमा योजनाएं प्रदान करनी होंगी।
- इसके साथ ही, भारत में वित्तीय साक्षरता और जन – धन योजना जैसी सरकारी पहलों के माध्यम से जमा आधार को बढ़ाने की दिशा में काम करना होगा।
- अंततः भारत में बैंकों को भी नवाचार और ग्राहक-केंद्रित सेवाओं के माध्यम से जमा वृद्धि को प्रोत्साहित करना होगा, जिससे वे इस **'डिपॉजिट क्रंच'** की समस्या का समाधान कर सके। इसके लिए भारत में बैंकों को भी डिजिटल बैंकिंग, वित्तीय समावेशन और ग्राहक संतुष्टि पर विशेष ध्यान देना होगा।

स्रोत – 'द हिन्दू एवं इंडियन एक्सप्रेस'

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

प्रश्न.1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : (2018)

1. भारतीय रिज़र्व बैंक भारत सरकार की प्रतिभूतियों का प्रबंधन और सेवाएँ प्रदान करता है, लेकिन किसी राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का प्रबंधन और सेवाएँ प्रदान करता नहीं है।
2. भारत सरकार कोष-पत्र (ट्रेज़री बिल) जारी करती है और राज्य सरकारें कोई कोष – पत्र (ट्रेज़री बिल) जारी नहीं करती है।
3. भारत में कोष – पत्र ऑफर अपने समतुल्य मूल्य से बट्टे पर जारी किए जाते है।

उपर्युक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1 और 2

B. केवल 1 और 3

C. केवल 2 और 3

D. केवल 1, 2 और 3

उत्तर – C

प्रश्न. 2. यदि भारतीय रिज़र्व बैंक प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करने का निर्णय लेता है, तो वह निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा? (2020)

1. वैधानिक तरलता अनुपात को घटाकर उसे अनुकूलित करना।

2. सीमांत स्थायी सुविधा दर को बढ़ाना।
3. बैंक दर को घटाना तथा रेपो दर को भी घटाना।

उपरोक्त कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें :

A. केवल 1 और 2

B. केवल 2

C. केवल 1 और 3

D. इनमें से सभी।

उत्तर – B

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

प्रश्न.1. बैंकों में डिपॉजिट क्रंच से आप क्या समझते हैं? चर्चा कीजिए कि भारत के बैंकों में डिपॉजिट क्रंच की प्रमुख समस्याएं क्या है एवं इसका क्या समाधान हो सकता है ? तर्कसंगत उत्तर प्रस्तुत कीजिए।

हरित ऋण कार्यक्रम

(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र – 3 – ' जैव विविधता और पर्यावरण, हरित ऋण कार्यक्रम से संबंधित गतिविधियाँ और उससे संबंधित चिंताएँ ' खंड से और प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ' ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, लाइफ कैंपेन, कार्बन क्रेडिट, क्योटो प्रोटोकॉल,, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर ' खंड से संबंधित है। इसमें योजना आईएएस टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख 'दैनिक करंट अफेयर्स' के अंतर्गत ' हरित ऋण कार्यक्रम ' से संबंधित है।)

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (जीसीपी) के लिए नए नियमों की

घोषणा की है , जिसकेअनुसार अब हरित ऋण कार्यक्रम के तहत केवल वृक्षारोपण के बजाय पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने को प्राथमिकता दिए जाने पर जोर दिया गया है।

हरित ऋण कार्यक्रम (ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम) क्या है ?

- ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (जीसीपी) भारत सरकार की एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहल है जो पर्यावरण संरक्षण और स्थायी विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न हितधारकों को प्रोत्साहित करती है।
- इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों, उद्योगों, और स्थानीय अधिकारियों को स्वैच्छिक पर्यावरणीय कार्यों के लिए प्रोत्साहित करना है।
- इस कार्यक्रम के तहत, ग्रीन क्रेडिट उन गतिविधियों के लिए प्रदान किए जाते हैं जो पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं।
- हरित ऋण कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाली प्रमुख गतिविधियों में **स्थायी कृषि**, **वृक्षारोपण**, **जल प्रबंधन**, **कचरे का प्रबंधन**, **वायु प्रदूषण को कम करना**, **मैंग्रोव संरक्षण एवं पुनर्स्थापन**, **पारिस्थितिक तंत्र के स्तर का विकास** और **टिकाऊ इमारतें और बुनियादी ढाँचा** शामिल हैं।
- इस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह केवल कार्बन पृथक्करण पर ही नहीं बल्कि स्थानीय मिट्टी, पानी और पारि-स्थितिक तंत्र को लाभ पहुंचाने वाले गैर-कार्बन पर्यावरणीय सकारात्मक कार्यों पर भी जोर देता है।
- हरित ऋण कार्यक्रम के तहत, व्यक्ति, उद्योग, परोपकारी संस्थाएं, और स्थानीय निकाय स्वेच्छा से भाग ले सकते हैं और ग्रीन क्रेडिट अर्जित कर सकते हैं।
- इस कार्यक्रम के सकारात्मक प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिए, एक अंतर-मंत्रालयी संचालन समिति द्वारा समर्थित एक शासन ढांचा निर्मित किया गया है।
- भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई) हरित ऋण कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए एक प्रशासकीय संसथान के रूप में कार्य करता है।
- भारत में मध्य प्रदेश राज्य ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को लागू करने में सबसे अग्रणी राज्य है, जिसने पिछले दो महीनों में 10 राज्यों में 4,980 हेक्टेयर को शामिल करते हुए 500 से अधिक भूमि क्षेत्रों में वृक्षारोपण को आधिकारिक रूप से मंजूरी दे दिया है।
- इस कार्यक्रम के तहत, खराब वन भूमि पर वृक्षारोपण करने और हरित क्रेडिट अर्जित करने के लिए चौदह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य संस्थाओं को पंजीकृत किया गया है।

- ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम में भाग लेने के लिए, व्यक्तियों और संस्थाओं को केंद्र सरकार के समर्पित ऐप/वेबसाइट के माध्यम से अपनी गतिविधियों को पंजीकृत करना होगा।
- यह कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण के लिए एक व्यापक **' LiFE' (पर्यावरण के लिए जीवन शैली)** अभियान का हिस्सा है और स्वैच्छिक पर्यावरण-अनुकूल कार्यों को प्रोत्साहित और पुरस्कृत करता है।

हरित ऋण कार्यक्रम (ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम) का महत्त्व :

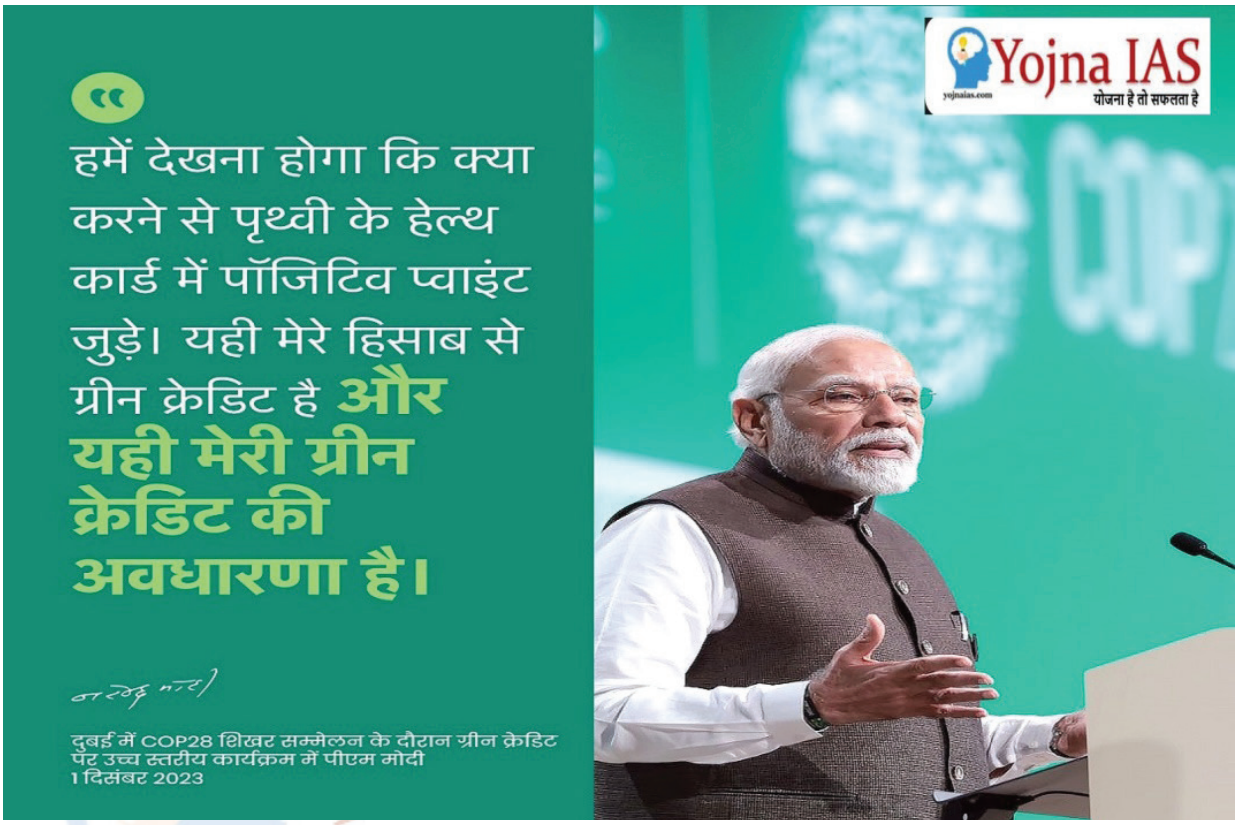

- भारत के हरित ऋण कार्यक्रम (GCP) का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और उससे जुडी हुई नीतियों में सुधार को बढ़ावा देना है।
- यह कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 और राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, 2006 के अनुरूप है, जो वनों और वन्यजीवों की रक्षा करते हैं।
- ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम भारत के COP26 समझौते के अनुसार जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के प्रयासों का हिस्सा है। यह ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022 द्वारा शुरू की गई कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना के पूरक के रूप में काम करता है और CO2 कटौती से परे व्यापार योग्य क्रेडिट के दायरे को व्यापक बनाता है।
- हरित ऋण कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र के पारिस्थितिकी तंत्र के बहाली के अनुरूप है, जो पारिस्थितिकी तंत्र से जुडी गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है। इसमें सभी हितधारकों की भागीदारी और पारंपरिक ज्ञान का उपयोग शामिल होता है।
- ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम कार्बन क्रेडिट से अलग और एक स्वतंत्र प्रकार का कार्यक्रम है जिसे ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत विनयमित और संचालित किया जाता है।
- कार्बन क्रेडिट, जिसे कार्बन ऑफसेट भी कहा जाता है, उत्सर्जन की अनुमति देते हैं। एक क्रेडिट 1 टन CO2 या अन्य ग्रीनहाउस गैसों के बराबर होता है।
- ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के तहत उत्पन्न ग्रीन क्रेडिट में जलवायु सह-लाभ हो सकते हैं, जैसे कार्बन उत्सर्जन को कम करना या हटाना, जिससे कार्बन क्रेडिट का अधिग्रहण संभव हो सकता है।

भारत में ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम से जुड़ी मुख्य चुनौतियाँ :

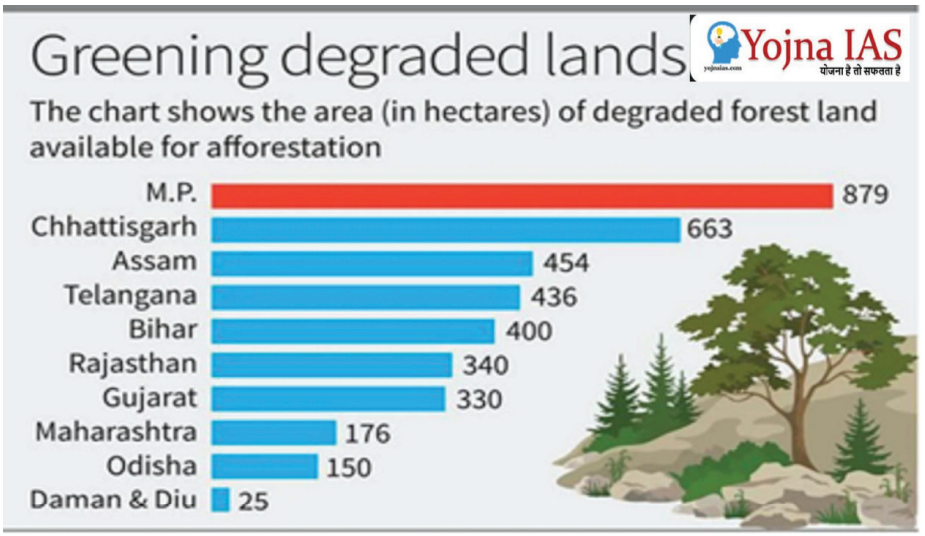

ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम से जुड़ी मुख्य चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं –

1. **वन पारिस्थितिकी पर प्रभाव :** ग्रीन क्रेडिट के नियमों से वन पारिस्थितिकी को हानि पहुँच सकती है। इन नियमों के अनुसार, वृक्षारोपण के लिए 'निम्नीकृत भूमि' की पहचान की जाती है, जिससे अवैज्ञानिक और स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र के लिए विनाश-कारी परिणाम हो सकते हैं।
2. **अस्पष्ट शब्दावली :** 'निम्नीकृत' जैसे शब्दों का उपयोग अस्पष्ट है और इससे औद्योगिक पैमाने पर वृक्षारोपण हो सकता है, जो मृदा की गुणवत्ता, स्थानीय जैवविविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को नुकसान पहुँचा सकता है।
3. **हरित रेगिस्तानों का निर्माण :** ग्रीन क्रेडिट नियमों से 'हरित रेगिस्तान' बन सकते हैं, जहाँ वृक्षारोपण से पारिस्थितिक जटिलताओं और जैवविविधता को अनदेखा कर दिया जाता है।
4. **वनों की गलत मापन पद्धति :** वनों को केवल पेड़ों की संख्या के आधार पर मापने की आलोचना होती है, जो वन्यजीवों और उनके आवास की बहुस्तरीय संरचना को नजरअंदाज करता है।
5. **पर्यावरणीय सुदृढ़ता के संदर्भ पद्धति संबंधी चिंताएँ :** ग्रीन क्रेडिट उत्पन्न करने की पद्धति पर पर्यावरणीय सुदृढ़ता के संदर्भ में प्रश्न उठाए गए हैं, और इससे पर्यावरणीय गिरावट हो सकती है।
6. **बंजर भूमि' पर दबाव :** अपघटित भूमि खंडों' पर पेड़ लगाने का दबाव उन क्षेत्रों पर पड़ता है जो पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण हैं और जहाँ वनीकरण से स्थानिक प्रजातियों और पारिस्थितिक कार्यों को नुकसान हो सकता है।

इन चुनौतियों के समाधान के लिए वैज्ञानिक और स्थानीय पारिस्थितिक ज्ञान का उपयोग, स्पष्ट नियमों का निर्माण, और पारिस्थितिकी तंत्र की जटिलताओं को समझने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष / आगे की राह :

- भारत में हरित ऋण कार्यक्रम के अंतर्गत जैवविविधता-आधारित वनीकरण एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका लक्ष्य पेड़ों की संख्या बढ़ाने के बजाय, विविध मूल प्रजातियों को संरक्षित करना और पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करना है। इस दृष्टिकोण से नव

स्थापित वृक्षारोपण प्राकृतिक वनों की तरह होते हैं और वन्यजीवों की एक विस्तृत श्रृंखला को समर्थन प्रदान करते हैं।

- प्रौद्योगिकी का एकीकरण इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। सुदूर संवेदन और उपग्रह इमेजरी का उपयोग करके, वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त वास्तव में निम्नीकृत भूमि की पहचान की जाती है, जिससे मौजूदा पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचने का जोखिम कम हो।
- कार्यक्रम की पारदर्शिता और ज्ञान साझा करने की प्रक्रिया में "अपघटित भूमि" और "बंजर भूमि" की स्पष्ट परिभाषाएं शामिल हैं। इससे संबंधित हितधारकों को उनकी जिम्मेदारियों का बेहतर ज्ञान होता है और वे पर्यावरण के प्रति अधिक जिम्मेदार बनते हैं।
- वन विभाग, व्यवसायों, और गैर सरकारी संगठनों के बीच ज्ञान साझा करने और क्षमता निर्माण के माध्यम से, पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार प्रथाओं को सुनिश्चित किया जाता है। इससे वनीकरण के प्रयासों में सुधार होता है और पर्यावरणीय लाभों का विस्तार होता है।

स्त्रोत – द हिन्दू एवं पीआईबी।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में हरित ऋण कार्यक्रम (ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. हरित ऋण कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र के पारिस्थितिकी तंत्र से जुडी गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है।
2. यह ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022 द्वारा शुरू की गई कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना के पूरक के रूप में काम करता है।
3. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 और राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, 2006 वनों और वन्यजीवों की रक्षा से संबंधित है।
4. यह जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के प्रयासों और COP26 के संधि के अनुसार है।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1, 2 और 3

B. केवल 2, 3 और 4

C. इनमें से कोई नहीं।

D. उपरोक्त सभी।

उत्तर – D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. हरित ऋण कार्यक्रम क्या है ? चर्चा कीजिए कि इस कार्यक्रम को लागू करने से भारत में पर्यावरण संरक्षण और देश के सामाजिक – आर्थिक विकास पर पड़ने वाले प्रभावों और उसको प्रभावी ढंग संचालित करने के बीच कैसे संतुलन बनाया जा सकता है ? तर्कसंगत व्याख्या प्रस्तुत कीजिए। (शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

आर्टेमिस समझौता

(यह लेख ' दैनिक करंट अफेयर्स ' और ' आर्टेमिस समझौता ' विषय से संबंधित है। यह विषय यूपीएससी सीएसई परीक्षा के ' विज्ञान और प्रौद्योगिकी ' खंड में प्रासंगिक है।)

खबरों में क्यों?

हाल ही में, स्लोवेनिया और स्वीडन आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले देशों की श्रेणी में शामिल हो गए, और आर्टेमिस समझौते

पर हस्ताक्षर करने वाले देशों की श्रेणी में वे क्रमशः 39वें और 38वें देश बन गए हैं ।

आर्टेमिस समझौता क्या है ?

- आर्टेमिस समझौता,अमेरिका के विदेश विभाग और नासा द्वारा शुरू किया गया 2020 में सात अन्य संस्थापक देशों – ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लक्ज़मबर्ग, संयुक्त अरब अमीरात और यूनाइटेड किंगडम के साथ,इसका उद्देश्य चंद्रमा, मंगल, धूमकेतु और क्षुद्रग्रहों सहित बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण अन्वेषण और उपयोग को नियंत्रित करने वाले सार्वभौमिक सिद्धांतों को स्थापित करना है।
- ये समझौते 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि द्वारा प्रदान की गई रूपरेखा पर आधारित "है, जो संयुक्त राष्ट्र के तहत स्थापित अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून में एक मूलभूत दस्तावेज है।
- यह संधि मानवता के लिए एक साझा संसाधन के रूप में अंतरिक्ष की अवधारणा को रेखांकित करती है,। यह आकाशीय पिंडों के राष्ट्रीय विनियोग पर रोक लगाता है और अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण अन्वेषण और उपयोग को बढ़ावा देता है।

आर्टेमिस समझौता का प्रमुख सिद्धांत :

- **अंतरिक्ष गतिविधियों में पारदर्शिता :** समझौते में हस्ताक्षरकर्ताओं से बाह्य अंतरिक्ष मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के साथ अपनी अंतरिक्ष वस्तुओं को पंजीकृत करने का आह्वान किया गया है। यह अंतरिक्ष गतिविधियों में पारदर्शिता को बढ़ावा देता है और कक्षा में अंतरिक्ष यान या मलबे के बीच टकराव के जोखिम को कम करता है। अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों की सुरक्षा और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए अंतरिक्ष में वस्तुओं की स्पष्ट तस्वीर बनाए रखना महत्वपूर्ण है।
- **पारदर्शिता और ज्ञान साझा करना :** समझौते हस्ताक्षरकर्ताओं के बीच खुले संचार की वकालत करते हैं। इसमें वैज्ञानिक डेटा और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना, सहयोग को बढ़ावा देना और वैज्ञानिक प्रगति में तेजी लाना शामिल है। खुले तौर पर जानकारी साझा करके, भाग लेने वाले देश एक-दूसरे के अनुभवों से सीख सकते हैं, जिससे मिशन अधिक कुशल और सफल हो सकेंगे।
- **शांतिपूर्ण उद्देश्य :** यह समझौता केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए अंतरिक्ष अन्वेषण के उपयोग को प्राथमिकता देते हैं। यह 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि के अनुरूप है, जो अंतरिक्ष कानून में एक मूलभूत दस्तावेज है, जो आकाशीय पिंडों पर सैन्य गतिविधियों को प्रतिबंधित करता है। आर्टेमिस समझौते इस प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करते हैं, अंतरिक्ष में सहयोग और वैज्ञानिक खोज की भावना को बढ़ावा देते हैं।
- **अंतर संचालनीयता :** भविष्य की अंतरिक्ष परियोजनाओं पर निर्बाध सहयोग सुनिश्चित करने के लिए, समझौते में संगत प्रणालियों और मानकों के विकास का आह्वान किया गया है। इसमें अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच संचार, डॉकिंग प्रक्रियाओं और डेटा विनिमय के लिए सामान्य प्रोटोकॉल स्थापित करना शामिल हो सकता है। अंतर संचालनीयता की दिशा में काम करके, हस्ताक्षरकर्ता तकनीकी बाधाओं से बच सकते हैं और अधिक प्रभावी ढंग से मिलकर काम कर सकते हैं।
- **जिम्मेदारीपूर्वक संसाधनों का उपयोग :** जैसे-जैसे अंतरिक्ष अन्वेषण का विस्तार होता है, आकाशीय पिंडों से संसाधन निकालने की क्षमता अधिक प्रासंगिक हो जाती है। आर्टेमिस समझौता इन संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग के लिए एक रूपरेखा स्थापित करके इसे स्वीकार करता है। यह सुनिश्चित करता है कि संसाधन निष्कर्षण निरंतर और न्यायसंगत रूप से किया जाता है,। इसमें संघर्षों को रोका जाता है और अंतरिक्ष अन्वेषण के दीर्घकालिक भविष्य की सुरक्षा की जाती है।
- **पारस्परिक सहायता करना :** इस समझौते में जरूरतमंद अंतरिक्ष यात्रियों को सहायता प्रदान करने के महत्व पर जोर दिया गया है, जिससे अंतरिक्ष यात्रा करने वाले देशों की एक-दूसरे का समर्थन करने की दीर्घकालिक परंपरा को कायम रखा जा सके। यह सिद्धांत अंतरिक्ष की अज्ञात गहराइयों में जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करता है, जिससे अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारी और सौहार्द की भावना को बढ़ावा मिलता है।

बाह्य अंतरिक्ष संधि का परिचय :

- बाह्य अंतरिक्ष संधि 1967 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया,मुख्य रूप से बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करता है और अंतरिक्ष में परमाणु हथियारों की नियुक्ति पर रोक लगाता है। इसमें अंतरिक्ष मलबे के प्रबंधन और अंतरिक्ष वस्तुओं की पृथ्वी पर वापसी सुनिश्चित करने के साथ-साथ अंतरिक्ष वस्तुओं द्वारा अन्य अंतरिक्ष संपत्तियों या पृथ्वी पर होने

वाले नुकसान को संबोधित करने से संबंधित प्रावधान भी शामिल हैं।

- 1968 का बचाव और वापसी समझौता, जिसे पहले के नाम से जाना जाता था 'अंतरिक्ष यात्रियों के बचाव, अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी और बाहरी अंतरिक्ष में प्रक्षेपित वस्तुओं की वापसी पर समझौता' (एआरआरए),संकट में फंसे अंतरिक्ष यात्रियों की सहायता और बचाव करने और उन्हें तुरंत उनके प्रक्षेपण वाले राज्य में वापस लाने के लिए राज्यों की जिम्मेदारियों की रूपरेखा तैयार करता है। यह अंतरिक्ष वस्तुओं की पुनर्प्राप्ति को भी संबोधित करता है।
- 1972 का देयता सम्मेलन, जिसे औपचारिक रूप से अंतरिक्ष वस्तुओं से होने वाले नुकसान के लिए अंतर्राष्ट्रीय दायित्व पर कन्वेंशन कहा जाता है, अधिकांश अंतरिक्ष-यात्रा वाले देशों को हस्ताक्षरकर्ताओं के रूप में गिना जाता है। यह सम्मेलन बाह्य अंतरिक्ष संधि के पूरक कई अंतरराष्ट्रीय समझौतों में से एक के रूप में कार्य करता है, जो अंतरिक्ष में देशों के व्यवहार के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है।
- इसके अलावा, 1975 के पंजीकरण कन्वेंशन, जिसे बाहरी अंतरिक्ष में प्रक्षेपित वस्तुओं के पंजीकरण पर कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है, का उद्देश्य बाहरी अंतरिक्ष (अंतरिक्ष वस्तुओं) में प्रक्षेपित वस्तुओं की पहचान करने और उनके पंजीकरण की सुविधा के लिए साधन और प्रक्रियाएं स्थापित करना है।

वर्तमान समय में आर्टेमिस समझौते की आवश्यकता क्यों है ?

- **वैश्विक सहयोग:** अंतरिक्ष अन्वेषण महाशक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा से लेकर कई देशों और निजी संस्थाओं के सहयोगात्मक प्रयास तक विकसित हुआ है। आर्टेमिस समझौता राष्ट्रों को अंतरिक्ष में उनकी गतिविधियों में सहयोग और समन्वय करने, पारस्परिक लाभ सुनिश्चित करने और सभी मानवता के लिए वैज्ञानिक ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
- **शांतिपूर्ण अन्वेषण:** चंद्र और ग्रहों की खोज में बढ़ती रुचि के साथ, अंतरिक्ष में शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश स्थापित करना महत्वपूर्ण है। आर्टेमिस समझौते बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग, संघर्ष के जोखिम को कम करने और अन्वेषण के लिए एक साझा दृष्टिकोण को बढ़ावा देने पर जोर देते हैं।
- **नियामक ढांचा:** जैसे-जैसे अंतरिक्ष गतिविधियां अधिक विविध और जटिल होती जा रही हैं, संसाधन उपयोग, पर्यावरण संरक्षण और अंतरिक्ष यातायात प्रबंधन जैसे मुद्दों के समाधान के लिए एक नियामक ढांचे की आवश्यकता बढ़ रही है। आर्टेमिस समझौते में इन गतिविधियों को नियंत्रित करने, अंतरिक्ष में जिम्मेदार व्यवहार और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए सिद्धांत और दिशा निर्देश दिए गए हैं।
- **विरासत का संरक्षण :** आर्टेमिस समझौता पहचानना अंतरिक्ष में ऐतिहासिक या सांस्कृतिक महत्व के स्थलों और कलाकृतियों को संरक्षित करने का महत्व, जैसे चंद्र लैंडिंग स्थल। इन विरासत स्थलों की सुरक्षा करके, समझौते यह सुनिश्चित करते हैं कि भावी पीढ़ियां अंतरिक्ष अन्वेषण में मानवता की उपलब्धियों का अध्ययन और सराहना कर सकें।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही:** अंतरिक्ष यात्रा करने वाले देशों के बीच विश्वास बनाने और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पारदर्शिता और खुलापन आवश्यक है। आर्टेमिस समझौते राष्ट्रों को अपनी अंतरिक्ष गतिविधियों के बारे में खुलकर जानकारी साझा करने, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष समुदाय में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
- **कानूनी निश्चितता:** आर्टेमिस समझौते में उल्लिखित सिद्धांतों का पालन करके, राष्ट्र अपनी अंतरिक्ष गतिविधियों में कानूनी निश्चितता और पूर्वानुमान से लाभ उठा सकते हैं। स्पष्ट दिशा निर्देश गलतफहमी और संघर्ष को रोकने में मदद करते हैं, जिससे राष्ट्रों को आत्मविश्वास के साथ अपने अन्वेषण लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. आर्टेमिस समझौते का प्राथमिक लक्ष्य अंतरिक्ष संसाधनों तक पहुंच को सीमित करना है।
2. इसकी शुरुआत नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने की थी।
3. आर्टेमिस समझौता 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि पर बनाया गया है।
4. उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही हैं?

(a) केवल एक

(b) केवल दो

(c) तीनों

(d) इनमें से कोई कोई नहीं।

उत्तर – C

Q2. 1972 का देयता सम्मेलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?

(a) अंतरिक्ष मलबे प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश स्थापित करना।

(b) बाहरी अंतरिक्ष का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना।

(c) अंतरिक्ष वस्तुओं से होने वाली क्षति के लिए दायित्व को संबोधित करना।

(d) अंतरिक्ष अन्वेषण में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना।

उत्तर – C

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

Q1. आर्टेमिस समझौते किस तरह से बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देते हैं, और वे 1967 की बाहरी अंतरिक्ष संधि जैसी मौजूदा अंतरराष्ट्रीय संधियों के साथ कैसे संरेखित होते हैं? (शब्द सीमा – 250 अंक -15)

Yojna IAS
योजना है तो सफलता है
yojnaias.com

Yojna IAS
योजना है तो सफलता है
yojnaias.com

UPSC Prelims cum Mains
INTEGRATED COACHING

Want to be become IAS/ IPS ?

Premier Institution for UPSC
Online | Offline

Limited Seats Admission Open

हमारी विशेषताएं

- दर्ज कक्षाएं
- सीमित बैच आकार
- परामर्श कार्यक्रम
- अतिरिक्त संदेह सत्र
- उत्तर लेखन और रणनीति सत्र
- अनुभवी शिक्षक
- अध्ययन सामग्री (हार्डकॉपी + सॉफ्टकॉपी)

Follow us:

दिल्ली कार्यालय
706 ग्राउंड फ्लोर डॉ मुखर्जी नगर बत्रा सिनेमा के पास दिल्ली - 110009

नोएडा कार्यालय
बेसमेन्ट सी-32 नोएडा सैक्टर-2 उत्तर प्रदेश - 201301

मोबाइल नं. : +91 8595390705
वेबसाइट : www.yojnaias.com

Yojna IAS
yojnaias.com
योजना है तो सफलता है

यूपीएससी या सिविल सेवा परीक्षा के आसपास अप्रत्याशितता के लिए सावधानीपूर्वक योजना की आवश्यकता होती है। सिविल सेवा परीक्षा के लिए प्रत्येक स्तर पर नियोजन की आवश्यकता होती है, चाहे वह प्रारंभिक, मुख्य या साक्षात्कार चरण हो। Yojna IAS में हम हर नागरिक सेवा के इच्छुक व्यक्ति के सपने को साकार करने के लिए सावधानीपूर्वक योजना प्रदान करते हैं, भले ही वह देश के किसी दूरस्थ कोने से तैयारी कर रहा हो।

महत्वपूर्ण विषेशताएं

- छोटे बैच का आकार
- लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन
- हाथ से लिखे नोट्स (सॉफ्ट/हार्ड कॉपी)
- हाइब्रिड मोड में कक्षाएं (ऑफ़लाइन/ऑनलाइन)
- वन टू वन मेंटरशिप प्रोग्राम
- छात्रों के लिए अध्ययन कार्यक्रम या योजना
- उत्तर लेखन रणनीति सत्र
- नि: शुल्क साक्षात्कार मार्गदर्शन कार्यक्रम

"वर्तमान मामले यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पाठ्यक्रम में वर्तमान घटनाओं का कोई विशेष उल्लेख नहीं है। हालाँकि, यह पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। हर साल यूपीएससी तेजी से UPSC CSE के दोनों स्तरों में वर्तमान घटनाओं में एम्बेडेड गतिशील प्रश्न पूछ रहा है।

इंटरव्यू में भी करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन वर्तमान घटनाएं विशाल हैं और यह समझने के लिए कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं, उम्मीदवारों को विशेष सलाह की आवश्यकता है। इस तरह की सभी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए यह पुस्तक आपको समसामयिक मामलों की व्यापक लेकिन प्रासंगिक समझ प्रदान करने के लिए तैयार की गई है।

https://www.youtube.com/c/YojnaIAS
https://t.me/+nDhinGfTB6tkYjY1
Facebook.com/Yojna IAS
linkedin.com/in/Yojna IAS

All Books are available on

Onlinekhanmarket
SOFTCOPY

www.examophobia.com
examophobia
HARDCOPY

Corporate Office :

C-32 Noida, Opposite to Nirula's Hotel, Sector 2, Pocket I, Noida, Uttar Pradesh 201301

706 Ground Floor Dr. Mukherjee Nagar Near Batra Cinema Delhi - 110009

Phone No :- 8595390705

Website :- www.yojnaias.com